द्वितीय माला, खण्ड १९—अंक २०

५ सितम्बर, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

182(A) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १९--अंक ११ से २०—२५ अगस्त से ५ सितम्बर, १९५८)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार, २५ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४५, ४४८ और ४५२ से ४५९ . १२३९—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १२६२--६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४३८, ४४६, ४४७, ४४९ से ४५१ और ४६० से ४९६ . . . . १२६५--८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ८६७ . . १२८३—१३१८

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली में अतिसार रोग का फैलना . . . १३१९--२२

दो सदस्यों को सजा १३२२-२३

जानकारी के लिये प्रश्न १३२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३२३

राज्य सभा से सन्देश १३२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रिविलगंज में रेल का पटरी से उतर जाना . . . १३२४

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में वक्तव्य . . १३२४—२६

समिति के लिये निर्वाचन . . . १३२६

प्राक्कलन समिति १३२६

विधेयक पुरःस्थापित १३२६-२७

१. समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, और १३२६-२७

२. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक . . १३२७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

पर विचार करने का प्रस्ताव १३२७--५७

खण्ड २ से १४ तथा १ . . . १३४३--५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १३५७—६०

दैनिक संक्षेपिका १३६१--६७

अंक १२—मंगलवार, २६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९८, ५०० से ५०९, ५१४, ५१५, ५१७ और ५१८ . . . . . १३६९—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १३९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित श्न संख्या ४९७, ४९९, ५१० से ५१३, ५१६ और ५१९ से ५६० . . . . . १३९५—१४१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६८ से ९०३, ९०५ से ९३० और ९३२ से ९५३ १४१७—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५२–५३

राज्य-सभा से संदेश १४५३

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . १४५३

चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प—अस्वीकृत १४५३—८९

चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४५३—९३

खण्ड २ से १४ और खण्ड १ . . . . १४८९–९३

पारित करने का प्रस्ताव १४९३–९६

दैनिक संक्षेपिका १४९७–१५०३

अंक १३—बुधवार, २७ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६३, ५६४, ५६६ से ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८६, ५८८, ५८९, ५९४ और ५९६ से ५९८ . १५०५—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५७१, ५७२, ५७७, ५८२, ५८४, ५८५ ५८७, ५९० से ५९३, ५९५ और ५९९ से ६२८ . . १५३२—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से १०१२ . . १५५०—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५७४–७५

राज्य सभा से संदेश १५७५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन . . १५७५

व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक— . . . १५७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १५७६—८४

खण्ड २ से १३६ और १ . . . . १५८०—८४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८४—८६

पृष्ठ

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५८६—९६

खण्ड १ से १२ १५९५

पारित करने का प्रस्ताव १५९६

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चौधरी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव . . . . . १५९६—१६१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६१३—१९

अंक १४--गुरुवार, २८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८, ६३९, ६९४ ६४१ से ६४५ और ६४७ १६२१—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . १६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३३,६३७, ६४०, ६४६, ६४८ से ६७१, ६७३ और ६७५ से ६९३ १६४४—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से ११२४ . १६६५—१७२१

स्थगन प्रस्ताव--

मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के ११३५ प्रवीण कर्मचारियों का अलग किया जाना १७२१

डा० गैटोन्डे के विरुद्ध अभियोग को वापस लेने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . . . . १७२२—२४

देश में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम तथा बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य . १७२४–२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७२५–२६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन १७२६

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७२६--३२

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १७३२--४२

खण्ड २ तथा १ . . . . . १७४२

पारित करने का प्रस्ताव १७४२–४३

पृष्ठ

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १७४३--५४

कार्यमंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . . १७५४

दैनिक संक्षेपिका १७५५--६३

अंक १५-- शनिवार, ३० अगस्त, १९५८--

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९५, ६९७, ४९८, ७०१ से ७०६, ७०८, ७१० से ७१४, ७१६ से ७१८ और ७२३ . १७६५--८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ६९६, ६९९, ७००, ७०७, ७०९, ७१५, ७१९ से ७२२ और ७२४ से ७४८ . १७९०--१८०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११८८, ११९० से ११९३ और ११९५ से १२०६ १८०५--३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८३३-३४

सभा का कार्य १८३४-३५

सागर में विद्यार्थियों तथा सनिकोंमें हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में वक्तव्य . १८३५

समितियों के लिये निर्वाचन १८३५

१. प्राणिविज्ञान का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ।

२. भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर ।

कार्य मंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन १८३६--३७

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव १८३७--५२

खण्ड २ और ३ . . . . . १८५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन . . . १८५२

एकाधिकार रखने वाले साथी के कार्यों के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५३--५८

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५८--६७

दैनिक संक्षेपिका १८६८--७४

पृष्ठ

अंक १६--सोमवार, १ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- .

तारांकित प्रश्न संख्या ७५० से ७५२, ७५४, ७५६, ७५७, ७५९, ७६०, ७६२, ७६४, ७६५, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२, ७७६ से ७७९, ७८१ और ७८२ . . . १८७५—१९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९, ७५३, ७५५, ७५८, ७६१, ७६६, ७६९, ७७१, ७७३ से ७७५, ७८०, ७८३, ७८४ से ७८६ और ७८८ से ७९२ . १९०१—०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२६९ १९०९—३८

स्थगन प्रस्ताव . . . . . १९३९—४२

(१) मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी में कर्मचारियों का काम से अलग किया जाना; और

(२) पांडेचेरी में संवैधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

समितियों के लिये निर्वाचन सम्बन्धी विनियमों के संशोधन-- . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १९४३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—पुरःस्थापित : . . . १९४३–४४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

खण्ड ३ से ११, १४ से २०, २२ से ३०, १२, २१ और १ १९४४—५५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . १९५५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १९५६—७०

अखबारी कागज के लिये आयात अनुज्ञप्तियां तथा कागज के मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा १९७०--७५

दैनिक संक्षेपिका १९७६--८१

अंक १७—मंगलावार, २ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७९४ से ८०१ और ८०३ से ८०७ . . १९८३--२००६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३, ८०२ और ८०८ से ८१५ और ८१७ से ८३९ . . . २००६—२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७० से १३८० और १३८२ से १३८६ २०२०—७४

जानकारी के लिये प्रश्न २०७४

रेलवे के कार्य–संचालन सम्बन्धी चर्चा के बारे में सुझाव . . २०७४

स्थगन प्रस्ताव . . . . . २०७४—७७

१. कडुम बांध का टूट जाना ; और

२. बेरोजगारी के कारण एक परिवार के सदस्यों द्वारा कथित आत्म-हत्या ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०७७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०७७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

आठवां प्रतिवेदन . २०७८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर की शुद्धि . . . २०७८

दिल्ली में हैजा और अतिसार के बारे में वक्तव्य . . . २०७८-७९

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २०७९—२११३

खण्ड २ से ९ और १ . २०९४—२११३

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २११३—१७

खण्ड १ और २ . . २११७

पारित करने का प्रस्ताव . . . २११७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २११७—१९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २१२०—२६

अंक १८—बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४१ से ८४८, ८५०, ८५३, ८५६, ८५८ से ८६१, ८६४ और ८६५ . . . . . २१२७—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०,८४९, ८५१, ८५२, ८५४, ८५५, ८५७, ८६२, ८६३, ८६६ से ८९३ . . . २१५२—६७

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८७ से १४५५ और १४५७ से १४६० २१६८--९६

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति . २१९६--९९

राज्य सभा से संदेश २१९९

सभा से अनुपस्थिति की अनुमति २१९९

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २१९९--२२०५

खण्ड २ से ४ और १ २२०५

पारित करने का प्रस्ताव २२०५

राज घाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २२०६--१६

रेलवे भाड़ा दर चार्ज समिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . . २२१६--२७

दैनिक संक्षेपिका २२२८--३४

अंक १९--गुरुवार, ४ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८ से ९०१, ९०३, ९०५, ९०७, ९०८
९११, ९१४ से ९१८, ९२० से ९२२ और ९२६ २२३५--६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६, ८९७, ९०२, ९०४, ९०६, ९०९,
९१२, ९१३, ९१९, ९२३ से ९२५, ९२७ से ९३९ और ९४१
से ९४६ . . . . . २२६०--७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५१२, १५१४ से १५२६ और १५२८ २२७२--९८

स्थगन प्रस्ताव-- २२९८--२३०३

केरल में स्थिति . २२९८--२३०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३०३-०४

राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने के लिये प्रस्ताव २३०४--०९

खण्ड २, ३ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव . . २३०९

सरकारी भग्रहदि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक १९५८-- २३०९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . २३१०--२१

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद २३२१--४१

दैनिक संक्षेपिका २३४२--४६

अंक २०--शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ से ९५७, ९५९ और ९६१ से ९६५ २३४७--७१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . २३७१--७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ९५८, ९६० और ९६६ से १००८	२३७३--९३
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२९ से १६०८ और १६१० से १६३१	२३९३--२४४२
दो सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में	२४४२-४३
विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में	२४४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४४३-४४
१९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें	२४४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मध्य रेलवे के दो पुलों का बह जाना	२४४४--४६
सभा का कार्य	२४४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के शुद्धि	२४४६-४७
सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२४४७--६३
महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा (निरसन) विधेयक--पुरस्थापित :	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	२४६३
(धारा ५६ तथा १२३ का संशोधन)--पुरस्थापित :	२४६४
संविधान (संशोधन) विधेयक--	
(अनुच्छेद १३४, १३६ तथा १४५ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६४
वनस्पति में रंग मिलाना विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६४
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६५
भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक--	
(धारा १०३ का संशोधन)-- पुरस्थापित	२४६५
संसदीय विशेषाधिकार विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६५
प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३, २२, ३० तथा ३६ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४६६--७३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ५५-क, ८२ तथा ११६-क का संशोधन)--वापस लिया गया	२४७३--८०
विचार करने का प्रस्ताव	२४७३--८०
छावनी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४८१-८२
दैनिक संक्षेपिका	२४८३--९०

नोट:--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत सरकार का पर्यटक कार्यालय, पेरिस

†*९४७ **श्री अब्दुल सलाम :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेरिस में पर्यटक कार्यालय के लिये एक बहुत बड़ी इमारत बड़े महंगे दामों पर पट्टे पर ली गई थी जो अब लगभग खाली पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं । भारत सरकार ने पर्यटक कार्यालय के लिये पेरिस के एक होटल का थोड़ा सा भाग लिया है । किराये पर ली गई जगह का क्षेत्रफल ३१६१ वर्ग फुट है । पट्टा १५ वर्ष के लिये है । यह स्थान मध्य में स्थित होने के कारण और ऐसे स्थान के लिये प्रचलित किराये को देखते हुये इस कार्यालय के स्थान के लिये २,८३५ रुपये प्रति मास किराया देना पड़ता है जो अधिक नहीं कहा जा सकता । जितना स्थान लिया गया है उसका अधिकांश भाग पूर्णतः काम में आता है और पर्यटक कार्यालय में इस्तेमाल से जो अधिक स्थान है उसका उपयोग भारतीय दूतावास के सूचना अनुभाग द्वारा किये जाने का विचार है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री अब्दुल सलाम** : क्या यह सच है कि इस इमारत को प्राप्त करने के लिये काफी पगड़ी देनी पड़ी थी; यदि हां, तो कितनी राशि दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : २,५७,६४० रुपये की राशि जो १९० लाख फ्रैंक के बराबर होती है, एक मुश्त में 'की मनी' के रूप में दी गई थी, जिसकी फ्रांस में कानून के अन्तर्गत इजाजत है।

†**तरदार हुक्म सिंह** : फ्रांस में पगड़ी लेना दुरुस्त है ?

†**श्री राज बहादुर** : जी हां, पगड़ी की इजाजत है वहां।

†**श्री वि० चं० शुक्ल** : अनुमानतः फ्रांस से भारत को कितने पर्यटक आते हैं ? यह पर्यटक कार्यालय फ्रांस में खुल जाने के बाद से क्या भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह कार्यालय खोलने का विचार १९५५ में किया गया था और जिसे हमने १९५६ के आरम्भ में खोला है। तब से मैं समझता हूं कि पर्यटकों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। १९५५ में पेरिस से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या ८८२ थी। १९५६ में यह संख्या बढ़ कर १७२६ हो गई। १९५७ में इसमें और वृद्धि होकर यह संख्या १९५५ हो गई और १९५८ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि 'की मनी' के रूप में २,५७,६४० रुपये दिये गये हैं। क्या इस राशि का समायोजन २,८३५ रुपये जो मासिक किराया दिया जाता है उसमें किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : जी नहीं, यह तो 'की मनी' ही ठहरी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे भय है कि उसकी नकल यहां भी की जावेगी।

शुष्क भूमि पर वैज्ञानिक गवेषणा

†*९४८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शुष्क भूमि पर वैज्ञानिक गवेषणा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) भारत में ऐसे कितने गवेषणा केन्द्र स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) गवेषणा कार्य करने के लिये क्या कोई विदेशी सहायता मांगी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). १९५२ में जोधपुर में रेगिस्तान बन रोपण और भू-संरक्षण गवेषणा स्थापित किया गया था। अन्य चीजों के साथ वहां पर शुष्क भूमि की अन्य अनेक समस्याओं के बारे में व्यवहृत गवेषणा कार्य की व्यवस्था है।

(ग) जी हां। शुष्क भूमि गवेषणा सम्बन्धी कार्यक्रम पर यूनेस्को की प्रमुख परियोजना विशेषज्ञों के रूप में प्रविधिक सहायता छात्रवृत्ति और सामान उपलब्ध कराना है जिससे जोधपुर के गवेषणा कार्यक्रम का विस्तार किया जा सके और शुष्क भूमि सम्बन्धी सभी समस्याओं को इसके अन्तर्गत शामिल किया जा सके।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस योजना के आरम्भ से अब तक इस पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** शुष्क भूमि पर, वैज्ञानिक गवेषणा संबंधी कार्यों पर हमने अधिक धन व्यय नहीं किया है किन्तु इसका हिसाब लगा लिया गया है कि द्वितीय योजना के शेष काल में लगभग १५ लाख रुपये व्यय करने होंगे ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या देश के किसी अन्य भाग में कोई और वैज्ञानिक गवेषणा केन्द्र स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** हम पहले जोधपुर में गवेषणा केन्द्र स्थापित करेंगे । उसके पश्चात् ही अन्य किसी स्थान पर केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ?

†**श्री रंगा :** क्या इस गवेषणा केन्द्र पर काम करने वाले हमारे वैज्ञानिक, सोवियत रूस और विशेषत: मध्य एशिया में जो इसी प्रकार का काम हो रहा है, उसके सम्पर्क में हैं ?

†**श्री मों० वें० कृष्णाप्पा :** जी नहीं । यूनेस्को के अधीन हमें आस्ट्रेलिया के दो विशेषज्ञ मिले थे ; इसमें हम आस्ट्रेलिया वाला नमूना अपनायेंगे ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** वहां जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका कहीं उपयोग किया गया है अथवा नहीं ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** यह कह सकना समय से बहुत पूर्व होगा । केन्द्र बहुत शीघ्र ही स्थापित हो जायेगा । सितम्बर-अक्तूबर में हम दो विशेषज्ञों के आने की आशा करते हैं और उन्हीं के परामर्श से इस केन्द्र की स्थापना की जायेगी ?

†**श्री गोरे :** इन क्षेत्रों में प्रति वर्ष कितनी वर्षा होती है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** ४ से २५ इंच के भीतर ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** जोधपुर में यह काम काफी समय से हो रहा है । यह दूसरी चीज़ है कि एक नया अनुभाग खुलने जा रहा है । पिछले दो वर्षों में इस केन्द्र ने कितना काम किया है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** जोधपुर में जो काम हो रहा है वह वन रोपण योजना के सम्बन्ध में है शुष्क गवेषणा योजना के बारे में नहीं ।

दिल्ली में चिड़िया घर

\+

†*९४९. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में चिड़ियाघर बनाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) :** एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण :** निर्माण कार्य पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** अन्ततोगत्वा दिल्ली के चिड़ियाघर पर लगभग १,२०,००,००० व्यय होगा और यह कहा जाता है कि सब चीज़ें पूरी होने में लगभग पांच वर्ष का समय लगेगा। अभी तक हम लगभग ३० लाख रुपया व्यय कर चुके हैं और अप्रैल के आरम्भ से हम इसे जनता के लिये खोल देंगे ।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या सारा कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अवशिष्ट काल में पूरा हो जायेगा ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** सारी चीजें पूरी होने में आज से पांच वर्ष लगेंगे किन्तु हम आशा करते हैं कि आगामी अप्रैल से वह दर्शकों के लिये तैयार हो जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या चिड़ियाघर की उचित रूप से देख भाल करने की कला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कुछ भारतीय विदेश भेजे जा रहे हैं ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** कुछ विशेषज्ञ जर्मनी से और वनस्पति उद्यान का एक विशेषज्ञ जापान से हमने बुलाया था और हमने जर्मनी और जापान के इन्हीं विशेषज्ञों से अपने लोगों को प्रशिक्षित कराया है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या पुराने किले को मिलाने वाली ३७ एकड़ भूमि का विकास जो वनस्पतिक उद्यान के लिये ली गई है, योजना के प्रमुख भाग का एक अंग है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** यह चिड़ियाघर का भाग है जो ३७ एकड़ तक वनस्पति उद्यान के लिये रखा गया है। इस वनस्पतिक उद्यान के ११ एकड़ में जापानी ढंग का एक भूदृष्य उद्यान बनेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या वह योजना के प्रमुख भाग का एक अंग है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** यह योजना का ही एक भाग है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** हमने हाथियों के बहुत से बच्चे अन्य देशों को भेंट किये हैं। क्या उन देशों से हमारे लिये भी कोई जानवर भेंट स्वरूप भेजा गया है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** जी हां, पहले से ही कुछ पशु मिल चुके हैं। इनकी संख्या ४० के लगभग है जिन में से कुछ हमारे प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति को भेंट किये गये थे। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बताना चाहूंगा कि उनमें एक हाथी ऐसा भी है जो न केवल नृत्य ही करना ही जानता है अपितु संगीत की ताल पर नाचना जानता है ।

†**श्री गोरे :** वह किसी अन्य देश का नहीं अपितु हमारे ही देश का है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** कलकत्ते का चिड़ियाघर सब से बड़ा है जो कई वर्षों से काम कर रहा है। फिर यहां के लोगों को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजने की क्या आवश्यकता थी ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** हमारे पास जर्मनी और जापान के विशेषज्ञ मौजूद हैं और हमने किसी भी भारतीय विशेषज्ञ को शिक्षा के लिये विदेश नहीं भेजा है। भारत में बहुत से चिड़िया-घर हैं, जिनमें से कलकत्ता का चिड़ियाघर भी एक है। किन्तु यह चिड़ियाघर एशिया में सब से बडा होगा और हम यह चाहते हैं कि जो जो चीज़ें चिड़ियाघर में स्थान की जाने योग्य हैं, वे सभी यहां होनी चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गण्डक परियोजना

+

†*९५०. श्री राम कृष्ण :
श्री राजेन्द्र सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री राधा रमण :
श्री विश्वनाथ राय :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री हेम बरुआ :
श्री झूलन सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ११ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक परियोजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने परियोजना प्रतिवेदन की जांच कर ली है और बिहार सरकार को अपनी प्रारम्भिक प्रविधिक आलोचना भेज दी है। नेपाल सरकार से वार्ता अभी भी जारी है।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या स्थान के चुनाव के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्री हाथी** : जी हां, बांध के बारे में पहले से ही निर्णय किया जा चुका है। यह गंडक नदी के आर पार विद्यमान नहर के लगभग एक हजार फुट नीचे बनेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या नेपाल ने करार में इस बात की व्यवस्था करने के लिये कहा है कि उनके भूभाग में नहरें अधिक मील तक रहें और यदि ऐसा है तो इससे कितना व्यय और बढ़ जायेगा ?

†**श्री हाथी** : नेपाल और भारत सरकार के बीच वार्ता चल रही है। टेक्निकल पहलुओं और भारत को जो लाभ होगा उसके बारे में कुछ बातें उठ खड़ी हुई हैं, किन्तु इस प्रक्रम पर दोनों सरकारों के बीच जो कुछ वार्ता हुई है अथवा हो रही है वह बताना वांछित नहीं होगा। अभी वार्ता चल रही है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या गंडक परियोजना का कार्य द्वितीय योजना काल में आरम्भ हो जायेगा ?

†**श्री हाथी** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कार्य आरम्भ करने का विचार है और इस परियोजना के लिये ५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि नेपाल और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जुलाई के अन्त में जो सम्मेलन हुआ था उसके निष्कर्ष के अनुसार कुछ नेपाली इंजीनियर बांध वाले स्थान के लिये रवाना हो गये हैं और क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर करार पर हस्ताक्षर किये जाने वाले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** कुछ ट्रेक्निकल मामलों पर चर्चा करने के लिये भारत के इंजीनियरों का एक दल नेपाल गया था । प्रतिवेदन एवं जो वार्ता वहां की गई वह मंत्रालय में प्रस्तुत कर दी गई है । नेपाल सरकार भी इस स्थान पर एक आयोग भेजने का विचार कर रही है । अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री राधा रमण :** क्या यह सच है कि जिस करार पर अन्तिम निर्णय करना है उसमें वहां के सम्राट की विदेश यात्रा के कारण विलम्ब हो रहा है ?

†**एक माननीय सदस्य :** वह तो वापस लौट आये हैं ।

†**श्री राधा रमण :** क्या उस करार में शीघ्रता की जा रही है ?

†**श्री हाथी :** जैसा कि मैं कह चुका हूं कि हम अभी वार्ता कर रहे हैं । हम यथा शीघ्र करार पर निर्णय करने का अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं ।

रेलवे बोर्ड की विकेन्द्रीकरण की नीति

†***९५१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने इस वर्ष के दौरान में सभी स्तरों पर विकेन्द्रीकरण की नीति को प्रभावी बनाने के लिये कोई और आगे कार्यवाही की है ; और

(ख) किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) सम्भवत: माननीय सदस्य शक्तियों के हस्तांतरण का उल्लेख कर रहे हैं ।

महा-प्रबन्धकों को १९५४ में और फिर १९५७ में बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई थीं । और आगे प्रत्यायोजन करने का क्षेत्र सीमित हो गया है किन्तु जब भी ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है महा-प्रबन्धकों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी जाती हैं ।

(ख) १९५८ में कुछ मामलों में विशेष कर प्रत्येक मामले में २५,००० रुपये तक का स्टोर खरीदने के लिये संभरण तथा निबटान महानिदेशक तक जाये बिना रेलवे प्रशासन को अतिरिक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया था । (इससे पहले प्रत्येक मामले में, यह राशि १०,००० रुपये ही थी ।)

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैंने तो सभी स्तरों पर विकेन्द्रीकरण के बारे में पूछा था और न केवल महा-प्रबन्धकों के स्तर पर क्योंकि कार्य का निस्पादन महा-प्रबन्धक के अधीन लोगों द्वारा किया जाता है । क्या महा-प्रबन्धक के स्तर के नीचे प्रत्येक स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** माननीय सदस्य के शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ । मैं इसे ही शक्तियों का प्रत्यायोजन समझता हूं । यदि ऐसा है तो महा-प्रबन्धकों और विभागाध्यक्षों आदि की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं वह अंश पढ़ दूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्यायोजन निम्न स्तर पर भी हुआ है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या इस प्रश्न पर महाप्रबन्धकों की पिछली बैठक में चर्चा हुई थी और विशेषकर अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही के बारे में, और यदि हां, तो जो निर्णय किया गया वह किस प्रकार का था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हम इसे इस प्रक्रम पर बताना नहीं चाहते ।

†**श्री दामानी :** क्या रेलवे बोर्ड की बैठकें ज़ोनो के हैडक्वार्टरों में करने के प्रश्न पर विचार किया जा चुका है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न इस प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होता है ।

†**श्री तंगामणि :** क्या डिवीज़नल सुपरिंटेण्डेण्टों को कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, और यदि हां, तो वे महा-प्रबन्धक की पूर्वानुमति बिना कितनी राशि व्यय कर सकते हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी हां, हाल में महा-प्रबन्धकों को यह अधिकार मिल गया है कि वे स्टोर की स्थानीय खरीद की शक्ति का प्रत्यायोजन डिवीज़नल सुपरिंटेंडेण्टों को कर सकते हैं जो सामान्यतः स्टोरों के नियंत्रक को प्राप्त होती है, किन्तु उसकी कुछ सीमायें रहेंगी जो निम्न प्रकार से हैं :—

(क) प्रतिमास औसतन उन वस्तुओं की खरीद, जो स्टाक में दर्ज नहीं हैं, प्रति वस्तु १०० पये किन्तु १,००० रुपये से अधिक की नहीं, (ख) संबन्धित लेखा पदाधिकारी के परामर्श से औसतन प्रति मास आकस्मिक आवश्यकता वाले सामान की खरीद १०० रुपये प्रति वस्तु किन्तु १,००० रुपये से अधिक नहीं ।

†**श्री कासलीवाल :** १९५७–५८ में उप-महाप्रबन्धकों को कौन-कौन सी विशेष शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह आपस के समायोजन की बात है । इसके लिये मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं यह समझूं कि श्री दामानी का प्रश्न यह है कि क्या बैठकें विभिन्न ज़ोनों के हैडक्वार्टरों में हुआ करेंगी ?

†**श्री दामानी :** यदि बैठक उसी ज़ोन के हैडक्वार्टर में होती है तो उस क्षेत्र की समस्याओं का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** अभी तक महा-प्रबन्धकों की बैठकें दिल्ली में ही होती रही हैं विभिन्न ज़ोनो के हैडक्वार्टरों में नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना यह चाहते हैं कि क्या रेलवे बोर्ड की बैठकें विभिन्न ज़ोनों के हैडक्वार्टरों में हुआ करेंगी जिससे वहां की समस्याओं का अध्ययन किया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** माननीय उपमंत्री ने कहा है कि महा-प्रबन्धकों की बैठक में शक्तियों के प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई है वह इस प्रक्रम पर बता सकना उनके लिये सम्भव नहीं है। क्या यह बताना लोक-हित में नहीं है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यदि माननीय सदस्य आगे चल कर अपने प्रश्न को पूछें तो मैं उसका उत्तर दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इन मामलों को उठाने से क्या लाभ होगा जब कि वह कह चुके हैं कि इन चीज़ों को बताना वांछनीय नहीं होगा ।

†**श्री रंगा :** माननीय उपमंत्री ने बताया कि फिलहाल ये बैठकें ज़ोनों के हैडक्वार्टरों में नहीं हो रही हैं। क्या ज़ोनों के हैडक्वार्टरों में इन बैठकों को बुलाने की वांछनीयता पर विचार किया जा सकता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस समय यह प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन नहीं है।

[नई दिल्ली स्टेशन का नये नमूने का बनाया जाना

†*९५२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्टेशन को नये नमूने का बनवाने के लिये उस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) क्या इस स्टेशन को नये सिरे से बनवाने की पूरी योजना समाप्त हो चुकी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) नई दिल्ली स्टेशन और यार्ड को नये नमूने का बनवाने के लिये अब तक २८.६७ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

(ख) जी, नहीं । कार्य के अन्तिम ऋण के लगभग दिसम्बर, १९५८ तक पूरे हो जाने की आशा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस स्टेशन को नये नमूना का बनवाने से माल और यात्रियों के यातायात की भीड़-भाड़ में कहां तक कमी होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं समझता हूं कि यात्रियों की सुविधा में काफी वृद्धि हो गई है और नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ में काफी कमी हो गई है । जहां तक माल के यातायात का सम्बन्ध है, यार्ड के कार्यक्रम की तीन अवस्थायें हैं। पहली और दूसरी अवस्थायें पूरी हो चुकी हैं और तीसरी अवस्था अभी पूरी होने को है जिसके पूरी हो जाने पर माल के यातायात में भी काफी सुविधा हो जायेगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** माननीय मंत्री ने बताया कि नये नमूने का स्टेशन बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा होने में कुल कितना व्यय होगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यार्ड के काम की तीन अवस्थायें हैं जिनमें से दो पूरी हो चुकी हैं। तीसरी अवस्था में प्लेटफार्म का उपबन्ध सम्मिलित है .....

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कुल व्यय राशि जानना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जहां तक नई इमारत का सम्बन्ध है, वह पूरी बन चुकी है और अनुमानित लागत १९.९५ लाख रुपये है। आज तक किया गया व्यय २०.५४ लाख रुपये है। यार्ड का अनुमानित व्यय १०.६९ लाख रुपये है जिसमें से हम अब तक ८.१३ लाख रुपये व्यय कर चुके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** उपमंत्री से केवल यह पूछा गया था कि उसे पूरा करने के लिये कितनी राशि और व्यय करनी होगी। ये ब्योरे हमें भौंचक्का कर देते हैं— ४ लाख, ५ लाख रुपये आदि— इन सब के बारे में कौन जानता है। अगला प्रश्न।

आयुर्वेदिक गवेषणा की केन्द्रीय परिषद्

+

†*९५३. { **श्री कोडियान :**
श्री पद्म देव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक गवेषणा के लिये एक केन्द्रीय परिषद् की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या विचार प्रकट किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). लगभग सभी राज्य सरकारें इस प्रस्ताव के पक्ष में थीं किन्तु बाद में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने यह निश्चय किया कि दवाओं की देशी पद्धति का विकास प्रत्येक राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिये। अतः फिलहाल इस परिषद् की स्थापना करना आवश्यक नहीं समझा गया।

†**श्री कोडियान :** इस वर्ष जनवरी में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बैठक ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की थी कि दवाइयों की देशी पद्धति में गवेषणा करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्री करमरकर :** केन्द्रीय सरकार तो आयुर्वेदिक संस्थाओं को ऊंचा उठाने और आयुर्वेद में गवेषणा के रूप में सहायता दे रही है। देशी पद्धति में गवेषणा और आयुर्वेद को सहायता के रूप में निम्न प्रकार से व्यय किया गया था :

		रुपये
१९५४–५५	लगभग	१२,८२,०००
१९५६–५७ . .	”	१०,२०,०००
१९५७–५८	”	१६,२३,०००

श्री पद्म देव : क्या मैं जान सकता हूं कि जब कि और कलाओं के समर्थन के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट में इस प्रकार की योजनायें चल रही हैं— जैसे संगीत और दूसरी कलायें हैं— तो क्या मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित प्राचीन आयुर्वेदिक तरीका-ए-इलाज के लिये सैन्टर अपना फ़र्ज़ इतना

---

†मूल अंग्रेजी में

ही समझता है कि वह स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पैसा दे दे और डिस्पेंसरियां बढ़ा दी जायें, लेकिन क्या सिस्टम को दुरुस्त करने के लिये और उस के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

श्री करमरकर : जैसा मैंने अंग्रेजी में बताया है, खास तौर से दो रीतियों से सेंटर से इस सिस्टम को सहायता दी जाती है—एक तो संशोधन के लिये और दूसरे आयुर्वेदिक क्षेत्र में विद्यमान संस्थाओं की ताकत बढ़ाने के लिये। मैंने अभी अर्ज़ किया है कि हम ने कितना पैसा दिया है और सैकंड फाइव इयर प्लान में एक करोड़ की योजना है।

†**अध्यक्ष महोदय :** कला के छात्रों को छात्रवृत्ति आदि दी जाती है। इसी प्रकार जहां तक आयुर्वेदिक डाक्टरों का सम्बन्ध है, उन्हें कुछ प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता ?

†**श्री करमरकर :** जामनगर में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र है जिसमें हम आयुर्वेद के स्नातकों को लेते हैं। उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है और व्यय सरकार उठाती है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के किसी सदस्य का देशी पद्धति से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ?

†**श्री करमरकर :** केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के दो सदस्य विभिन्न राज्यों में मंत्री हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वहां ये आयुर्वेद पद्धति में प्रेक्टिस कर रहे हैं ?

†**श्री करमरकर :** ये सभी मंत्री हैं। नहीं कह सकता कि उनमें से कोई आयुर्वेद का डाक्टर भी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री होने के अतिरिक्त वे क्या करते हैं ?

†**श्री करमरकर :** यह गलतफहमी है। मेरे माननीय मित्र की धारणा यह जान पड़ती है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् कोई अलग चीज़ है। इसमें केवल राज्यों के मंत्री ही हैं। जब कभी वे यहां आते हैं तो अपने विशेषज्ञ साथ में लाते हैं, चाहे वे एलोपैथी पद्धति के हों अथवा आयुर्वेद के ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने कहा है कि आयुर्वेदिक स्नातकों को वरीयता दी जा रही है। हाल में लखनऊ विश्वविद्यालय में जब उन्हें आयुर्वेद के स्नातकों की आवश्यकता थी तो उन्होंने एम० बी० बी० एस० लोग मांगे थे।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह मंत्री महोदय को बता दें।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मैं जानना यह चाहता हूं कि इसे किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। छात्रों को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।

†**अध्यक्ष महोदय :** केन्द्रीय मंत्री इसके इच्छुक हैं कि आयुर्वेद के डाक्टरों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। यदि कोई वैयक्तिक मामला ऐसा है जिसमें माननीय सदस्य यह समझते हों कि इस पद्धति को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, तो वह उसकी सूचना मंत्री महोदय को दे दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर :** आयुर्वेद में गवेषणा की केन्द्रीय परिषद् के अन्तिम निर्णय में क्या इस आशय का कोई प्रस्ताव है कि चिकित्सा गवेषणा की भारतीय परिषद् में एक आयुर्वेद गवेषणा विभाग भी रहे ?

†**श्री करमरकर :** चिकित्सा गवेषणा की भारतीय परिषद् के तत्वावधान में भी कुछ गवेषणा की जा रही है । किन्तु चिकित्सा गवेषणा की भारतीय परिषद् के अन्तर्गत आयुर्वेद में बड़े पैमाने पर गवेषणा करने का कोई विचार नहीं है ।

†**डा० सुशीला नायर :** चिकित्सा गवेषणा की भारतीय परिषद् में गवेषणा कार्य कौन करता है ? क्या आयुर्वेद के विशेषज्ञों का इससे कोई सम्बन्ध है अथवा गवेषणा मामूली डाक्टरों द्वारा आधुनिक औषधियों में ही की जा रही है ?

†**श्री करमरकर :** जहां तक चिकित्सा गवेषणा की भारतीय परिषद् का सम्बन्ध है, वह औषधि गवेषणा की कुछ योजनाओं, जिनमें देशी औषधियां भी सम्मिलित हैं, में सहायता करती हैं । आयुर्वेद का निबटारा चिकित्सा गवेषणा की भारतीय परिषद् द्वारा न किया जा कर भारत सरकार द्वारा किया जाता है । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं हम गवेषणा संस्थाओं को, जैसे कि जामनगर में है, सहायता देते हैं । हम आयुर्वेदिक संस्थाओं को ऊंचा उठाने के लिये भी सहायता देते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीया सदस्या यह जानना चाहती हैं कि क्या आयुर्वेदिक औषधियों में भी गवेषणा की जाती है और गवेषणा आयुर्वेदिक डाक्टरों द्वारा की जाती है ।

†**श्री करमरकर :** जामनगर संस्था में गवेषणा आयुर्वेद के डाक्टरों द्वारा की जाती है । निस्सन्देह निष्कर्षों की तुलना करने के लिये आधुनिक औषधियों के डाक्टर भी रहते हैं अन्यथा गवेषणा विशष आयुर्वेद के पंडितों द्वारा की जाती है ।

श्री पद्म देव : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है । प्रश्न यह है कि क्या आयुर्वेद के समर्थन का कार्य डाक्टरों के ऊपर निर्भर है, जो कि इसको एक बिल्कुल रद्दी और नाकाबिल विश्वास समझते हैं या इसके लिये आयुर्वेद जानने वाले लोगों की ओर से जांच हो रही है ।

श्री करमरकर : जो संशोधन हो रहा है, वह आयुर्वेद के पंडितों के ज़रिये से हो रहा है । जो कार्य जामनगर में चल रहा है, वह खास तौर से आयुर्वेदिक पंडित करते हैं और कम्पेरेटिव रिज़ल्ट्स देखने के लिये वहां माड्र्न मेडिसन के डाक्टर भी हैं ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में बिजली से रेल चलाने की योजना

+

†*६५४. { **श्री वि० च० शुक्ल :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत् की कमी के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे के कोयला और लोहा क्षेत्र में बिजली से रेल चलाने के कार्यक्रम पर बड़ा बुरा असर पड़ा है ;

(ख) यह भी सच है कि उक्त कार्यक्रम इस विचार से तैयार किया गया था कि उसके लिये बिजली पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर विद्युत् केन्द्र से और उत्तर प्रदेश की रेंड परियोजना से प्राप्त होगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों से बिजली न प्राप्त होने के क्या क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर विद्युत् केन्द्र से उसके लिये बिजली उपलब्ध नहीं हो सकेगी, क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार पहले ही बिजली संभरित करने के कई वायदे कर चुकी है। तो भी, जैसा कि प्रश्न (क) के उत्तर में बताया गया है, दक्षिण पूर्व रेलवे के कोयला तथा लोहा क्षेत्र में बिजली से रेले चलाने के कार्यक्रम पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके लिये दामोदर घाटी निगम, हीराकुड और रेंड परियोजनाओं से पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : मैंने दक्षिण पूर्व रेलवे के सम्बन्ध में नहीं पूछा था। मेरे प्रश्न का सम्बन्ध तो दक्षिण पूर्वी कोयला तथा इस्पात क्षेत्र में बिजली से रेलें चलाने के कार्यक्रम से है जिसमें पूर्व रेलवे भी सम्मिलित है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बिजली से रेलें चलाने का कार्यक्रम तैयार करते समय यह समझौता किया गया था कि लगभग ११ करोड़ रुपयों की लागत पर ट्रांसफार्मर स्वयं निर्माणकर्ताओं द्वारा संभरित किये जायेंगे परन्तु अब उन्होंने यह कह दिया है कि रेलवे स्वयं अपने खर्च पर इन ट्रांसफार्मरों को लगाये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इन ट्रांसफार्मरों के सम्बन्ध में मेरे पास ब्योरे नहीं हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस बारे में पूर्व रेलवे में चार योजनाऐं और दक्षिण पूर्वी रेलवे में तीन योजनायें थीं। इन योजनाओं में से कुल चार योजनायें मंजूर की गयी हैं । वे लाइनें हैं :—दुर्गापुर-मुगलसराय जिस में प्रातकंड भी सम्मिलित है, आसनसोल–टाटानगर, रुरकेला, खड़गपुर-टाटानगर और एक चौथी लाइन जिसे मैं अभी बता दूंगा । सभी लाइनों के लिये कुल १७७ मेगावाट की आवश्यकता है, और इन चार लाइनों के लिये ११२ मेगावाट की आवश्यकता है । ट्रांसफार्मर्ज के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न का मैं इस समय उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : मैं तो विशेष रूप से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ट्रांसफार्मर विद्युत् उपकरणों के निर्माताओं द्वारा दिये जायेंगे या कि रेलवे मंत्रालय द्वारा खरीदे जायेंगे और यह कि क्या वे मूल प्राक्कलन में सम्मिलित थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

†**श्री पाणिग्रही** : इन विद्युत्तीकरण कार्यक्रम के लिये कुल कितनी बिजली की आवश्यकता है और इसे किस किस स्रोत से प्राप्त किया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उसके लिये १७७ मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। ११२ मेगावाट बिजली तो वित्तीय पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गयी परियोजनाओं के लिये तत्काल आवश्यकता है, और इतनी बिजली संभरित करने के लिये उन्होंने वायदा कर लिया है ।

† **श्री पाणिग्रही** : विद्युत्तीकरण कार्यक्रम की क्या स्थिति होगी ?

† **अध्यक्ष महोदय** : हीराकुड से कितनी बिजली प्राप्त होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

† **श्री सें० वें० रामस्वामी** : उसके लिये ४५ मेगावाट की आवश्यकता होगी, उस में से २५ मेगावाट बिजली हीराकुड द्वारा संभरित की जायेगी।

† **श्री वि० च० शुक्ल** : पहले विद्युत्तीकरण कार्यक्रम में लगभग ८०० मील का क्षेत्र था। बाद में उसे बढ़ा कर १,४३४ मील कर दिया गया था। क्या १,४३४ मील के उस क्षेत्र में से रेलें चलाई जायेंगी? नहीं तो, क्या इन क्षेत्रों में कोयला तथा इस्पात के उत्पादन लक्ष्यों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा?

† **श्री सें० वें० रामस्वामी** : इतनी अधिक बातें एक ही प्रश्न में पूछ ली गयी हैं। इन सभी का उत्तर कठिन..........

† **अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता। यह तो वास्तव में एक सुझाव है। यह कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य माननीय मंत्री के पास अपना नोट लिख कर भेज सकते हैं।

द्वितीय नावांगण[1] का निर्माण

+

†*९५५. { **श्री सूपकार** : **श्री कुन्हन** : **श्री रघुनाथ सिंह** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के द्वित्तीय नावांगण के निर्माण के लिये जापान ने कितनी और किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) इस सहायता से उत्पादन क्षमता को कितना बढ़ाया जायेगा?

† **परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). द्वित्तीय नावांगण के निर्माण क लिये जापान ने इस प्रकार की किसी भी सहायता का प्रस्ताव नहीं किया है। पर हां, अप्रैल, १९५८ में जापान की जहाज़ निर्माता सन्था से यह पत्र प्राप्त हुआ था कि वे भारत में तट प्रविधिक दल भेजने क लिये तैयार हैं जो कि भारत की स्थानीय परिस्थितियों तथा अन्य बातों का अध्ययन करेगा और कोई ऐसे तरीके खोजेगा जिस से इस कार्य को जापानी सहयोग से प्रारम्भ किया जा सके।

† **श्री सूपकार** : क्या इस नावांगण के विकास के लिये जापानी सरकार अथवा यह संस्था कोई ऋण अथवा वित्तीय सहायता देने के लिय तैयार नहीं है?

† **श्री राज बहादुर** : यह प्रस्ताव तो जापान की जहाज़ निर्माता सन्था की ओर से था। प्रस्तुत की गयी शर्तें ये हैं---४५ : ५५ अथवा ४९ : ५१ तक के आधार पर धन विनियोजन, छोटे यात्री जहाज़ों का निर्माण, तटवर्ती जहाज़ों तथा बन्दरगाहों में काम करने वाली अन्य नौकाओं का निर्माण। प्रस्तुत की गयी प्रस्थापना यह थी कि वे २ करोड़ की राशि में से १ करोड़ रुपये तक की राशि लगा सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Construction of Second.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जापान के अलावा और भी किसी से शिपयार्ड के वास्ते आपकी बातचीत हुई है ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य को विदित है कि अभी जो यू० के० मिशन की रिपोर्ट है वह विचाराधीन है । उस पर कोई निर्णय होने के बाद इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जाएगी ।

† **श्री च० द० पांडे** : यदि जापान के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो क्या इसे अन्य सभी टेण्डरों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जायेगी ?

† **श्री राज बहादुर** : मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि द्वित्तीय नावांगण के स्थान के संबंध में फैसला होते ही सर्वप्रथम यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि इस विशेष परियोजना को कार्यान्वित कैसे किया जाये । परन्तु यह प्रस्ताव तो एक अलग प्रस्ताव है ।

† **श्री राधेलाल व्यास** : क्या सरकार ने द्वित्तीय नावांगण के निर्माण सम्बन्धी रूप रेखा तैयार कर ली है ताकि उसे जापानी संस्था के सामने रखा जा सके ?

† **श्री राज बहादुर** : वास्तव में बात यह है कि जापानी संस्था इस प्रस्थापित नावांगण के स्थान तथा अन्य बातों का परीक्षण करने के लिये चार विशेषज्ञों का एक दल यहां भेजना चाहती थी । हमने उससे यह निवेदन किया था कि हम जब तक ब्रिटिश मिशन के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में निर्णय नहीं कर लेते तब तक वह इस मामले को रोक ले ।

† **श्री राधेलाल व्यास** : मेरा प्रश्न यह था कि भारत सरकार ने इस नावांगण के संबंध में कोई रूप रेखा तैयार कर ली है जिसे कि जापानी दल के सामने रखा जा सके ?

† **श्री राज बहादुर** : भारत सरकार ने इस प्रकार की कोई रूप रेखा तैयार नहीं की है ।

† **श्री सूपकार**: ब्रिटिश विशेषज्ञ मिशन का प्रतिवेदन इस समय सरकार के विचाराधीन है । क्या जापानी संस्था हमारी इच्छा के अनुसार कहीं पर भी नावांगण स्थापित करने में हमारी सहायता करने के लिये तैयार है, अथवा क्या यह संस्था केवल भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापार चलाने के लिये ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही है ?

† **श्री राज बहादुर** : प्रस्ताव पर अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद ही हम अधिमान के प्रश्न और सहयोग की सीमा के सम्बन्ध में निर्णय कर सकेंगे । इस समय यह बताना कठिन है कि उस प्रस्ताव को हम कहां तक स्वीकार कर सकेंगे ।

† **श्री पाणिग्रही** : क्या विशेषज्ञों ने इस सम्बन्ध में अनुमान लगाया है कि यदि नावांगण लोहे और कोयले के क्षेत्रों में स्थापित हो तो उस स्थिति में उस पर कुल कितना खर्च आयेगा और यदि किसी दूसरे स्थान पर स्थापित किया गया तो उस स्थिति में कितना खर्च आयेगा ?

† **श्री राज बहादुर** : यदि माननीय सदस्य का संकेत ब्रिटिश मिशन और उसके प्रतिवेदन की ओर है, तो उत्तर यह है कि उस मिशन ने पांच स्थानों को अधिकार दिया है और उन्हीं स्थानों पर आने वाले खर्चों के सम्बन्ध में अपने प्राक्कलन दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दामानी** : क्या इस नावांगण पर आने वाले कुल खर्च, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता, इस सम्बन्ध में सहयोग देने क लिये विदेशी प्रस्तावों के सम्बन्ध में हिसाब लगाया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : यदि माननीय सदस्य नावांगण के निर्माण के संबंध में प्राक्कलनों के बारे में पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूं कि ब्रिटिश मिशन ने अपने प्राक्कलन दिये हैं। जहां तक उत्पादन के लक्ष्य का सम्बन्ध है, हमारा विचार है प्रारम्भ में ६०,००० टन का उत्पादन होगा, बाद में उसे बढ़ा कर १ लाख टन कर दिया जायेगा।

कृषक गोष्ठी[1]

†*९५६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खण्ड विकास प्राधिकारियों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे अपने नाम कृषक गोष्ठी के सदस्य के रूप में दर्ज करा सकते हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री सें० वें० कृष्णप्पा)** : इस प्रकार की कोई भी हिदायत जारी नहीं की गयी है ।

†**श्री पाणिग्रही** : कृषक गोष्ठी के द्वारा कितने कृषकों को प्रतिनिधिमण्डलों के साथ विदेशों में भेजा गया है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : कृषक गोष्ठी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी कृषक इस प्रकार से नहीं भेजा गया है। हो सकता है कि भेजे जाने के लिये किसानों को चुनते समय कोई ऐसा किसान भी चुना गया है जो कि कृषक गोष्ठी का सदस्य हो।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या सरकार ने 'कृषक गोष्ठी' नाम की कोई गैर-सरकारी संस्था का पुरोनिधान[2] किया है जिसके विभिन्न सम्मेलनों में भारत के विभिन्न भागों से कृषक आमन्त्रित किये जाते हैं ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं।

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या सरकार ने इस कृषक गोष्ठी को कोई वित्तीय सहायता दी है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : १९५६–५७ तथा १९५७–५८ के दो वर्षों में उसे वित्तीय सहायता दी गयी थी ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : कृषक गोष्ठी के लिये प्रतिनिधि किस आधार पर चुने जाते हैं ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : यह प्रश्न तो कृषक गोष्ठी से पूछा जाना चाहिये । वह एक गैर-सरकारी संस्था है ।

कृषि अर्थशास्त्रियों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

\+

*९५७. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त–सितम्बर, १९५८ में मैसूर में कृषि अर्थशास्त्रियों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Farmer's Forum.

[2]Sponsored.

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि किस आधार पर चुने गये थे ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) कृषि अर्थशास्त्रियों की भारतीय सोसाइटी ने, अन्तर्राष्ट्रीय निकाय का एक भाग होने के कारण, कृषि अर्थशास्त्र में अध्ययन और अनुसंधान करने वाले विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों और अनुसंधानशालाओं से प्रार्थना की थी कि वे इस सम्मेलन में निमन्त्रण देने के लिए कृषि अर्थशास्त्रियों क नामों का सुझाव दें ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस सम्मेलन से क्या क्या लाभ हुआ है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** यह तो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों और प्रोफेसरों का एक सम्मेलन है और भारत में इस प्रकार का सम्मेलन होना ही हमारे देश के लिये पर्याप्त लाभकारी सिद्ध होगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन से किसी राष्ट्रीय सम्मेलन का भी सम्बन्ध है। यदि है, तो उस संस्था का क्या नाम है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** भारतीय कृषि अर्थशास्त्रियों की भारतीय सोसाइटी नामक एक संस्था है । उस संस्था और भारत सरकार ने ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आमन्त्रित किया था ।

†**श्री तंगामणि :** इस सम्मेलन में कितने भारतीय कृषि अर्थशास्त्रियों को प्रतिनिधि अथवा प्रेक्षकों के रूप में आमन्त्रित किया गया था ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा :** लगभग ६३ को आमन्त्रित किया गया था और लगभग ५० से अधिक ने भाग लिया था ।

दिल्ली में भूमि की चकबन्दी

९५९. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने गांवों में भूमि की चकबन्दी हो चुकी है ; और

(ख) बाकी गांवों में चकबन्दी का काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) । (क) २१० ।

(ख) बाकी गांवों में अगले वित्त वर्ष के शुरू में भूमि की चकबन्दी का काम पूरा आरम्भ करने की उम्मीद है और उस के बाद लगभग दो वर्षों में यह पूरा होगा ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जब यह चकबन्दी का काम शुरू किया गया था तो क्या उसके लिए कोई नियम बनाये गय थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : चकबन्दी के लिये पहले से नियम बने हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जब नियम बना लिये गये थे और उनमें बीच में रास्ता छोड़ने की बात थी, तो दिल्ली में चकबन्दी करते वक्त जो बहुत से गांवों में रास्ते नहीं छोड़े गये हैं, इसका का क्या कारण है ?

श्री अ० प्र० जैन : यह मैं नहीं कह सकता कि रास्ते नहीं छोड़े गये। जरूर छोड़े गये होंगे। लेकिन यह इतनी तफसील की बात है कि मेरे लिए इसका जवाब देना असम्भव है।

श्री स० म० बनर्जी : जिस तरह से यह चकबन्दी का कार्य किया जा रहा है उसके खिलाफ काफी आवाज़ सिर्फ़ दिल्ली में ही नहीं उठ रही है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी है। तो क्या प्रान्तीय सरकारों ने आपके पास इस बारे में कुछ लिखा है और क्या वह आपके जेरे गौर है ?

श्री अ० प्र० जैन : चकबन्दी का जो काम है वह पूरा राज्य सरकार के हाथ में है। हम ने तो खाली उनसे इस बात की सिफ़ारिश की है कि वह चकबन्दी जल्दी से जल्दी करें। किस तरह से करें, क्या उसके नियम हों, किसके जरिये से करें, यह बिल्कुल उनके अख्त्यार में है, इसके बारे में हम कोई दखल नहीं देते।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो चकबन्दी के अधिकारी हैं वे हर साल बदल दिये जाते हैं ?

श्री अ० प्र० जैन : इन बातों का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं ?

श्री बाल्योकी : क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में वह बात है कि जैसे हरिजनों की चकबन्दी चलती है उसमें उत्तर प्रदेश में हरिजनों के रहने की जगह छोड़ी जाती है। लेकिन दिल्ली में जबकि चकबन्दी चल रही है तब उनकी रिहायशी जगहों को हानि पहुंचाने की सम्भावना हो गई है, और उनके लिए जगह नहीं छोड़ी जा रही है, और क्या मन्त्री महोदय इसके लिये कुछ करना चाहते हैं ?

फल तथा शाक-सब्जी विकास बोर्ड

+

†*९६१. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के अधीन जो फल तथा शाक-सब्जी विकास बोर्ड नियुक्त किया गया था, उसने अब तक अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : फल, सब्जी और फूलों के अनुसंधान, विकास, पणन और परिरक्षण सम्बन्धी सामान्य नीति के मामलों पर कार्य करने के लिये दिसम्बर, १९५६ में एक फल और सब्ज़ी विकास समिति बनाई गई थी। इस समिति की अभी तक दो बैठकें

†मूल अंग्रेज़ी में

हुई हैं, पहली मार्च, १९५७ में और दूसरी दिसम्बर, १९५७ में। अब इस समिति का पद एक बोर्ड का कर दिया गया है और इसका नाम "उद्यान विकास बोर्ड" कर दिया गया है ।

[इसके पश्चात् उत्तर हिन्दी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् मैं जानना चाहता हूं कि जो पहले यह समिति थी और अब उसे बोर्ड बना दिया गया है, उस ने क्या सारे देश में फल और तरकारियों के विकास के लिये कोई ठोस योजना बनाई है, और अगर बनाई है तो उस की रूप-रेखा क्या है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : उसके उद्देश्य मैं टेबल पर रखता हूं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बोर्ड के पास कोई धन राशि रखी गयी है ताकि वह सीधे या राज्य सरकार की सहायता से इस काम को आगे बढ़ाये । और यदि रक्खी गई है तो इस काम के लिये कितनी रकम है ?

श्री अ० प्र० जैन : यह बोर्ड इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नीचे बना है । उस का काम है अनुसंधान करना, तजुर्बा करना और इस को फैलाने का काम कम्यूनिटी डेवेलपमेंट और राज्य सरकारों के ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या पंच वर्षीय योजना या किसी और शाखा के अन्तर्गत कोई रकम निश्चित की गई है ताकि फल और तरकारियों के विकास के लिये राज्य सरकारों को कोई अनुदान दिये जायें, या केन्द्रीय सरकार सीधे इस के बारे में कोई कार्रवाई कर रही है ?

श्री अ० प्र० जैन : इन चीजों को फैलाने और तरक्की देने का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है । कम्यूनिटी डेवेलपमेंट का बजट भी इस के वास्ते है और राज्य सरकारों के ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अन्दर विकास कार्य होता है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस बोर्ड का काम अनुसंधान करना है तो क्या बोर्ड अनुसंधान करता है या विशेषज्ञ अनुसंधान करते हैं ?

श्री अ० प्र० जैन : करते तो विशेषज्ञ हैं, प्रोग्राम बोर्ड बनाता है । दो साल में एक मर्तबा मिलता है, वह अनुसंधान कैसे करेगा ?

†**श्री रंगा :** क्या सारे देश में फलों के उत्पादन में रुचि लेने वाले व्यक्तियों को कोई विशेष सहायता दी जा रही है या दिये जाने की कोई सम्भावना है, और क्या उस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्यों में किसी योजना के अनुसार धन वितरण करने के लिये कोई विशेष बोर्ड स्थापित किया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** उद्यानों का विकास करना तो पंच वर्षीय योजना का एक भाग है । इस के लिये धन सीधे ही भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाता है—बोर्डों के अध्ययन से नहीं दिया जाता । मेरा अनुमान है कि पुराने उद्यानों के नवीकरण के लिये लगभग १५ रुपये से २० रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता दी गयी है । पौधे लगाने के लिये नये उद्यानों के लिये एक एकड़ के लिये ३०० रुपये दिये गये हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

श्री जगदीश अवस्थी : क्या इस अनुसंधान कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई अलग से अनुदान नहीं रक्खा है ?

अध्यक्ष महोदय : किस वास्ते ?

श्री जगदीश अवस्थी : अनुसंधान के लिये । अभी मंत्री महोदय ने कहा कि इस में रिसर्च वर्क किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि इस अनुसंधान कार्य के लिये कोई अनुदान अलग से रक्खा गया है या नहीं ?

श्री अ० प्र० जैन : इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के पास रुपया है, उसके पास अपने फंड्स हैं। जो भी रिसर्च वह मंजूर करता है, या जो भी कार्य होता है उस के लिये उस में से वह जितना जरूरी और मुनासिब रुपया समझता है, देता है ।

विदेशी पर्यटकों के लिये विशेष कूपन योजना

†*९६२. { **श्री हेम बरुआ :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के लिये विशेष कूपन योजना के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसे कब लागू किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारत सरकार द्वारा लगाये गये आयात प्रतिबन्ध के कारण कैमरों की फिल्मों, पाइप, तम्बाकू और मदिरा आदि की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति में विदेशी पर्यटकों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, पर्यटक विभाग आयात के मुख्य नियन्त्रक के परामर्श से एक प्रस्थापना पर विचार कर रहा है, जिस में यह विहित है कि विदेशी पर्यटकों को भारत में पहुंचते ही विभिन्न पर्यटक दफ़्तरों द्वारा कूपन जारी कर दिये जायेंगे ताकि वे पर्यटक विभाग द्वारा इस काम के लिये स्वीकृत दुकानों से एक सीमा तक वस्तुएं खरीद सकें । ये दुकानें इन कूपनों पर ही वस्तुएं बेचेंगी और अपने पास उनका पूरा हिसाब रखेंगी । पर्यटक अशुद्ध कूपन सीमा प्राधिकारियों के हवाले कर दिये जायेंगे और उस सम्बन्ध में उनके पार पत्र में उनको दर्ज कर दिया जायेगा । दुकानदारों को एकत्रित कूपनों के आधार पर उक्त तीन वस्तुओं के आयात के लिये विशेष कोटा दिया जायेगा । इस प्रयोजन के लिये आर्थिक कार्य विभाग की अनुमति से आवश्यक विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था की गयी है ।

क्योंकि इस योजना के ब्यौरे अभी तक तय नहीं किये गये हैं, इसलिये आशा है कि यह योजना इस वर्ष के समाप्त होने से पहले लागू नहीं की जा सकेगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण से पता चलता है कि विदेशी पर्यटकों की फोटोग्राफी की फिल्मों, पाइप के तम्बाकू और शराब की अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिये सरकार 'कूपन सिस्टम' लागू करना

† मूल अंग्रेजी में

चाहती है । क्या विदेशी पर्यटकों की अतिरिक्त आवश्यकता की उच्चतम सीमा निर्धारित की जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** इन तीन वस्तुओं के लिये प्रत्येक व्यक्ति को २५० रुपये से अधिक के कूपन नहीं दिये जायेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय इस योजना की कार्यान्विति के लिये २० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का आवंटन करेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** जी हां ।

†**श्री कासलीवाल :** शायद माननीय मंत्री को मालूम होगा कि दो वर्ष पूर्व यात्रियों के लिये रुपयों के 'चेक' का सिस्टम लागू किया गया था ? अब विशेष कूपन योजना को चालू करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** यात्री चेक तो भारतीय यात्रियों अथवा भारत से बाहर जाने वाले यात्रियों के फायदे के लिये थे । इस 'कूपन' योजना का उद्देश्य तो विदेशी पर्यटकों की फिल्मों, तम्बाकू और शराब की आवश्यकता सम्बन्धी कठिनाई को दूर करना है ।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या सरकार को विदित है कि पर्यटकों की मूल कठिनाई मद्यनिषेध कानून , रेलवे की यात्रा का स्तर ठीक न होने, भोजन व्यवस्था ठीक न होने और मुफस्सिल क्षेत्रों में अच्छे होटलों के अभाव के कारण होती है ? सरकार इन सब में सुधार करने का कहां तक प्रयत्न कर ही है ? इतना ही पर्याप्त नहीं कि उन्हें शराब के कूपन दे दिये जायें। वे अपने कमरे में बैठ कर ही शराब पी सकते हैं परन्तु यात्रा करते समय अपने भोजन के साथ शराब नहीं पी सकते ।

†**श्री राज बहादुर :** यह कहा गया कि हमारे यहां रेल यात्रा सन्तोषजनक नहीं है । मेरा ख्याल है कि हमारी रेलों में वातानुकूलित गाड़ियों की यात्रा संसार भर में सर्वोत्तम मानी जाती है । छोटे नगरों में होटल व्यवस्था ठीक नहीं, इसे मैं स्वीकार करता हूं । हमारे डाक बंगलों और विश्राम गृहों में काफी सुधार की जरूरत है । इसकी ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है और राज्य सरकारों से कहा गया है कि डाक बंगलों के प्रबन्ध तथा उन में फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने के मामले को अधिक महत्व दिया जाये । मद्यनिषेध के बारे में तो सभी जानते हैं । हमारे संविधान के निदेशक तत्वों में इसकी व्यवस्था की गई है ।

†**श्री च० द० पांडे :** निदेशक तत्व हमारे लिये है, उन के लिये तो नहीं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** पर्यटकों के लिये तम्बाकू और इस किस्म की शराब जो वे पीते हैं छोटे नगरों के डाक बंगलों और विश्रामालयों (रेस्ट हाउस) में रखी जानी चाहिये । क्या इस प्रकार का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** पहले पहल हम १५ प्रमुख कस्बों में तम्बाकू, फिल्में और अन्य वस्तुयें प्राप्त करने की सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे और यदि हमारा यह प्रयोग सफल रहा तो हम इसे अन्य स्थानों पर भी लागू करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० द० पांडे :** मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। पर्यटकों की सब से बड़ी कठिनाई यह है कि उन्हें खाने के साथ शराब नहीं दी जाती और बिना शराब के वे खाना नहीं खा पाते ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री सा० क० पाटिल)** : विभिन्न राज्यों में मद्य निषेध के कानूनों के कारण बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और इसी कारण पर्यटक कम संख्या में आते हैं। हम राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं कि मद्यनिषेध कानून के उपबन्धों के भीतर रहते हुये पर्यटकों को जो भी सुविधायें दी जा सकती हैं दी जायें । हमारी राय तो यही है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** यह बड़ी विचित्र बात है, हम पर्यटकों और उनकी सुविधाओं की चिन्ता कर रहे हैं और उधर लोग भूखों मर रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इन 'कूपनों' का वितरण कहां होगा यहां या विदेशों में जानकारी केन्द्रों में ?

†**श्री राज बहादुर** : प्रादेशिक पर्यटन कार्यालयों में और यदि आवश्यक हो तो वैसे भी दिये जा सकते हैं ।

पर्यटकों के लिये रहने का स्थान

†९६३. **श्री राधा रमण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली अथवा अन्य स्थानों पर ऐसे स्थानों की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया था जहां खर्च दे कर मेहमान रह सकें ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या अन्य स्थानों पर भी ऐसी व्यवस्था करने का विचार है ; और

(घ) क्या पर्यटन कार्यालयों ने ऐसे स्थानों का चुनाव करने और खर्च निर्धारित करने की कोई प्रक्रिया निश्चित की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). खर्च दे कर मेहमान रहने की योजना को भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों ने केवल दिल्ली और कलकत्ता में ही प्रयोग किया था । परिणाम काफी संतोषजनक रहा इसलिये दिल्ली पर्यटन कार्यालय अपने इन स्थानों की वृद्धि करने के बारे में विचार कर रहा है । कलकत्ता में यह प्रयोग सफल नहीं हुआ इसलिये कलकत्ता कार्यालय से संलग्न प्रादेशिक पर्यटन मंत्रणा समिति ने यह राय दी कि यह योजना कलकत्ता में नहीं चल सकती । अभी किसी और स्थान पर इस योजना को अमल में लाने का कोई विचार नहीं है ।

(घ). दिल्ली में निम्नलिखित आधार पर उन स्थानों का चुनाव किया जाता है जहां खर्च दे कर मेहमान रह सकें ;

(१) मकान कहां स्थित है और जिन कमरों में पर्यटक रहेंगे उनके लिये रास्ता कैसा है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

(२) कमरा कितना बड़ा है और इसमें फर्नीचर कितना है, गुसलखाना है और कमरा हवादार हो और वहां बेपर्दगी न हो ।

(३) अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है जैसे कि परिवार का जीवन स्तर कैसा है, परिवार में कितने व्यक्ति हैं और क्या वह स्थान विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्त है ।

खर्च पर्यटन कार्यालय निर्धारित नहीं करता है परन्तु यदि खर्च अधिक लिया जा रहा हो तो सम्बन्धित व्यक्तियों से निवेदन कर दिया जाता है कि उसे कुछ कम कर दें। औसतन प्रत्येक व्यक्ति से सोने के स्थान और नाश्ते के लिये १५ रुपये और पति पत्नि से २० से २५ रुपये तक ।

†**श्री राधा रमण** : उत्तर में कहा गया है कि दिल्ली में यह व्यवस्था संतोषजनक रही और ऐसे स्थानों की संख्या बढ़ाने का विचार किया जा रहा है । दिल्ली में ऐसे मकानों की संख्या क्या है जहां खर्चे पर मेहमान रखे जाते हैं और उनकी संख्या में कितनी वृद्धि की जा रही है और आज तक कितने लोगों ने इस से फायदा उठाया ?

†**श्री राज बहादुर** : सूची के अनुसार हमारे पास इस समय ऐसे १४ घर हैं जहां ४७ व्यक्तियों को रखा जा सकता है । इस समय उन लोगों की ठीक-ठीक संख्या बताना तो संभव नहीं कि कितने लोगों ने फायदा उठाया परन्तु वह काफी पसन्द किये जाते हैं और उनकी माग बढ़ती जा रही है । इस लिये हम ने समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये हैं जिस से इन की संख्या बढ़ाई जा सके ।

†**श्री राधा रमण** : यद्यपि उत्तर में कहा गया है कि सरकार अन्य स्थानों पर यह योजना लागू नहीं करना चाहती तथापि क्या बम्बई और मद्रास को इस योजना में शामिल करने का विचार किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : पहले अनुपूरक प्रश्न में मेरा अभिप्राय दिल्ली से था । कलकत्ता में यह प्रयोग सफल नहीं हुआ । बम्बई में यह प्रयोग करने का विचार है परन्तु मद्रास में अभी नहीं ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा में ताजमहल होने के कारण जो टूरिस्ट्स लोग आगरे में आते हैं उनके वास्ते कुछ इस किस्म की पेइंग गेस्ट एकामोडेशन बनाने का इरादा है ?

श्री राज बहादुर : आगरे में अगर माननीय सदस्य खुद अपनी कोठी में से कुछ भाग इसके लिये दे दें तो इस तरह का प्रबंध करने के बारे में सोचा जा सकता है ।

सेठ अचल सिंह : मैं देने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

हिमाचल प्रदेश के जंगलों में अग्निकांड

९६४. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, १९५८ के मास में हिमाचल प्रदेश के जंगलों में विनाशकारी अग्निकांड हुए थे ; और

(ख) सरकार ने आग को बुझाने के लिये क्या उपाय किये ?

---

† मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जंगल की उन आगों का असर जो जून, १९५८ में लगीं थीं, शिमले सर्किल के लगभग ९४५० एकड़ में, सिरमूर सर्किल के ५४०० एकड़ में और चम्बा सर्किल के १०,९६० एकड़ में हुआ था ।

(ख) ये आगें जंगल के राइट होलडर्ज़ और आस पास के गांवों के रहने वालों की मदद से बुझाई गई थीं । जहां पर ये आगें तहसील या ज़िले के मुख्यालयों के पास लगीं थीं, वहां पर राजस्व और पुलिस कर्मचारियों की भी इस में मदद ली गई थी ।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि यह आग लगाई गई थी या खुद जंगल में पैदा हुई ?

श्री अ० प्र० जैन: कुछ लगाई गई थी और कुछ लग गई ।

श्री पद्मम देव : क्या मंत्री महोदय को यह बात मालूम है कि जिस वक्त जंगल में आग लगी उस वक्त सरकारी कर्मचारी गांव में अपने दूसरे अफसरों से इज़ाज़त मांग रहे थे और गांव के लोग जैसे पहले आगें बुझाने जाते थे, कोई नहीं गये और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि शाम तक जंगल जहां तक जला होता था दूसरे दिन उससे बहुत आगे तक जला होता था ? क्या इसके बारे में कोई जांच की जायेगी ?

श्री अ० प्र० जैन : यह तो सच है कि गांव वाले अपने मवेशियों को जंगल में चराना चाहते हैं लेकिन उनकी हिफ़ाज़त करना नहीं चाहते और यह भी सच है कि गांव वाले स्वयं जंगल में आग लगा बैठते हैं क्योंकि उसके बाद घास अच्छी उगती है और उनके मवेशियों को ज्यादा अच्छा चारा मिलता है । वैसे यह बहुत बुरी बात है और ऐसा करके गांव वाले देश को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं । उन को जंगल की हिफ़ाज़त करनी चाहिये ।

श्री पद्मम देव : मंत्री महोदय ने जो यह फरमाया है वह बहुत ही मुनासिब बात कही है लेकिन लोगों के अन्दर इसकी भावना पैदा करने के लिये सरकार ने कुछ यत्न भी किया है या उनको और ज्यादा उकसाने की कोशिश की है ताकि वे जलाने का ही काम करें ?

श्री अ० प्र० जैन : हम तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं कुछ लोग इसको बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं । अब माननीय सदस्य मंत्री रह चुके हैं और वहां के बहुत ही असर वाले आदमी हैं वे ज़रा उनसे कहेंगे और उनको समझायेंगे तो उन पर बड़ा असर पड़ेगा ।

श्री पद्म देव : अध्यक्ष महोदय.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को भी सहयोग देना चाहिये । एक मंत्री सारे हिमाचल प्रदेश को तो नहीं देख सकता जब कि वहां पर माननीय सदस्य भी हैं जो उनका हाथ बटा सकते हैं ।

श्री पद्म देव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । यह तो ठीक है कि यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम लोगों को इस तरीक़े से समझायें लेकिन जो लोग कसूरवार हैं क्या सरकार ने कभी उनको उचित दंड देने का भी प्रयत्न किया है । देखा यह जाता है कि जो केसेज़ फंसते भी हैं वे बिगाड़ दिये जाते हैं और इस तरीके से जब केस ऊपर जाता है तो वह छुट जाता है और इसका लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

---

† मूल अंग्रेज़ी में

श्री अ० प्र० जैन : अभी हाल तक माननीय सदस्य वहां पर मिनिस्टर थे और मुझे यकीन है कि उन्होंने जरूर यह प्रयत्न किया होगा और अपराधियों को उन्होंने उचित दण्ड दिया होगा।

श्री पद्म देव : मेरे वक्त में कोई आग नहीं लगी थी वरना में सख्त दण्ड देता।

सवारी गाड़ियों में लूट

+

†*९६५. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ मई, १९५८ को नकसलबड़ी और बतासी स्टेशनों (पूर्वोत्तर) के बीच उपद्रवियों ने एक सवारी गाड़ी को रोक कर यात्रियों को लूट लिया ;

(ख) क्या यह सच है कि उन स्टेशनों के बीच अथवा उनके पास अन्य दो स्टेशनों पर ऐसी घटनायें पहले भी हुई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की संख्या क्या है और यात्रियों अथवा रेलवे की कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी :)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). उस क्षेत्र में १९५६ में एक घटना हुई थी जिसमें यात्रियों को १,४९५ रुपये की हानि हुई और १९५७ में तीन घटनाओं में ४,७१०।८।– रुपये की हानि हुई। रेलवे को कोई हानि नहीं पहुंची।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : गत दो वर्ष में ऐसी चार घटनायें हुई हैं। इन्हें रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल अपराधियों को पकड़ने के उपाय कर रही हैं ?

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस छापे में कोई यात्री घायल हुआ था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : २६–५–१९५८ को नं० २२ डाऊन पैसेंजर ट्रेन में जो घटना हुई थी उस समय रेल के डिब्बे में चार यात्री थे। छ : सात डाकुओं ने जंजीर खींच दी और जब गार्ड वहां पहुंचा तो चारों यात्री घायल पड़े हुए थे।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस बात को देखते हुए कि पुलिस केवल उन्हीं मामलों में कार्यवाही करती है जिनकी सूचना उसे दी जाती है क्या सरकार ने एक परिपत्र जारी किया कि किसी भी स्टेशन पर इस प्रकार की घटना होने पर स्थानीय पुलिस ही कार्यवाही करेगी ? यह परिपत्र सब जगह भेजा गया है? और यह कब से लागू होगा ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** जहां तक मुझे ज्ञात है ऐसा कोई परिपत्र नहीं भेजा गया है परन्तु इसके लिये हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं कि अपराधी शीघ्र पकड़े जायें और उन्हें दण्ड दिया जाये। यह विधि तथा व्यवस्था का मामला है और इसके लिये राज्य ही जिम्मेदार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि चलती गाड़ी में ऐसी घटना हो जाये तो यह विधि तथा व्यवस्था का मामला कैसे हुआ ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्योंकि डाकू जंजीर खींच कर जंगल में भाग जाते हैं जो राज्य के क्षेत्र में ही होता है। हम भी आखिर क्या कर सकते हैं। यह लाइन जंगल में से होकर जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसलिये गाड़ी में ही अतिरिक्त रहनी चाहिये। माननीय मंत्री इस पर विचार करें। माननीय सदस्य मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाते हैं तो यदि वह कहें कि यह विधि तथा व्यवस्था का मामला है इसलिये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार यह कहे कि यह रेलवे गाड़ी से संबंध रखता है इसलिये केन्द्रीय सरकार ही इसे देखे तो क्या फायदा ? पंछी उड़ गया तो उसे पकड़ने का प्रयत्न करने से क्या लाभ ? माननीय मंत्री इस समस्या को देखें। यह बड़ा गम्भीर मामला है। यदि रेल में यात्रा करना इतना खतरनाक हो गया तो लोग गाड़ी में बैठना छोड़ देंगे। माननीय मंत्री का बर्ताव ऐसा नहीं होना चाहिये।

†**श्री स० म० बनर्जी :** आप की जानकारी के लिये मैं यह भी बता दूं कि रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी गाड़ी में होते हैं।

†**श्री जगदीश अवस्थी :** जी० आर० पी० के व्यक्ति भी गाड़ी में होते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इन के रहते हुए भी यदि ऐसी घटनायें होती हैं तो माननीय सदस्यों के पास यदि कोई और सुझाव हों तो वे उन्हें माननीय मंत्री के पास भेज सकते हैं। इस से पता चलता है कि सरकार इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अलीगढ़ और हाथरस के बीच बरसाती पानी का जमाव

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७. सेठ अचल सिंह : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) भारी वर्षा के कारण अलीगढ़ और हाथरस के बीच तथा मथुरा, कोसी और पलवल के चारों ओर पानी के जमा होने से कलकत्ता और बम्बई का सड़क आवागमन रुक गया है, इस जमा हुए पानी को निकालने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में आमतौर पर जनता की सूचना के लिये और विशेष कर दूर से आने वाले मोटरकार यात्रियों के लिये पत्रों में क्या कोई विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अलीगढ़ और हाथरस के बीच तथा मथुरा, कोसी और पलवल के चारों ओर के देहाती क्षेत्रों में सर्वत्र बाढ़ का पानी भरा हुआ है। अलीगढ़ और हाथरस के बीच की सड़क

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रदेश की सड़क है और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर ही है । पलवल और मथुरा के बीच, राष्ट्रीय मार्ग नम्बर २ कई जगहों पर पानी में डूबा हुआ था और कोसी और मथुरा के बीच यातायात रुक गया था । यह सड़क का टुकड़ा २६ मील लम्बा है । पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा यहां पर आवश्यक नोटिस लगा दिये गये हैं और यात्रियों के आवागमन का रास्ता बदल कर अलवर और भरतपुर की ओर से कर दिया गया था । स्थिति अब कुछ सुधर गई है और मुसाफिरों की बसों को इस रास्ते से होकर गुजरने दिया जाने लगा है । पानी से डूबी हुई हर जगह पर रास्ता बताने और यातायात की सहायता करने वाली टोलियां तैनात कर दी गई हैं । तारीख ३ सितम्बर, १९५८ को केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् आयोग ने सिंचाई और सड़क के विशेषज्ञों का एक सम्मेलन इस क्षेत्र के पानी के बहाव के रास्तों को सुधारने के उपायों पर विचार करने के लिये इस उद्देश्य से किया था कि भविष्य में यहां ऐसी हालत पैदा न हो । सम्मेलन कुछ प्रयोगात्मक नतीजों पर पहुंचा है । इस समस्या का और अध्ययन करने के पश्चात् और पानी के बहाव के सम्बन्ध में एक आरम्भिक योजना तैयार करने के बाद इस सम्मेलन की अगले अक्तूबर में दुबारा बैठक होगी ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि पिछले दस वर्षों से अति वर्षा की वजह से प्रतिवर्ष यही दशा हो रही है जिसकी वजह से आम जनता और टूरिस्टों को दिल्ली आने जाने में काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है । अगर हां, तो पिछले दस वर्षों में अब तक क्या किया गया ?

श्री राज बहादुर : मुझे भी इस सड़क से आने जाने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिये कह सकता हूं कि पिछले दस वर्षों से तो नहीं, केवल एक बार ऐसा अनुभव हुआ था मथुरा और कोसी के बीच में ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** क्या यह सच है कि केवल सड़क पर ही नहीं बल्कि कलकत्ता और इस क्षेत्र के बीच मुख्य रेलवे लाइन के दोनों ओर क्षेत्र हैं जो पानी में डूबे हुए हैं और एक मास से इस २५ मील लम्बी लाइन पर गाड़ियों को बहुत कम रफ्तार पर चलना पड़ता था जिस के कारण एक मास से अधिक समय से काल्का मेल देर से आ रही है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में क्या किया है क्योंकि इस से रेल की पटरी को भी हानि पहुंची है ?

†**श्री राज बहादुर :** इस २६ मील के क्षेत्र के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने एक सम्मेलन बुलाया है और उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जो अन्तिम नहीं हैं । स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में औसतन २० इंच वर्षा होती है परन्तु इस वर्ष ३७ इंच हुई और सारे इलाके में बाढ़ आ गई जिस से बड़ी कठिनाई पैदा हो गई ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस क्षेत्र से पानी निकालने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है । यहां लगभग एक मास से पानी खड़ा है और बाढ़ कम होने की कोई आशा दिखाई नहीं देती । वहां से पानी निकालने के सिवाये और कोई चारा नहीं ।

†**श्री राज बहादुर :** रेल की पटरी, सड़क और आगरा नहर की स्थिति तीन समानान्तर रेखाओं की भांति है । एक ओर तो रेल की पटरी और सड़क के बीच के क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है । और दूसरी ओर सड़क और नहर के बीच के क्षेत्र में । केवल 'साइफन सिस्टम' से ही पानी निकाला जा सकता है जो नहर कुछ एक सक्शनों पर ही है परन्तु इस हिस्से में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। मैं जानना चहता हूं कि क्या ऐसा प्रयत्न किया जायेगा कि कम से कम अगली बरसात में यह तकलीफ न होने पाये ?

श्री राज बहादुर : मैं ने बतलाया कि जो २ ० इंच वर्षा हुई थी उसके कारण जो सड़क की सतह थी वह समतल हो गयी है। अब यह विचार है कि इस सड़क का स्तर ऊंचा किया जाये जिसकी वजह से जो फ्लड वगैरह का खतरा पैदा हो गया है वह नहीं रहेगा।

श्री ब्रज राज सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने अभी एक सम्मेलन का ज़िक्र किया है। क्या उस सम्मेलन ने कोई तुरन्त कार्रवाई करने के लिये सुझाव पेश किये हैं जिन से कि पानी निकल सके?

श्री राज बहादुर : उन्होंने कुछ टेंटेटिव कनक्लयूजन निकाले हैं। लेकिन जैसी स्थिति है उसमें यकायक कोई नतीजा नहीं निकल सकता।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सड़क के इन हिस्सों को ऊंचा किया गया, या पुलियां बनवाई गयीं या बारिश के पानी को ले जाने के वास्ते नाले खुदवाये गये ?

श्री राज बहादुर : मैं ने निवेदन किया कि स्थायी रूप से प्रबन्ध करने के वास्ते सड़क का लेविल ऊंचा करना होगा। यह काम भी दो स्टेजेज में होगा। पहली स्टेज में वह स्थान ऊंचा किया जायेगा जहां पानी बहुत ज्यादा भरता है और दूसरी स्टेज में वह स्थान ऊंचा किया जायेगा जहां पानी कम भरता है या नहीं भरता।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी यह देखने की कृपा करेंगे कि सड़क का लेविल ऊंचा करने में किसानों के खेत न डूब जायें।

श्री राज बहादुर : इसका भी ध्यान रखा जायेगा। इसका इलाज यह होगा कि पानी नहरों के नीचे से साइफनों के द्वारा निकाला जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एंटी-आक्सीडेंट प्रति-जारणकर्ता

†*९५८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूसा इंस्टीट्यूट में मिस्टिरा-मलबैरिका पौधे से जो ऐंटी-आक्सीडेंट्स (प्रति-जारण-कर्ता) तैयार किये गये क्या उनकी विषालुता का पता लगाने के लिये प्रयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(ग) आयात किये जाने वाले ऐंटी आक्सीडेंट (प्रतिजारणकर्ता) जैसे कि बी० एच० टी० की तुलना में इसकी विषालुता कम है या अधिक ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). मिस्टिका-मलबैरिया से प्राप्त पदार्थ जिसमें प्रति-जारक (ऐंटी आक्सीजिनिक) गुण काफी मात्रा में थे, विषालुता का पता

---

†मूल अंग्रेजी में

लगावे के लिये केन्द्रीय भेषज गवेषणा संस्था को भेज दिया गया था क्योंकि भारतीय कृषि गवेषणा की संस्था में ऐसे प्रयोगों के लिये उपयुक्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । इस बारे में प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) अमरीकी कृषि तथा भेषज प्रशासन ने बी० एच० टी० को ०.०२ प्रतिशत तक खाने वस्तुओं में मिलाना ठीक बताया है । मिस्टिका मलबैरिका से निकाले गये पदार्थ के बारे में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पश्चिम रेलवे में समाज-विरोधी तत्व

*९६०. **श्री डामर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम रेलवे की रेलगाड़ियों में समाज विरोधी लोग सामान बेचने के बहाने यात्रियों को ठगते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध रेलवे प्रशासन का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां, सिर्फ बड़ौदा डिवीजन के कुछ सेक्शनों पर ।

(ख) इस बुराई को खतम करने के लिये राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल मिल कर कार्रवाई कर रहे हैं ।

दो शायिकाओं वाली सोने की बर्थें[1]

†*९६६. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों के तीसरे दर्जे में दो शायिका वाली सोने की बर्थों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन मार्गों पर ; और

(ग) ऐसे डिब्बों की संख्या क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां, कुछ गाड़ियों में प्रयोगात्मक रूप से ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग)

बड़ी लाइन के डिब्बे	६
मीटर लाइन के डब्बे	८
कुल	१४

ट्रांसमिटर

†*९६७. **श्री हाल्दर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीटागढ़ गांव (पश्चिमी बंगाल) के थाने के निकट एक पैराशूट और एक ट्रांसमिटर गिरा जिस पर अमरीकी निशान थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Two-tiers sleeping Berths.

(ख) यदि हां, तो उस से क्या पता चला ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी नहीं। टीटागढ़ थाने के किसी गांव में अथवा के निकट कोई पैराशूट अथवा कोई औज़ार नहीं गिरा था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमान्, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वातावरण का दबाव, तापमान और वायु की दिशा आदि मौसमी हालात की जानकारी प्राप्त करने के लिये पैराशूट के सहारे जो उपकरण उड़ाया जाता है वह २० और २२ मई, १९५८ के बीच जिला २४ परगना, थाना अन्दंगा गांव उराला, कटियारा और दिक्पाल में गिरे हुए पाये गये थे।

बड़ी परियोजनाओं के लिये जनशक्ति

†*९६८. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनशक्ति निदेशालय ने देश की बड़ी परियोजनाओं के लिये टैक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बड़ी परियोजना जैसे कि हीराकुड, भाखड़ा और नागार्जुन कोंडा सागर के लिये कितने टैक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकता है?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तुंगभद्रा बांध परियोजना

†*९६९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुंगभद्रा बांध और हेम्पी में शीघ्र ही चार और बिजली पैदा करने वाले यूनिट लगाये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या द्वितीय योजना काल में ये लग जायेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तुंगभद्रा परियोजना की दूसरी स्टेज में ९,००० किलोवाट बिजली पैदा करने वाले ३ यूनिट लगाये जायेंगे जिन में से दो बांध बिजली घर के भीतर और एक हेम्पी बिजली घर में लगाया जायेगा। ये तीन यूनिट और ९,००० किलोवाट का एक यूनिट हेम्पी में, जिसकी प्रथम स्टेज के लिये स्वीकृति दे दी गई है परन्तु अभी मंगवाया नहीं गया है। ये सब मिलाकर तुंगभद्रा बिजली घरों के लिये चार यूनिट हो जाते हैं। इन चारों को लगाने में समय लगेगा।

(ख) क्योंकि तुंगभद्रा परियोजना का सम्बन्ध कोयले अथवा इस्पात के उत्पादन से नहीं है और न ही इसे बिजली की गाड़ियां चलाने में सहायता मिलने वाली है इस लिये चाहे यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल तो की गई है परन्तु इसे अत्याधिक महत्व नहीं दिया गया है। संभव है कि इसके लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध न हो अतः इस अवस्था में यह कहना कठिन है कि द्वितीय योजना काल में ये चार अतिरिक्त यूनिट लग जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

पलार नदी जल विवाद

†*९७०. **श्री तंगामणि :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २३ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पलार नदी जल विवाद की स्थिति इस समय क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** मद्रास सरकार ने सूचना भेजी है कि इस अवस्था में वे बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते ।

मोकामा में रेलवे पुल

†*९७१. **श्री अनिरुद्ध सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोकामा पुल के निर्माण के फलस्वरूप जो यातायात बढ़ने वाला था उसका पूर्वानुमान लगाते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने लाइन की क्षमता को बढ़ाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की तो वह क्या थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** जी हां, जंक्शन की व्यवस्था करना, दोहरी लाइन बिछाना, यार्डों को फिर से बनाना आदि कार्य किये जा रहे हैं अथवा विचाराधीन हैं ।

एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०—क]** उसमें उन कार्यों का उल्लेख है जो पहले से हो रहे हैं ।

निःशुल्क तार भेजने की सुविधा

†*९७२. **श्री बि० दास गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यात्रियों को निःशुल्क तार भेजने की सुविधा को पूर्व रेलवे पर हटा लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी :)** जी हां । मार्च, १९५६ से केवल पूर्व रेलवे पर ही यात्रियों को यह सुविधा थी कि वे गाड़ी न पकड़ सकने पर अपने संबंधियों को निःशुल्क तार भेज सकें । जून, १९५८ के मध्य में से यह सुविधा हटा दी गई ।

रायसिंहनगर का सब-पोस्टमास्टर

*९७३. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री राजस्थान के जिला गंगानगर के रायसिंहनगर के सब-पोस्टमास्टर द्वारा बचत बैंक लेखे से धोखे से धन निकलवाने के बारे में १८ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : रायसिंहनगर के उप पोस्ट-मास्टर श्री महेन्द्र सिंह को निचले न्यायालय द्वारा विमुक्त किये जाने के बारे में उच्च न्यायालय में दाखिल कया जाने वाला पुनरीक्षण-आवेदन-पत्र वास्तव में पेश नहीं किया गया था, क्योंकि राजस्थान सरकार के लीगल रिमेम्बरेंसर ने इस मामले का पुनरीक्षण कराया जाना उचित नहीं

†मूल अंग्रेजी में

समझा था। दूसरे मामले में पुलिस ने अपनी प्रथम-सूचना-रिपोर्ट में यह बताया कि यह मामला न्यायालय में सफल नहीं हो सकेगा। सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनी कार्यवाही की जा रही है।

गिर शेर

†*९७४. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र के गिर वनों में पशु पालने वाले लोग 'मरे हुए पशुओं' पर औषधी डाल कर 'फोलिडोल'[1] का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार 'सैक्चुअरी'[2] में कई शेर मर गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पशु पालने वालों ने बाद में मरे हुए शेरों को जला दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो जानवरों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). बम्बई सरकार से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उत्तर नकारात्मक है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खाद्यान्न की खरीद

†*९७५. **श्री रामम्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक सरकार ने कितना खाद्यान्न खरीदा है और उसका कितना मूल्य चुकाया है ; और

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने अपनी ओर से खरीद अथवा वसूली की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५८ में अब तक भारत सरकार ने अपने ही देश में खाद्यान्न की निम्नलिखित मात्रा खरीदी :

(१) चावल लगभग २,४३,३०० टन

(२) चना ,, २,००० टन

वसूली के भाव बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ख) जी हां, आसाम, बम्बई, केरल, मध्यप्रदेश, मैसूर, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल और मनीपुर तथा त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी ओर से खाद्यान्न की वसूली की थी।

रात की गाड़ियां

†*९७६. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में सिकंदराबाद से दरोनाचलम तक रात की गाड़ियों को फिर से चलाने के बारे में सरकार क्या योजनायें कार्यान्वित करना चाहती है ; और

(ख) इसे कार्यान्वित करने के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Folidol. [2]Sanctuary.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) दरोनाचलम-सिकन्दराबाद सैक्शन में गाड़ी पहाड़ी क्षेत्र से होकर जाती है जहां कई नाले हैं जिन में अचानक बाढ़ आ जाती है और वहां कई तालाब हैं जिनका निर्माण और देख-रेख अच्छी प्रकार नहीं होती। इन तालाबों के कारण और नालों में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण रेल की पटरी को अचानक हानि पहुंच सकती है इसलिये १९५७ के मानसून के मौसम में रात की सवारी गाड़ियां रोक दी गई थी और इस वर्ष भी मानसून के कारण २०-६-१९५८ से रोक दी गईं।

मानसून से पूर्व प्रत्येक वर्ष इस पर विचार किया जाता है कि रात की सवारी गाड़ियां पुनः चला दी जायें और रेल की पटरी पर कड़ी निगरानी रखी जाये परन्तु जब तक राज्य सरकार यह विश्वास नहीं दिलाती कि तालाबों से कोई हानि नहीं पहुंचेगी तब तक रात की गड़ियां चलाने में काफी कठिनाई होगी और हर बार इस पर विचार करना होगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सुरेमनपुर रेवती रेल मार्ग

†*९७७. **श्री राधे मोहन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री ९ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे के बलिया जिले में सुरेमनपुर और रेवती स्टेशनों के बीच घाघरा नदी के कटाव से रेल मार्ग की रक्षा करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : पूर्वोतर रेलवे के सुरेमनपुर और रेवती स्टेशनों के बीच रेल मार्ग की घाघरा नदी के कटाव से रक्षा करने के लिये निम्न कार्य आवश्यक समझे गये थे :

(१) स्टेशनों के बीच समरेखण करना।

(२) कटने वाले हिस्से के साथ साथ बुल्ले से जो पानी रसता रहता है उस पर भुजारोध[1] बनाना।

(१) कार्य २६ जुलाई १९५८ को पूरा हो गया था। जहां तक उपर्युक्त कार्य

(२) का संबंध है जिनका भुजारोधों को इस वर्ष बनाने का विचार था वे बनवा लिये गये हैं और सन्तोषजनक कार्य कर रहे हैं।

टिकोली रावतपुर स्टेशन पर डकैती

†*९७८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के रायबरेली-उन्नाव सेक्शन पर टिकोली-रावतपुर स्टेशन पर १८ जून, १९५८ की रात को एक सशस्त्र डाका पड़ा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाकुओं ने टिकटघर से सारा सरकारी रुपया लूट लिया और दो रेलवे कर्मचारियों को मार डाला जबकि और किसी को निकट नहीं आने दिया;

(ग) यदि हां, तो वास्तविक तथ्य क्या है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Spur.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) से (ग). १७/१८-६-१९५८ की लगभग आधी रात को अपराधियों के गिरोह ने टिकोली-रावतपुर स्टेशन पर हमला कर दिया एक कुली तथा एक भंगी को जो स्टेशन की देख रेख के लिये ड्यूटी पर थे उन्हें मार दिया। टिकटघर, रूपये रखने वाली सेफ और टिकट ट्यूब टूटी हुई पाई गई और २८४.८३ रु. गायब पाये गये।

(घ) मामले की सूचना उन्नाव पुलिस को दी गई थी जो उसकी जांच पड़ताल कर रही है। खबर मिलते ही तत्काल रेलवे संरक्षण दल के एक दस्ते को स्टेशन पर कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना बनी रहने के लिये तैनात कर दिया गया था।

स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

*९७९. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के गत वर्ष के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों के अधीन चिकित्सा कालेजों में काम करने वाले डाक्टरों को केन्द्रीय सरकार निजी रूप से डाक्टरी का धन्धा न करने का भत्ता दिया करेगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) किन राज्य सरकारों ने अब तक इस निर्णय को कार्यान्वित किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) स्वास्थ्य मंत्रियों के १९५७ के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि :

(१) सभी मेडिकल कालेजों के क्लीनिकल तथा नान-क्लीनिकल दोनों विभागों को मेडिकल कालेजों में पूरे समय तक पढ़ाने वाली एककों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत ले लिया जाये ; और

(२) इस पर होने वाला सारा अतिरिक्त खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करे।

(ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को उनके अधीन मेडिकल कालेजों के क्लीनिकल तथा नान-क्लीनिकल दोनों विभागों में पूरे समय तक पढ़ाने वाली ऐककों की स्थापना के लिये सहायता देने का निर्णय कर लिया है। केन्द्रीय सरकार १९५९-६० से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि तक राज्य सरकारों को उनके अधीन मेडिकल कालेजों में इस योजना की कार्यान्वित पर होने वाले अतिरिक्त आवर्तक खर्च का १०० प्रतिशत देगी।

(ग) इस योजना को वित्तीय वर्ष १९५९-६० से कार्यान्वित किया जाना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर

†*९८०. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर और मिड पेन्नार रेगुलेटर योजना, जिसकी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रस्थापना की थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने जहाज

†*९८१ **श्री गोरे :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अण्दमान" नामक जहाज़ के पूरे हो जाने के पश्चात हिन्दुस्तान शिपयार्ड में कितने जहाज़ बनाये गये ; और

(ख) क्या यह सच है कि अण्डमान के पश्चात् जो जहाज़ बनाये गये उनमें भी वही झुकने की खराबी आ गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) तीन ।

(ख) जी नहीं ।

गेहूं भरे वैगन

†*९८२. **श्री जाधव :**
श्री नाथ पाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कांदला पत्तन से बिहार के लिये भेजे जाने वाले गेहूं भरे वैगन पहले दिल्ली भेजे जाते हैं और तत्पश्चात् उन्हें बिहार भेजा जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** जी, नहीं ।

उत्तरी बिहार में धान की फसलों को क्षति

९८३. **श्री काशी नाथ पांडे :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राजा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह पता है कि उत्तरी बिहार में हज़ारों एकड़ में खड़ी हुई धान की फसल गुन्डी मक्खी ने नष्ट करदी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस विषय में किसी अन्य राज्य सरकार से सूचना मिली है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन मक्खियों को मारने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या यह सच है कि यदि इन मक्खियों को मारने के लिये तुरन्त उचित कार्यवाही न की गई, तो लाखों एकड़ भूमि में खड़ी हुई धान की फसल नष्ट हो जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) अन्तिम प्राप्त जानकारी के अनुसार गन्डी मक्खी ने उत्तरी बिहार की छोटी ज्वार और धान की फसल के लगभग १२६,००० एकड़ के क्षेत्र में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। लेकिन धान की फसल का क्षेत्र, जिसमें इसका असर हुआ है और इस बीमारी से हानि का अनुमान अभी मालूम नहीं है।

(ख) जी हां, आसाम, मनीपुर, एन० ई० एफ० ए० और पूर्वीय उत्तर प्रदेश।

(ग) राज्य और केन्द्रीय वनस्पति रक्षा संगठनों ने ज़मीन पर प्रयोग की जाने वाली मशीनों और वनस्पति रक्षा अवरोध और संचयन निदेशालय के द्वारा रखे हुए एक हवाई यूनिट की सहायता से बिमारी के क्षेत्र में कीटनाशक औषधियां छिड़कीं। कीट नाशक औषधियां और नियंत्रण का सामान किसानों में भी बांट दिया गया है और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ऋण के रूप में कीटनाशक औषधियों की बहुत बड़ी मात्रा और बहुत सी स्परेइंग और डस्टिंग मशीनें दी हैं। वनस्पति रक्षा अवरोध और संचय निदेशालय के टेक्निकल स्टाफ की सेवायें भी उनको उपलब्ध कर दी गई हैं।

(घ) अगर यह रोग बहुत संक्रामक हो तो काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि विशेषकर फसल पकने वाली है और दाना कोमल है।

कालपी के निकट यमुना नदी पर सड़क का पुल

*९८४. **श्री लच्छी राम** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे के कालपी स्टेशन के निकट यमुना नदी के पुल पर लकड़ी पाट कर सड़क तैयार करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : आज कल "रेल और सड़क के जुड़वां पुल" को लकड़ी के तख्तों से पाटने के खाके की तफसील रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही है। रेल के पुल तक पहुंचने वाली सड़कों के रास्ते और जगह निश्चित करने के लिये भी जांच जारी है।

कुरडुवारी–मिरज रेल सम्पर्क

†*९८५. **श्री बालासाहेब पाटिल** : क्या **रेलवे** मंत्री २७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरडुवारी और मिरज के बीच बड़ी रेलवे लाइन बनवाने के लिये सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वस्तुतः निर्माण कार्य कब से आरम्भ होगा ; और

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) बड़ी लाइन में बदलने के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर लगभग अन्तिम निर्णय कर लिया गया है। इस बीच मिरज-कुरडुवारी को छोटे लाइन में बदल देने और कुरडुवारी-लाइट को छोटे लाइन में बदलने की सम्भाव्यताओं पर टीका टिप्पणी करने और उसे पुटली-वैजनाथ तक बढ़ा देने को ध्यान में रखते हुये निदेश जारी कर दिये गये हैं। चूंकि रेलवे द्वारा इन पहलुओं पर जांच की जा रही है, अतः सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

†*९८६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इस समय कितने प्रतिशत सामान का आयात होता है और इंजन बनाने के रूप में उसका कितना मूल्य होता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : डब्ल्यू०जी० वर्ग के जो इंजन इस समय चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाये जाते हैं उनके लिये आयात किये गये सामान और पुर्जों का मूल्य लगभग १.२३ लाख रुपये है (कुल लागत ४.६ लाख रुपये है) जो निम्न तीन प्रमुख विभागों में बंटी होती है :

(१) कच्चा माल और छोटे-मोटे पुर्जे जो पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से देश में उपलब्ध नहीं होते।	३६,९०० रुपये (३०%)
(२) वे पुर्जे, जो सामान्यतः सभी इंजन निर्माताओं द्वारा खरीदे जाते हैं और जिनको चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा खरीदे जाने का विचार नहीं है।	५५,३५० रुपये (४५%)
(३) वे पुर्जे जिनकी आयात में चितरंजन द्वारा इसलिये विकास किया जा रहा है जिससे आयात पूर्णरूपेण बन्द किया जा सके।	३०,७५० रुपये (२५%)

बिहार, उत्तरी बंगाल और आसाम के बीच रेल लाइन का बन्द किया जाना

†*९८७. **श्री लें० अचौ सिंह :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १७ अगस्त, १९५८ से कटिहार और सिलीगुड़ी के बीच बाढ़ के कारण बिहार, उत्तरी बंगाल और आसाम के बीच रेल सम्पर्क बन्द हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बाढ़ के कारण कितनी जगह पर पटरियां टूट गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो पटरियों के टूट जाने के कारण दोनों ओर कितने यात्रियों को रुक जाना पड़ा ;

(घ) इन यात्रियों को किस प्रकार की सुविधा दी गई और उन्हें बदले में क्या सवारी उपलब्ध कराई गई ;

(ड़) उत्तरी-पूर्वी सीमान्त अभिकरण रेलवे पर गाड़ियां कितने समय तक बन्द रहीं ; और

(च) गाड़ियों को फिर से चलाने के लिये क्या उपाय किये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२**]

पर्यटकों के लिये विशेष टैक्सियां

†*९८८. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के लिये विभिन्न राज्यों में बिना अतिरिक्त कर दिये विशेष टैक्सियों के निःशुल्क आवागमन के लिये अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से लागू होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : १९३९ के मोटर गाड़ी अधिनियम के एक नये उपबन्ध के अधीन, जो हाल ही में किया गया है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पर्यटकों को ले जाने वाली सार्वजनिक मोटर गाड़ियों के लिये विशेष परमिट जारी कर दें जिसको प्राप्त कर वे अन्य प्रदेशों अथवा राज्यों में जब तक भी पहचान का विशेष चिन्ह लगाये रहें, निः शुल्क वहां आ जा सकते हैं। अक्टूबर, १९५७ में मसूरी में राज्य यातायात आयुक्तों/नियंत्रकों के सम्मेलन ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की कि इस उपबन्ध के अधीन राज्य सरकारों को चाहिये कि वे पर्यटकों द्वारा किराये पर ली गई टैक्सियों तथा अन्य मोटरगाड़ियों पर अतिरिक्त शुल्क लगाये बिना अनियंत्रित आवागमन के लिये अनुमति दे दें। राज्य सरकारों से इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये कहा गया है।

अखिल भारतीय सड़क विकास योजना

†*९८९. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीफ इंजीनियर समिति ने, जिस की नियुक्ति "नागपुर योजना" का पुनरीक्षण करने और राष्ट्रीय राज पथों की सूची में नये राज पथ जोड़ने के लिये की गई थी, अपना काम पूरा कर लिया है ;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या योजना की पुनरीक्षित प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) समिति ने एक प्रारूप योजना तैयार की है जिसकी जांच चीफ इंजीनियर के सामान्य निकाय द्वारा की जा रही है और जिस पर हाल ही में अन्तिम निर्णय होने की आशा है ।

कोरबा पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश

†*९९०. श्री वि० च० शुक्ल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कोरबा पावर स्टेशन की क्षमता ९०,००० किलोवाट से बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है, और उसमें कितना पूंजी-व्यय होगा ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) मध्य प्रदेश के कोरबा थर्मल पावर स्टेशन एक्सटेनशन को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने पर योजना आयोग नहीं सहमत हुआ है ।

(ख) २×६०,००० किलोवाट विद्युत् उत्पन्न करने वाले सेट लगाने का विचार था जिन पर अनुमानित व्यय १४ करोड़ रुपये होता ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

†*९९१. श्री दो० चं० शर्मा :
श्री कुन्हन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या वृद्धि पर है;

(ख) १९५८ में अब तक कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ग) इनमें से घातक दुर्घटनायें कितनी थीं ;

(घ) १९५७ में इसी काल की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ; और

(ङ) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ङ). मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३]

† मूल अंग्रेजी में

सीरिया जाने वाले भारतीय

*९९२. **श्री डामर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यात्रियों के, जो संक्रामक रोग से पीड़ित हों, संयुक्त अरब गणराज्य के सीरिया क्षेत्र में प्रवेश पर, जो पाबन्दी लगाई गई थी, क्या वह अब हटा ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह पाबन्दी कब तक रहेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) स्थानीय पीड़ित क्षेत्र के बीमारी से मुक्त घोषित कर दिये जाने पर संक्रामक रोग की पाबन्दियां हटा ली जाती हैं ।

भारत आने वाले पर्यटक

*९९३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष, १९५७–५८ में भारत में आये विदेशी पर्यटकों से भारत को विदेशी मुद्रा के रूप में कुल कितनी आय हुई ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : पर्यटक यातायात से जो विदेशी मुद्रा की आय होती है हर वर्ष के लिये उसके आंकड़े भारत के रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं । १९५७ में विदेशी मुद्रा में १६ करोड़ रुपये की आमदनी हुई है ।

पंजाब के गांवों में बिजली लगाना

†*९९४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के गांवों में बिजली लगाने के लिये केन्द्र से सहायता के लिय निवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). जी नहीं विशेषकर गांवों में बिजली लगाने के लिये नहीं । रोजगार की सुविधा बढ़ाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसके लिये प्रमुख रूप से गांवों में आवश्यकता है, पंजाब सरकार को निम्न ऋण स्वीकृत किये गये हैं :—

१९५५–५६	. . . . ३·५० लाख रुपये ।
१९५६–५७	. . . . १·०० लाख रुपये ।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा केन्द्र

†*९९५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा आवंटित ३,६५४,०००डालर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खोले जाने वाले हैं जिसके लिये करार पर हस्ताक्षर जून

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५७ में किये गये थे वे द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन खण्डों में जो २००० और १००० स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना है, उनके अतिरिक्त होंगे ;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा कुछ और राशि आवंटन का वचन दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि का ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा २,२९२,००० डालर की राशि और आवंटित की गई है ।

दिल्ली की गंदी बस्तियां

†*९९६. **श्री राजा रमण** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव जो पालम, किंग्जवे, राजपुर और झिलमिला, ताहिपुर के गांवों एवं मोतीनगर और शादीपुर के कुछ भागों तथा खानपुर गांव जैसे क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों के लोगों को बसाने तथा गैर-सरकारी लोगों के हाथ बेचने की दृष्टि से वहां सस्ते मकान बनवाने के प्रयोजन से उनका विकास करेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह कुल क्षेत्र कितना होगा और क्या उस प्रस्ताव को सरकार से स्वीकृति मिल गई है ; और

(ग) यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा चलाई गई योजनायें ये हैं :—

	एकड़
१. किंग्जवे कैम्प क्षेत्र	१३०
२. ग्रांड ट्रंक रोड क्षेत्र (शान्तिनगर से आगे)	८०
३. नजफगढ़ रोड क्षेत्र रजौरी गार्डन के सामने	२५०
४. मेहरौली रोड क्षेत्र	६०
५. पटेल रोड क्षेत्र	२३०
६. मानसरोवर गार्डन नजफगढ़ रोड से आगे रामेश्वर नगर के निकट	२५
योग	७७५

(ख) ७७५ एकड़ । नजफगढ़ रोड पर रजौरी गार्डन के सामने सरकार ने अब तक २५० एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की स्वीकृति दी है ।

(ग) आगामी दो वर्षों में इन योजनाओं के कार्यान्वित होने की सम्भावना पाई जाती है ।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे स्टोर की खरीद

†*९९७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या रेलवे मंत्री ७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोप में एक मिशन द्वारा प्रत्यक्ष वार्ता से रेलवे का स्टोर खरीदने में डेढ़ करोड़ रुपये की किस प्रकार बचत की गई है ;

(ख) क्या स्टील इम्पोर्टर्स एसोसियेशन आफ इंडिया, कलकत्ता ने इन तथ्यों का खंडन किया है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले की पुनः जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो मामला किस स्थिति में है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आलू

९९८. **श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में इस समय कृषकों की नकदी फसल बीज के आलू हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि गत वर्ष लोगों को आलू के व्यापार में भारी हानि हुई थी ; और

(ग) बीज के आलू के सुचारू व्यापार के लिये सुविधायें देने के हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन अगले आलू के मौसिम में आलू का पणन भली भांति करने का प्रबंध कर रही है । इस सम्बध में प्रशासन के सहायता मांगने पर, भारत सरकार मुनासिब सहायता देगी ।

सूरतगढ़ मेकैनाइज्ड फार्म

९९९. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि राजस्थान में सूरतगढ़ कृषि फार्म को राजस्थान सरकार ने पहले जो जमीन दी थी, उसमें से कुछ एकड़ जमीन छोड़कर उस के बदले में आस-पास की जमीन ली जा रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कुल कितने एकड़ जमीन का इस प्रकार तबादला किया गया है ;

(ग) पहले दी गई जमीन स्वीकार न करने का क्या कारण है ;

(घ) पहले दी गई जमीन को कृषियोग्य बनाने पर सरकार ने कितना धन खर्च किया ; और

(ङ) क्या दी गई जमीन को बार बार बदलने से स्थानीय किसानों को परेशानी नहीं होती ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) ३७७५ एकड़ ।

(ग) लिंक केनाल से, जो कि गंग केनाल की करनिजी डिस्ट्रिब्यूटरी से हमेशा सिंचाई के लिये फार्म के सरदारगढ़ के हिस्से में बनाई गई थी, अच्छी और अधिक सिंचाई उपलब्ध करने के लिये जमीन का तबादला ज़रूरी हो गया । यह योजना राज्य सरकार के द्वारा भूमि का पहला अलाटमैन्ट होने के बाद शुरू की गई थी ।

(घ) कुछ नहीं ।

(ङ) जी नहीं ।

उड़ीसा में बाढ़

†*१०००. **श्री पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को उड़ीसा के कुछ भागों में आई अत्याधिक बाढ़ की सूचना हाल में प्राप्त हुई है ; और

(ख) उड़ीसा के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में धान की फसलों को हुई अपार क्षति संबंधी रिपोर्टें मंत्रालय को अब तक मिल चुकी हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख) उड़ीसा की सरकार ने समाचार दिया है कि बाढ़ के कारण कटक और पुरी जिलों में धान की फसल को क्षति पहुंची है । अभी कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

अन्धों को यात्रा की सुविधायें

*१००१. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्धों को यात्रा में जो रियायत दी जाती है उसे प्राप्त करने के लिये उन्हें डाक्टर का प्रमाण-पत्र देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विदित है कि इस नियम के कारण अन्धों को क्या कठिनाई उठानी पड़ती है ; और

(ग) सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है या करने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) किसी डाक्टर या अन्धों के लिये किसी मान्य संस्था के प्रधान का प्रमाण-पत्र देना पड़ता है ।

(ख) और (ग). शुरू में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हुआ था । इस तरीके को आसान बनाने के लिये निम्न उपाय किये गये हैं :—

अन्धों को रियायती टिकट देने के सम्बन्ध में आसान तरीका

१. नियत प्रमाण-पत्र पेश करने पर अब टिकट बाबू रियायती दर पर टिकट जारी कर देते हैं ।

दूसरी तरह की रियायतों के लिये आम तौर पर प्रधान कार्यालय या डिवीज़न के अफ़सर का रियायत-आदेश पेश करना ज़रूरी है । इस रियायत-आदेश के लिये पहले उनके यहां अर्जी दी जाती है ।

२. हर बार नया प्रमाण-पत्र लेने और पेश करने की कठिनाई दूर करने के लिये यह तय किया गया है कि किसी गज़ेटेड अफसर, मजिस्ट्रेट या संसद् या राज्य के विधान सभा के सदस्य द्वारा तसदीक की हुई प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि देने पर रियायती टिकट जारी कर दिये जायेंगे । लेकिन टिकट घर पर जांच के लिये मूल प्रमाण-पत्र दिखाना ज़रूरी है ।

मूल प्रमाण-पत्र जिस तारीख को जारी होगा उससे एक साल तक वैध माना जायेगा ।

३. रियायती टिकट लेने के लिये यह ज़रूरी नहीं है कि अन्धा व्यक्ति खुद टिकट घर पर जाये ।

४. प्रेस नोट निकाल कर यह बात सविस्तार बतायी गयी कि इन रियायतों को पाने का क्या तरीका है ।

नागार्जुन सागर परियोजना

†*१००२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर परियोजना के लिये चालू वित्तीय वर्ष में चार करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के लिये निवेदन किया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या राशि स्वीकृत हो गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं । नागार्जुन सागर नियंत्रण बोर्ड ने अधिक आवंटन की मांग की है । अतिरिक्त आवंटन की राशि अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है, यद्यपि नियंत्रण बोर्ड द्वारा १० करोड़ रुपये के संभावित आवंटन के आधार पर निर्माण कार्यक्रम बना लिया गया है ।

(ख) जी नहीं । फिलहाल राशि में वृद्धि की कोई सम्भावना नहीं है ।

गन्ने की कीमत का चुकाया न जाना

१००३. श्री विभूति मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ना उत्पादकों को शेष कीमत शीघ्र दिलाने के विषय में विशेषतः ऐसे कारखानों में जहां यह शेष राशि १ लाख रुपये से भी ऊपर है केन्द्रीय सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे चीनी की मिलें गन्ना उत्पादकों को भुगतान की तिथि की उचित सूचना दे दिया करें, ताकि उन्हें भुगतान में सुविधा हो ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) राज्य सरकारों पर दबाव डाला जा रहा है कि वह चीनी मिलों से गन्ने की शेष कीमत का भुगतान शीघ्र करवाने के लिये प्रत्येक उचित कार्यवाही करें। राज्य सरकारें भी इस ओर प्रयत्न कर रही हैं। इन विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप शेष कीमत जो मई, १६५८ के अन्त में ४·५ करोड़ रूपये थी अब घट कर १·०४ करोड़ रूपये रह गई है ।

(ख) चीनी मिलें प्रायः गन्ने की कीमत का भुगतान, गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों या उनकी सहकारी समितियों के परामर्श से निश्चित कार्यक्रम के अनुसार करती हैं। अतः किसी विशेष योजना की आवश्यकता नहीं है ।

रेल गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने के कारण हुई दुर्घटनायें

†*१००४. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री वाजपेयी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ अगस्त, १६५८ को पूर्वोत्तर रेलवे की एक डाक गाड़ी पर कुछ छात्र बिहार के सिघान नामक स्टेशन से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्टेशन के लिये रेल-गाड़ी की छत पर यात्रा करते समय कुछ छात्र मर गये और जिस समय गाड़ी चौरी चौरा स्टेशन यार्ड में घुस रही थी कुछ घायल हो गये ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का विस्तृत ब्योरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। ७ छात्र गाड़ी की छत से गिर गये थे जिन में से तीन मर गये ।

१५-८-१६५८ को जब कि १ अप अवध-तिरहुत डाक गाड़ी सावां स्टेशन पर थी तो यह देखा गया कि कुछ लोग गाड़ियों के अगले डिब्बों की छतों पर चढ़ गये थे । रेलवे कर्मचारियों ने उन्हें छत पर से उतार दिया किन्तु भटनी जंक्शन पर कुछ छात्र पुनः छत पर चढ़ गये । सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता से ये छात्र पुनः उतार दिये गये थे । जिसके परिणाम स्वरूप गाड़ी भटनी जंक्शन से २२ मिनट लेट चली। देवरिया सदर पर एक बार फिर कुछ छात्रों को उतारने के कारण गाड़ी फिर लेट हो गई ।

देवरिया सदर से गाड़ी चलने के पश्चात् ऐसा लगता है कि कुछ छात्र पुनः छत पर चढ़ गये और जब कि गाड़ी चौरी चौरा स्टेशन में पहुंच रही थी वे लोग तार और टेलीफोन के तारों से टकरा गये । गाड़ी की स्वलपाहार कार से जिस पर वे यात्रा कर रहे थे, ७ छात्र गिर पड़े । यह लगभग १६.०५ घंटे पर हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टेशन पर प्रथमोपचार के पश्चात् उन सबको २ डाउन अवध-तिरहुत डाक गाड़ी से देवरिया सिविल अस्पताल ले जाया गया, जो दूसरी उपलब्ध गाड़ी थी और जिसे १६.४० घंटे पर विशेष रूप से रोका गया था तथा १७.४५ घंटे पर इन सब को सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अस्पताल में प्रवेश कराने के पश्चात् इन सात में से तीन की मृत्यु हो गई। शेष चार अभी भी अस्पताल में हैं जिन के बारे में बताया जाता है कि उनकी अवस्था सुधर रही है।

इन में से किसी के पास टिकट नहीं था। मामले की छान-बीन पुलिस कर रही है।

(ग) फुट बोर्ड और छतों पर यात्रा करने को रोकने के लिये निम्न कार्यवाही की गई है :—

(१) रेलवे स्टेशनों पर ऐसी सूचनाओं और चित्रमय पोस्टरों का लगाना जिससे वे फुट-बोर्ड और छतों पर यात्रा न करें और इस प्रकार यात्रा से भय प्रदर्शित करना ;

(२) टिकट चेक करने वालों तथा स्टेशन के अन्य कर्मचारियों के लिये सामान्य निदेश जारी करना कि वे यात्रियों को फुटबोर्डों और छतों आदि पर चलने से रोकें ; और

(३) यात्रियों को फुटबोर्डों और छतों आदि पर यात्रा करने से रोकने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा छापा मारना।

लखनऊ–काठगोदाम एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

†*१००५. **श्री तंगामणि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की छोटी लाइन की लखनऊ–काठगोदाम एक्सप्रेस १७ अगस्त, १९५८ को पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो व्यक्तियों तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप गाड़ियों का आना जाना कितनी देर तक बन्द रहा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) १७ अगस्त, १९५८ को लगभग ०१.१२ घंटे पर जब कि ७ अप नैनीताल एक्सप्रैस पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली–मैलानी सेक्शन के शाहगढ़ और पूरनपुर स्टेशनों के बीच जा रही थी, टेण्डर सहित इंजन और अगले तीन अन्य डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ख) नौ व्यक्तियों के साधारण चोटें आईं। लगभग ५,२०० रुपये की रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंची।

(ग) लगभग १२ घंटे ४८ मिनट।

---

†मूल अंग्रेजी में।

होटल प्रतिमान तथा दर समिति

†*१००६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सूपकार :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री बर्मन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री हेम राज :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल प्रतिमान प्रमाणीकरण तथा दर समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ;

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच अभी सरकार पूरी नहीं कर पाई है ।

दिल्ली में क्षयरोगी

†*१००७. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वाजपेयी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में क्षय रोगियों के उपचार के लिये चिकित्सा **सम्बन्धी** सुविधायें देने के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत और कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : उसके बाद महरौली के क्षयरोग अस्पताल में ५२ शैयाओं वाले क्षयरोग एकलन कक्ष[1] में रोगियों का भर्ती करना शुरू हो गया है । इसके अतिरिक्त कर्जन रोड, दिल्ली स्थित नगरपालिका क्षयरोग चिकित्सालय[2] को १९५८–५९ में एक फोटोफ्लोरोग्राफिक एक्सरे की मशीन देने का निश्चय भी किया गया है ।

दिल्ली में विद्युत संभरण

†*१००८. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार के साथ दिल्ली में विद्युत् संभरण के लिये कोई करार किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Isolation ward. [2]Clinic

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

१५२९. { **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने की किसी नयी योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) १९५२ से १९५८ तक गन्दी बस्तियों को हटाने पर कितनी राशि खर्च की गयी, इस सम्बन्ध में क्या काम हुआ, कितनी गन्दी बस्तियां हटाई गईं और गन्दी बस्तियों में रहने वालों को दूसरी जगह दी गयी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]**

बीज उत्पादन

†**१५३०. श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल्लू, कटराई और नागर के केन्द्रीय बीज प्रजनन केन्द्रों में प्रति वर्ष कितना बीज उत्पन्न होता है ;

(ख) इस पर प्रति वर्ष कितना व्यय आता है ;

(ग) क्या अभी तक इन केन्द्रों में कुल्लू घाटी में सब्जियों के समय पूर्व किस्मों के बीज पैदा करने के लिये कोई प्रयोग किये गये हैं ; और

(घ) इन केन्द्रों ने कुल्लू घाटी के लोगों में सब्जियां पैदा करने की दिशा में प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्य किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]**

भारतीय रेलों में द्वितीय श्रेणी के डिब्बे

†**१५३१. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में इस समय द्वितीय श्रेणी के कितने डिब्बे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस रेलवे में सभी इंटर क्लास डिब्बों को द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में बदल दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार इस रेलवे पर द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने तथा कब तक ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १-४-१९५७ को मध्य रेलवे में द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की संख्या नीचे दी जाती है :—

	विशाल मान पर	मानान्तर पर	संकीर्ण मान पर	जोड़
पूर्ण द्वितीय श्रेणी के . .	१६	—	७	२३
प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के मिले-जुले	७७	७	—	८४
प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मिले-जुले . .	३०	४	—	३४
द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मिले-जुले	४९	१५	६	७०

(ख) एक श्रेणी के, पुरानी प्रथम श्रेणी, समाप्त करने के फलस्वरूप तथा किरायों के पुनरीक्षण के बाद से 'इंटर क्लास' समाप्त कर दी गई थी। उस समय सभी पुराने इंटर क्लास के डिब्बों को द्वितीय श्रेणी के डिब्बे बना दिया गया था तथा पुराने द्वितीय श्रेणी के डिब्बों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे बना दिया गया था।

(ग) जी, नहीं। हमारी यह नीति है कि धीरे धीरे द्वितीय श्रेणी को भी समाप्त कर दिया जाये।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बम्बई में भाण्डागारों का निर्माण

†**१५३२. श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ के दौरान में मराठवाड़ा में भाण्डागार बनाने के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ; और

(ख) तथा प्रत्येक स्थान पर कितना रुपया व्यय किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बम्बई राज्य में वन विकास

†**१५३३. श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में वन विकास के लिये १९५८–५९ के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) कितने अनुदान दिये जा चुके हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५८–५९ के लिये स्वीकृत राशि के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं : (लाख रुपयों में)

केन्द्रीय सहायता		राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि	जोड़
ऋण	अनुसहायता		
१४·४४	६·७९	२३·५४	४४·७७

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान में राज्य सरकार से व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त होने पर इस वर्ष की समाप्ति के समीप ६.७९ लाख रुपये तक के अनुदान स्वीकृत किये जा सकते हैं।

स्वचालित सिगनल

†**१५३४. श्री प्र० गं० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में स्वचालित सिगनल चालू कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या इस कार्य को सर्वत्र शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है ; और

(ग) प्रत्येक रेलवे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में कितने ऐसे सिगनल लगाये जायेंगे व यह कब तक पूर्णरूपेण लग जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, निम्नलिखित रेलों पर स्वचालित सिगनल काम कर रहे हैं।

रेलवे	सेक्शन	रूट मील	पटरी मील
मध्य	बम्बई बी० टी०—कुरला	१०	२०
पूर्व	(१) अगरपारा—सियालदा (डाउन मुख्य लाइन)	३६	५०
	(२) बेलघरिया—सियालदा (डाउन चतुर्पंक्ति लाइन)		
	(३) सियालदा—डमडम (अप मुख्य लाइन)		
	(४) काकुरगची—डमडम (अप चतुर्पंक्ति लाइन)		
	(५) काकुरगची—मजेरहाट		
	(६) सियालदा दक्षिण—मील ५ बी।		
	(७) वालिगुंगे—जादवपुर		
दक्षिण	मद्रास—बीचताम्ब्रम	१८	३६
पश्चिम	चर्चगेट—अन्धेरी	११	२२
	जोड़	७५	१२८

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नये कार्यक्रम की यातायात की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित की गई है ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में जिन सेक्शनों पर स्वचालित सिगनल लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है तथा वह कार्य जब तक पूरा हो जायेगा इसकी सूचना नीचे दी जाती है :—

रेलवे	सेक्शन	रूट मील	पटरी मील	पूरा करने की तिथि
मध्य	(१) कुरला—मानदूप थाना	११	४४	१९६०–६१
	(२) थाना—कल्याण	१३	५२	
पूर्व	(१) बेलूर—सेरामपुर	८	१६	१९५९–६०
	(२) देहरी-आन-सोन—सोननगर ।	४	८	
दक्षिण पूर्व	सिनी—राजखारस्वां	९	१०	१९५९–६०
		४५	१३८	

मद्रास जाने वाली वाल्टेयर पैसेंजर गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†**१५३५. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ जुलाई, १९५८ को मद्रास जाने वाली वाल्टेयर पैसेंजर गाड़ी राचेरलापडु स्टेशन पर पटरी से नीचे उतर गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुये हैं तथा अन्य कितनी हानि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) २२ जुलाई ,१९५८ को रात के ०२.१५ बजे जब ७८ अप मद्रास—वाल्टेयर पार्सल-कम-पैसेंजर गाड़ी राचेरलापडु, दक्षिण रेलवे में, स्टेशन पर आ रही थी उस समय गाड़ी का ड्राइवर अप मेन लाइन स्टार्टर सिगनल के ऊपर उठा हुआ होने के बावजूद भी गाड़ी को आगे बढ़ा कर ले गया । इससे गाड़ी बालुछादित लाइन[1] पर पहुंच गई और परिणाम स्वरूप इंजन तथा उसके पीछे के चार डिब्बे पटरी से उतर गये ।

(ख) ड्राइवर, फायरमैन तथा एक टी० टी० ई० समेत १६ आदमियों को मामूली चोटें आई हैं । रेलवे सम्पत्ति को लगभग ६२० रुपये की हानि हुई है ।

रेलों में भोजन की व्यवस्था करने वाले ठेकेदार

१५३६. श्री खुशवक्त राय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ७ वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में भोजन की व्यवस्था करने वाले ठेकेदारों के लाइसेंस शुल्क से प्रत्येक रेलवे को कितनी आय हुई ?

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sand hump.

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : एक बयान सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८]**

विभागीय भोजन व्यवस्था

१५३७. श्री खुशवक्त राय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय भोजन व्यवस्था के परिणामस्वरूप निम्नलिखित मदों पर प्रत्येक रेलवे ने गत तीन वर्षों में कितना व्यय किया :—

(१) खाद्य सामग्री का कच्चा सामान

(२) कर्मचारी

(३) विविध (आकस्मिक) आदि ।

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : एक बयान सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ४९]**

भूमिहीन श्रमिक

†**१५३८. श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष राज्यों में अपेक्षित जानकारी अब प्राप्त हो गई है;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि के पश्चात् भूमिहीन श्रमिकों की कुल संख्या राज्यवार, कितनी है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में इन्हें विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित योजना क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्य सरकारों ने जानकारी दे दी है जो नीचे बताई गई है ?

	विस्थापित किये गये भूमिहीन श्रमिकों की संख्या	कितने एकड़ भूमि दी गई
१. जम्मू तथा काश्मीर	२३८	१३६०
२. आसाम	१२०	६६१
३. उड़ीसा	१६०	८००

इस के अतिरिक्त भोपाल स्थित यन्त्रचालित केन्द्रीय फार्म[1] में ६४९३ एकड़ भूमि पर ४६९ श्रमिक बसाये गये हैं ।

(ख) १९५१ की जनगणना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि-श्रमिकों से सम्बन्धित परिच्छेद १६ में उल्लिखित कृषि-श्रमिक जांच में जानकारी एकत्र की गई है और समूचे देश में श्रमिकों की सम्भाव्य वृद्धि का भी प्राकलन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में भूमिहीन श्रमिकों की कुल संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । किन्तु द्वितीय कृषि-श्रमिक जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Central Mechanised Farm.

(ग) जैसा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उल्लेख द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में २०,००० भूमिहीन श्रमिकों को बसाने का उपबन्ध है। तथापि राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति की सितम्बर १९५७ की पांचवीं मीटिंग में यह सुझाव प्रस्तुत किया गया था कि अधिकतम सीमा लागू करने और भूदान तथा ग्रामदान में उपलब्ध भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों को बसाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जाये। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शेष अवधि में लगभग ३ लाख परिवारों को बसाना है। योजना आयोग राज्य सरकारों के साथ इस विषय पर विचार कर रहा है।

मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, हेंडलिंग कान्ट्रेक्टर्स, को रेलवे द्वारा अतिरिक्त भुगतान

†१५३९. **श्री वि० चं० शुक्ल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने मई १९५७ से जून १९५८ तक मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, हेंडलिंग कन्ट्रेक्टर्स, को सकरीगलीघाट तथा मनिहारीघाट पर 'एक्सट्रालीड' के लिये प्रति मास सामान्य सीमा से कितना अधिक रुपया दिया है तथा मई, १९५६ से जून १९५८ की अवधि में दोनों घाटों पर कुल कितना रुपया दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस काम को जो ठेकेदार पहले कर रहा था, तथा जिस का टेंडर दिये हुए यातायात के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम था, उस ने पूर्व तथा पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजरों को लिख कर यह वचन दिया था कि वह इन दोनों घाटों पर 'लीड' के लिये कोई अतिरिक्त रकम नहीं मांगेगा तथा उस ने रेलवे मंत्री और रेलवे बोर्ड के समक्ष अपील में भी इस आश्वासन को पुनः दोहराया था, यदि हां, तो फिर उस का क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि रेलवे बोर्ड का एक सेवा निवृत सदस्य इस समय मेसर्स बर्ड एण्ड कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड का मेनेजिंग डायरेक्टर है तथा क्या सरकार ने मेसर्स वर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को सकरीगली घाट तथा मनिहारीघाट के हेंडलिंग कंट्रेक्ट के अनुच्छेद १६ की शर्त के अनुसार उन को नियुक्त करने की कोई इजाजत दी थी; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर न में हो तो उस के कारण ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) अपेक्षित सूचना संबंधी एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है ? [**देखिये परिशिष्ट, ४ अनुबन्ध संख्या ५०**]

(ख) संविदा की कुल दरों का मूल्य लगाने पर, जिस में 'एक्स्ट्रालीड' के लिये अतिरिक्त भुगतान की राशि भी सम्मिलित है, यह पाया गया कि मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड का टेंडर न्यूनतम है। जब टेंडर खोले गये तब पहले ठेकेदार ने अपनी दरों को कम सिद्ध करने के लिये यह कहा कि वह 'एक्स्ट्रालीड' के लिये कोई अतिरिक्त रुपया नहीं लेंगे। किन्तु उन का यह कथन कोई अनर्ह बचन के रूप में नहीं था। रेलवे ने विभिन्न टेंडर भेजने वालों के साथ इस विषय पर बात चलाना उचित नहीं समझा।

(ग) तथा (घ). जी, हां। मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के यहां नौकरी करने के लिये इजाजत देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि यह सेवानिवृत सदस्य बहुत पहले से उन के यहां सेवा कर रहे थे तथा रेलवे को यह तथ्य ज्ञात था कि वह उन के यहां नौकरी कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तपेदिक

†१५४०. **श्री नेक राम नेगी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के बालाभाई नानावती अस्पताल में एक जंगली फल 'रुदन्ती' का क्षयरोग के मरीजों के इलाज के लिये प्रयोग किया गया है तथा उसे बड़ा सफल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस का विस्तृत विवरण क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस औषधि का क्षयरोग के अन्य अस्पतालों में भी प्रयोग करने का विचार रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र के लिये अधिक अन्न उपजाओ योजना

†१५४१. **श्री म० वें० कृष्णराव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र के लिये अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये १९५७–५८ में कितना रुपया स्वीकृत किया गया था तथा क्या इस सारी राशि का उपयोग किया गया है ;

(ख) इस से राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में कहां तक सफलता मिली है; और

(ग) इस से कितने एकड़ नई भूमि को जोत के अन्तर्गत लाया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इस कार्य के लिये राज्य सरकार को ५१४.७० लाख रुपये दिये गये थे । अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उस ने ४५०.०५ लाख रुपये व्यय किये हैं ।

(ख) इस से २.१७ लाख टन अधिक अन्न उत्पन्न हुआ है ।

(ग) ३२,९७२ एकड़ भूमि ।

मध्य रेलवे का पार्ली––विकाराबाद सेक्शन

†१५४२. **श्री नलदुर्गकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक मध्य रेलवे के पार्ली-विकाराबाद सेक्शन में प्रतिमास कितनी आय हुई है;

(ख) इस अवधि में इस सेक्शन पर प्रतिमास कितने बिना टिकट यात्री पकड़े गये हैं;

(ग) क्या बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है;

(घ) इस अवधि में इन बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से कितनी रकम वसूल हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इस सेक्शन पर ऐसे यात्रियों की संख्या कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलवे के किसी एक सेक्शन की आय का अनुमान लगाना कठिन है। किन्तु इस सेक्शन पर, पुर्ली-बैजनाथ मीटर गेज तथा विकाराबाद स्टेशन को छोड़ कर, शेष स्टेशनों की इस अवधि में माल व पैसेंजर यातायात से औसतन मासिक आय १.५ लाख रुपये के लगभग थी ।

(ख) जनवरी से जुलाई, १९५८ तक बिना टिकट यात्रा करने वाले पकड़े गये लोगों की संख्या नीचे दी जाती है :—

मास	बिना टिकट यात्रा करने वाले पकड़े गये लोग
जनवरी	२०३
फरवरी	४८८
मार्च	२३७
अप्रैल	३०३
मई	३०९
जून	३९८
जुलाई	२९६

(ग) इन आंकड़ों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। क्योंकि अगर बिना टिकट यात्रा करने वाले ज्यादा लोग पकड़े जायें तो उस का यह अर्थ भी हो सकता है कि उन को पकड़ने वाले लोग ज्यादा दक्ष हैं या अधिक लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं। इसी प्रकार थोड़ी संख्या भी यह बता सकती है कि या तो बहुत कम लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं या उन को पकड़ने वाले अधिक दक्ष नहीं।

(घ) जनवरी १९५८ से जुलाई १९५८ के बीच इस सैक्शन पर बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से ४,७६० रुपये वसूल किये गये ।

(ङ) बिना टिकट यात्रा को कम करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(१) अब प्रत्येक गाड़ी पर एक टिकट चैकर की बजाये दो टिकट चैकर नियुक्त कर दिये गये हैं ।

(२) हेडक्वार्टर तथा डिवीजन दोनों स्थानों के विशेष दलों द्वारा वर्दी तथा सादा कपड़ों दोनों तरीकों से किये जाने वाली पड़तालों की संख्या बढ़ा दी गई है ।

सड़क विकास योजना

†१५४३. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार को सड़क विकास योजना के अन्तर्गत १९५८–५९ के लिये राजस्थान सरकार को कोई अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी हां। राजस्थान सरकार को १२·६३ लाख रुपये देने का उपबन्ध किया गया है।

जाजपुर में मुख्य डाकघर की इमारत

†१५४४. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाजपुर में मुख्य डाकघर की इमारत बनाने में जो कठिनाइयां हो रही थीं क्या वे दूर हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इमारत बननी शुरू हो गई है; और

(ग) यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) वित्त मंत्रालय द्वारा इमारतें बनाने पर जो पाबन्दी लगाई गई है उस से इस योजना को छूट दे दी गई है। इस के निर्माण के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से बातचीत की जा रही है और उन्हें इस योजना को शीघ्र पूरा करने के लिये प्रार्थना की गई है ?

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारतीय जहाज़ी कम्पनियों द्वारा जहाजों की खरीद

†१५४५. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौ-समायोजन समिति की नियुक्ति के बाद भारतीय जहाजी कंपनियों द्वारा कितने जहाज खरीदे गये हैं; और

(ख) ये जहाज किन कम्पनियों द्वारा खरीदे गये हैं। तथा प्रत्येक कम्पनी ने कितने जहाज खरीदे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जनवरी १९५८ से नौ-समायोजन समिति की नियुक्ति के बाद जिन भारतीय जहाजी कम्पनियों द्वारा जहाज खरीदे गये हैं उन की संख्या व कम्पनियों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

क्रमांक	कम्पनियों के नाम	जितने जहाज खरीदे गये	जहाजों का टन भार
१	सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी, लिमिटेड बम्बई	३	१४,४२०
२	ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंम्पनी लिमिटेड, बम्बई	४	२२,७६३
३	इंडिया स्टीमशिप कम्पनी, लिमिटेट, कलकत्ता .	१	९,३००
४	मालाबार स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड, बम्बई .	१	७,१६२
५	गिल अमीन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई .	१	१,१४६
		१०	५४,७९१

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक

१५४६. श्री श्रीनारायण दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १५ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज के बदले में उर्वरक देने की योजना के सम्बन्ध में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस की रूप रेखा क्या है;

(ग) योजना के प्रशासनिक तथा वित्तीय परिणाम क्या हैं;

(घ) यह योजना कब से कार्यान्वित की गई है; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितना आनाज इकट्ठा किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (ङ). गत अप्रैल में राज्य सरकारों को कहा गया था कि वह चावल/धान के बदले में उर्वरक देने की योजना को आजमाईश के तौर पर कार्यान्वित करें, विशेषत: उन चावल उत्पादक क्षेत्रों में जहां धान की खेती के लिये रासायनिक उर्वरक की अधिक मांग है। उनसे कहा गया था कि वह योजना को इस प्रकार से बनायें कि इस का खर्च उस की उपयोगिता से अधिक न हो। राज्य सरकारों को यह भी कहा गया था कि वह इस प्रकार उपलब्ध चावल या धान को अपने पास रख सकते हैं अथवा केन्द्रीय सरकार को उस कीमत पर दे सकते हैं जो उन्होंने उत्पादकों को दी है और जिस में राज्य सरकार के खर्चे का निर्णीत अंश भी जोड़ दिया जायेगा।

२. कुछ राज्यों ने, जैसे केरल, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, विस्तार पूर्वक योजनायें बनाई हैं और उन को आजमाईश के तौर पर चालू करने का यत्न कर रहे हैं।

कर वसूली[1]

†**१५४७. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अब तक किसी राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को सहायक अनुदानों के रूप में अथवा अपने राज्य-क्षेत्र में वसूल किये गये करों में से कुछ राशि को सुरक्षित रख कर नियमित आवर्ती धन देने की व्यवस्था की है, और यदि हां, तो किस किस राज्य ने ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** जी हां। आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल, केरल तथा उड़ीसा।

सड़क परिवहन विकास पर गोष्ठी

†१५४८. { **श्री सुबोध हंसदा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्देशीय परिवहन समिति द्वारा भारत में सड़क परिवहन विकास पर एक गोष्ठी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह गोष्ठी करने लिये क्या तैयारियां की जा रही हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tax collection

(ग) यह गोष्ठी कहां पर होगी और कब ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी तक यह प्रस्ताव अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया गया है । एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग की अन्तर्देशीय परिवहन समिति ने अपनी राजमार्ग उपसमिति को यह सिफारिश की है कि वह इस प्रस्ताव पर अच्छी तरह विचार करे । इस उपसमिति की बैठक नवम्बर, १९५८ को होने जा रही है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लोहारू और दिल्ली के बीच रेल का सीधा जाने वाला डिब्बा

†**१५४९. श्री राम कृष्ण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाड़ी नं० २ बी० बी० आर०/२३२ के साथ लोहारू और दिल्ली के बीच नियमित रूप से सीधा जाने वाला डिब्बा नहीं लगाया जाता है जिससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) तथा (ख). दिल्ली और लोहारू के बीच प्रथम, द्वितीय तथा तीसरी श्रेणी में मिले जुले दो सीधे डिब्बे संख्या २ बी० बी० आर०/२३२ डाउन व २३१ अप/१ बी० बी० आर० लगाये जाते हैं । किन्तु जब कभी इन दो डिब्बों में से कोई डिब्बा खराब हो जाता है तब उसके स्थान पर कोई और डिब्बा लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास ऐसे डिब्बों की बड़ी कमी है । जून में एक बार व जुलाई में पांच बार तथा अगस्त में १७ तारीख तक एक बार यह सीधा डिब्बा नहीं लगाया जा सका है ।

(ग) इन गाड़ियों के लिये ऐसा मिला जुला एक और सीधा डिब्बा बनाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

विमान दुर्घटनाएं

†**१५५०. श्री राम कृष्ण**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में कितनी विमान दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) ये दुर्घटनाएं कहां कहां हुईं;

(ग) इन दुघटनाओं में कितने व्यक्ति मरे व कितने घायल हुए; और

(ङ) मृतक व्यक्तियों के परिवारों व घायल लोगों को इस अवधि में कुल कितनी क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मोहीउद्दीन)** : (क) ३४ मुख्य दुर्घटनाएं इसमें ग्लाइडर विमानों की दुर्घटनाएं भी सम्मिलित हैं ।

(ख) नागपुर में चार; बम्बई में तीन; डमडम, बमरौली और पूना में प्रत्येक स्थान पर दो दो; जालंधर, सफदरजंग, अगरताला, सन्तोषपुर (जिला कचार), पोर्ट ब्लेयर, लिमकिम, इंकयांग, बंगलौर, उदयपुर, मद्रास, गोलाघाट, बूंदी, कुरसेला, निमतिता, भिवंडी, पानागढ़, शाहजहांपुर पटना, आसनसोल, बिजनोर और लखनऊ में प्रत्येक स्थान पर एक एक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) २४ व्यक्ति मरे व १५ घायल हुए ।

(घ) सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गई । किन्तु इन घटनाओं में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के जो कर्मचारी मारे गये हैं उनके परिवारों को कारपोरेशन ने १,१५,००० क्षतिपूर्ति दी है । अन्य संचालकों ने, जिनके विमानों की दुर्घटनाओं के आंकड़े भी इन आंकड़ों में सम्मिलित हैं, अपने कर्मचारियों को कितनी क्षतिपूर्ति दी है इसके बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

†१५५१. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये बाढ़ नियन्त्रण का भावी कार्यक्रम क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : अपेक्षित सूचना २८ अगस्त, १९५८ को लोक-सभा के पटल पर 'देश में बाढ़ स्थिति तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम' सम्बन्धी रखे गये विवरण में दे दी गई है ।

रेलवे सम्पत्ति और माल की चोरी

†१५५२. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ दिनों में रेलवे सम्पत्ति और माल की पारनयन के दौरान में चोरियों की संख्या काफी बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सन् १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ वर्षों के ऐसे मामलों के अलग अलग तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) दक्षिण तथा पश्चिम रेलवे में रेलवे सम्पत्ति की चोरी कुछ बढ़ गई है तथा उत्तर/पूर्व रेलवे में पारनयन के समय माल की चोरी बढ़ गई है । शेष रेलवे क्षेत्रों में चोरियों म वृद्धि नहीं हुई ।

(ख) रेलवे सम्पत्ति अर्थात् डिब्बों, वेगनों तथा बिजली के सामान आदि की चोरी का कारण यह बताया जाता है कि शहरों के आसपास अपराधियों के समूह क्रियाशील हैं । उत्तर/पूर्व रेलवे में पारनयन के समय माल की चोरी का कारण यह है कि उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से बाढ़ आने और सूखा पड़ने के फलस्वरूप आर्थिक परिस्थितियां साधारणत: खराब हो गई हैं अतएव इन पीड़ित क्षेत्रों में अपराधी गतिविधियों की वृद्धि हो गई है ।

(ग) रेलवे प्रशासनों से आंकड़े मंगाये गये हैं और तत्सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) रेलवे सम्पत्ति तथा पारनयन के दौरान में माल की चोरी रोकने के लिये रेलवे प्रशासनों द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) जिन सेक्शनों में ऐसी चोरियां होती हैं वहां रेलवे सुरक्षा बल की सशस्त्र कर्मचारी शाखा की पहरेदारी तथा चौकीदारी बढ़ा दी गई है ।

(२) रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस, तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अपराध वाले स्थानों की अचानक मिली जुली पहरेदारी तथा निगरानी की जाती है ।

(३) सभी महत्वपूण माल तथा पार्सल गाड़ियों की रेलवे सुरक्षा बल और सशस्त्र शाखा कर्मचारियों द्वारा पहरेदारी की जाती है, विशेषकर रात के समय ।

(४) बहुमूल्य सामग्री के वेगनों में दुहरी रिवटों और ई० पी० तालों का उपयोग किया जाता है ।

(५) सरकारी रेलवे पुलिस तथा राज्य पुलिस में विभिन्न स्तरों पर निकट सम्पर्क रखा जाता है जिससे अपराधियों को पकड़ने में उनकी सहायता निश्चित रूप से मिल सके ।

(६) साधारणतः कारखानों, भंडारों और इंजिन-घरों आदि में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है । कुछ स्थानों में पेरीमीटर दीवालें तथा तारों की बाड़ी लगा दी गई है ।

(७) अपराधियों तथा चोरी की सम्पत्ति लेने वाले लोगों के बारे में गुप्त सूचना लाने के लिये सादे कपड़ों में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ।

(८) डिब्बों तथा वेगन कर्मचारियों, गाड़ी की बिजली व्यवस्था करने वाले कर्मचारियों तथा रेलवे पुलिस बल के कर्मचारियों द्वारा डिब्बों, वेगनों और बिजली के सामान की चोरी के स्थानों का पता लगाने के लिये मिली जुली जांच की जाती है ।

(९) गार्डों से यह कहा गया है कि जब रेलगाड़ी चलते समय ऊंचे दर्जे के डिब्बे खाली हों तब उनकी निगरानी रखें ।

(१०) जब रेक रेलवे यार्डों में रखे हों तब उनकी विशेष चौकीदारी की जाये ।

बच्चों में पोषाहार की कमी सम्बन्धी विकार[1]

†१५५३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के अधीन संस्थाओं में बच्चों के पोषाहार की कमी सम्बन्धी विकारों के सम्बन्ध में किये जाने वाले गवेषणा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम की रूप रेखा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : भारतीय चिकित्सा परिषद् के तत्वाधान में बच्चों में पोषाहार की कमी से उत्पन्न होने वाले विकारों के सम्बन्ध में फिलहाल निम्नलिखित गवेषणा कार्यक्रम चल रहा है :—

पोषाहार गवेषणा प्रयोगशालाओं, अपग्रेडेड डिपार्टमेंट आफ पेडियाट्रिक्स, मद्रास तथा स्कूल आफ ट्रॉपिकल मेडिसन, कलकत्ता, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता और प्रिंस आफ वेल्स मेडिकल कालेज, पटना में बच्चों में पाई जाने वाली प्रोटीन की कमी की समस्या

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Nutritional Disorders

पर खोज की जा रही है। प्रोटीन पोषाहार की कमी किन कारणों से होती है तथा इसके फलस्वरूप बच्चों की क्या हालत होती है और उसके क्या लक्षण हैं, इसकी ब्यौरेवार जांच की जा चुकी है। बच्चों में प्रोटीन पोषाहार की कमी दूर करने के लिये सब से सस्ता तथा व्यवहार्य तरीका खोज लिया गया है तथा ऐसे सस्ते सब्जी वाले प्रोटीन खाद्यान्नों का पता लगाया जा चुका है जो बच्चों को दूध के बदले में दिये जा सकते हैं।

देश भर में बच्चों में पोषाहार की स्थिति विशेषकर प्रोटीन की पर्याप्तता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और इसमें काफी प्रगति हो चुकी है।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं में भारतीय बच्चों की बाढ़ और विकास सम्बन्धी सारे देश का सर्वेक्षण किया जा रहा है :—

१. न्यूट्रीशन रिसर्च लेबारेटरीज, कूनूर।

२. डिपार्टमेंट आफ एन्थ्रापॉलोजी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

३. मेडिकल कालेज, नागपुर।

४. जी० आर० मेडीकल कालेज, ग्वालियर।

५. आन्ध्र मेडिकल कालेज, विशाखापटनम्।

६. डिपार्टमेंट आफ एन्थ्रापॉलोजी, यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली।

७. सास्सून अस्पताल, पूना।

कुनूर में स्तन से दूध पिलाने की प्रणाली तथा स्तन के दूध की किस्म तथा उसकी मात्रा के पहलुओं का अध्ययन किया जा चुका है और इस अध्ययन से बच्चों के पालन के युक्तियुक्त कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार करने में सहायता मिली है। निम्नलिखित केन्द्रों में भी इस विषय पर अध्ययन किया जा रहा है :—

(१) विल्सन कालेज, बम्बई।

(२) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर।

(३) डिपार्टमेंट आफ बायोकेमिस्ट्री, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, बड़ौदा।

बिना टिकट के यात्री

†१५५४. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० मई, १९५८ को बिना टिकट यात्रियों ने गया स्टेशन के कर्मचारियों पर स्टेशन पर धावा बोल दिया था;

(ख) यदि हां, तो इससे किस प्रकार का नुकसान हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) गया स्टेशन पर एक ऐसी घटना ३० मई, १९५८ को नहीं बल्कि २७ मई, १९५८ को हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे की नगदी रकम की हानि	२७·००० रुपये
रेलवे की सम्पत्ति, खिड़कियों के कांच आदि की हानि	९·००० रुपये
कुल	३६·००० रुपये

दिल्ली में फलों का डिब्बों में बन्द किया जाना तथा उनका परिरक्षण

१५५५. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फलों का डिब्बों में बन्द करने तथा उनके परिरक्षण का प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत दिल्ली में गत दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया; और

(ख) कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जून, १९५८ तक १५८ ।

(ख) प्रति वर्ष लगभग २२० व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की आशा है । यह योजना अभी मार्च, १९५९ तक स्वीकृत की गई है ।

दिल्ली के माली

१५५६. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बागबानी विकास योजना के अन्तर्गत कितने मालियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

(ख) यह प्रशिक्षण कहां दिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) बीस-बीस के दो दलों में चालीस मालियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रशिक्षण दिल्ली में दिया जायेगा ।

पत्तनों के विकास के लिये विश्व बैंक का ऋण

†**१५५७.** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से मद्रास तथा कलकत्ता पत्तनों के लिये विश्व बैंक से ऋण के करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता पत्तन पर (मदों के अनुसार) २९० लाख डालर किस प्रकार खर्च किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१]**

वन क्षेत्र

†१५५८. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के बेलोनिया उप विभाग के कुल क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के भीतर आता है;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती बसाने के लिये बेलोनिया उप विभाग में त्रिशना रक्षित वनों का कुछ क्षेत्र देने की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं। सीमा बन्दी के बाद ३९४ वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल में से केवल ८७·३ वर्ग मील ही रक्षित वन क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के भीतर आते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इस कार्य के लिये ०·५८ वर्ग मील का क्षेत्र दे दिया गया है।

भाखरा परियोजना की बाढ़ नियंत्रण प्रावस्था

१५५९. **सरदार इक़बाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखरा परियोजना की बाढ़ नियंत्रण प्रावस्था पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : कुछ नहीं।

पंजाब में मरुस्थल नियंत्रण

†१५६०. **सरदार इक़बाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने उस राज्य में मरुस्थल का विस्तार रोकने के लिये कोई योजनायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) क्या भारत सरकार ने इन योजनाओं पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके नतीजे क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार को कुल कितना रुपया दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां । निम्नलिखित दो योजनायें भेजी गई हैं :—

(१) राजस्थान की सीमा के पास स्थित गुड़गांव, हिसार तथा फीरोजपुर जिलों में मरुस्थल नियंत्रण तथा कृष्यकरण योजना, और

(२) मरुस्थल के प्रसार को रोकने की योजना ।

(ख) से (घ). जी, हां । योजनायें स्वीकार की जा चुकी हैं और अब तक निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है :—

वर्ष	मंजूर की गई सहायता			राज्य सरकार ने जैसा बताया है उसके अनुसार वास्तव में खर्च की गई केन्द्रीय सहायता		
	ऋण	अर्थ सहायता	कुल	ऋण	अर्थ सहायता	कुल
			(लाख रुपये)			
१९५६-५७ .		०·६१	०·६१		०·४४	०·४४
१९५७-५८ .		१·०१	१·०१	..	०·५०	०·५०
१९५८-५९ .	१·४८	१·१०	२·५८	(आंकड़े नहीं भेजे गये)		
कुल .	१·४८	२·७२	४·२०		०·९४	०·९४

नीबू की पैदावार

†**१५६१. सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में नीबू की कुल पैदावार क्या है;

(ख) क्या भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा नीबू के सम्बन्ध में कोई गवेषणा की जा रही है;

(ग) ऐसी गवेषणा योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक के क्या परिणाम हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

†मूल अंग्रेजी में

सरदार इकबाल सिंह के लोक सभा में ५-९-१९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६१ के सम्बन्ध में उल्लिखित नीबू की पैदावार सम्बन्धी विवरण :

(क) १९५५ में एकत्रित किये गये आंकड़ों के अनुसार भारत में अम्ल वाले नीबूओं की कुल पैदावार निम्नलिखित है :—

राज्य	पैदावार (मनों में)
बिहार	४,७६,८००
बम्बई .	२,२५,६००
उत्तर प्रदेश .	१,०२,४८०
पंजाब .	७५,०४०
मध्य प्रदेश .	४२,८८०
सौराष्ट्र .	८,०००
विंध्य प्रदेश	२,३२०
कुल	९,३३,१२०

(ख) और (ग). भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने नीबू की कलमों के परीक्षण के लिये कोडूर (आन्ध्र प्रदेश) में एक योजना मंजूर कर ली है। इस योजना के अधीन आम्ल नीबू तथा दूसरे नीबू की उन कलमों पर परीक्षण किये गये थे जिन्हें जामबेरी, आम्ल नीबू तथा गजानिम्मा पर उगाया गया था और उन के झाड़ सन् १९५१ में बगीचे में यह देखने के लिये लगाये गये थे कि विभिन्न कलमों का प्रभाव उन की बाढ़ तथा फसल में किस प्रकार पड़ता है।

(घ) यद्यपि कलमों के ये परीक्षण अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं तथापि इन से पता चला है कि जामबेरी की क़लम आम्ल नीबू के झाड़ों को अधिक शक्ति देती है परन्तु जहां तक पैदावार का सम्बन्ध है गजानिम्मा की कलम अन्यों की अपेक्षा अधिक अच्छी साबित हुई है। अन्तिम परिणाम प्राप्त करने के लिये ये परीक्षण लम्बे समय (और १०–१५ वर्ष) तक चालू रखने होंगे।

(नेपाली चपटे किस्म के) नीबू पर किये गये कलम परीक्षण से पता चला है कि आम्ल नीबू की कलम अन्य कलमों की अपेक्षा पौधों की शक्ति अधिक बढ़ाती है परन्तु उस का पैदावार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।

फिरोज़पुर ज़िले में डाक तथा तारघर

†१५६२. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ़िरोजपुर जिले (पंजाब राज्य) के पांच हजार या उस से अधिक आबादी वाले ऐसे कितने गांव हैं जिन में डाकघर और तारघर साथ साथ नहीं हैं और इस के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिस के अनुसार इन गांवों में और ऐसे गांवों में डाक तथा तार की मिली जुली सुविधायें दी जायेंगी जो लाभ और आबादी की दृष्टि से महत्व-पूर्ण न होते हुए भी कृषि तथा वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अब तक फीरोजपुर जिले के महत्वपूर्ण स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय न खोलने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) कोई नहीं।

(ख) जी हां, एक सीमित संख्या में उन गांवों में खोले गये हैं जहां उन्हें खोलना उचित था।

(ग) निहालसिंह वाला बांघीकलां और नाथान को छोड़ कर शेष महत्वपूर्ण स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की व्यवस्था कर दी गई है। पहिले दो स्थानों के लिये प्रस्ताव मंजूर हो गया है। वे सन् १९५८-५९ में खोले जायेंगे ? (बशर्ते कि आवश्यक सामग्री प्राप्त हो जाये)। नाथान का मामला विचाराधीन है। यदि उचित समझा गया तो वहां भी यह सुविधा कर दी जायेगी।

पुरी में सीमा-कर की वसूली

†१५६३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ वर्षों में पुरी आने वाले रेलवे यात्रियों से सीमा-कर की कितनी रकम वसूल की गई है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड वसूल की गई सीमा-कर की रकम सीधे ही उड़ीसा सरकार को दे दिया करता है ; और

(ग) क्या पुरी आने वाले रेलवे यात्रियों से वसूल की गई सीमा-कर की रकम पूरी की पूरी दे दी जाती है अथवा उस में से कुछ कटौती की जाती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क)

वर्ष	राशि
१९५४-५५	६४,९८० रुपये ६ नये पैसे
१९५५-५६	५८,१७४ रुपये ३७ नये पैसे
१९५६-५७	१,१५,३३६ रुपये २५ नये पैसे
१९५७-५८	१,३३,१८७ रुपये १६ नये पैसे ।

(ये अनुमानित आंकड़े हैं)

(ख) और (ग) बिहार तथा उड़ीसा तीर्थ स्थान अधिनियम, १९२० की धारा २०(१)(ग) के अनुसार ३०-९-५६ तक रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री-कर का सारा आगम वसूली के खर्चे काट कर पुरी लाजिंग हाउस निधि समिति के पास जमा कर दिया जाता था : १-१०-१९५६ को यात्री-कर की दरों में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप संविधान के अनुच्छेद २७९(१) के पद निर्देशों के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रमाणीकृत किये जाने के बाद कुल आगम की रकम उड़ीसा राज्य सरकार को दी जाती है।

वसूली के खर्च की चालू दर वसूल किये गये कुल कर की ३ प्रतिशत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

काश्मीर जाने के लिये पर्यटकों को परमिट

†१५६४. **श्री वाजपेयी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर जाने वाले पर्यटकों को पठानकोट के पर्मिट आफ़िस में झुलसाने वाली धूप में खड़े रहना पड़ता है क्योंकि वहां छाया की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है या क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** काश्मीर जाने वाले पर्यटकों को अपने जिले के पदाधिकारियों या प्रतिरक्षा मंत्रालय से पर्मिट लेने पड़ते हैं। पठानकोट का पर्मिट आफ़िस केवल स्थानीय जनता के लिये अथवा उन लोगों के लिये है जो बिना पर्मिट के गलती से पठानकोट पहुंच जाते हैं। पठानकोट का पर्मिट आफ़िस केवल एक कमरे में है और आकस्मिक जरूरतों को देखते हुए वह पर्याप्त है। परन्तु छाया वाले स्थान का कुछ प्रबन्ध करने की ओर पंजाब सरकार का ध्यान दिलाया गया है जो उस कार्यालय के प्रशासन के लिये जिम्मेदार है।

ड्राइवरों तथा गार्डों को सोने की सुविधायें

†१५६५. **श्री जोकीम आल्वा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के विक्टोरिया टरमिनस पर ड्राइवरों तथा गार्डों को सोने के लिये किस प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ख) दिन और रात ड्यूटी करने के लिये ड्राइवरों और गार्डों की पारियों की क्या व्यवस्था की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) मोटरमेन (ड्राइवर) तथा गार्डों के लिये बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनस पर अलग अलग एक रनिंग रूम की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक कमरे में १२ बिस्तर हैं। उन रनिंग रूम में गद्दों, कम्बलों तथा मसहरियों की भी व्यवस्था की गई है।

(ख) मोटरमेन (ड्राइवर) तथा गार्डों के ड्यूटी के घंटे गाड़ियों के समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ड्यूटी के घंटे जिन में ड्यूटी लेने और देने का समय भी शामिल है, ४ घंटे ५ मिनट से ले कर ९ घंटे २५ मिनट तक होता है। फिर भी गाड़ी पर चलते रहने की ड्यूटी किसी भी स्थिति में एक-बारगी ९ घंटे से अधिक नहीं होती।

देहरादून एक्सप्रेस के डिब्बे

१५६६. **श्री डामर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर चलने वाली देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी के कुछ डिब्बों की छतों की हालत बहुत खराब है ;

(ख) क्या इन टूटी छतों से वर्षा का पानी डिब्बों में टपकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगाल में चावल की कीमतें

†१५६७. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में चावल की वर्तमान कीमतें क्या हैं और वे पिछले दो महीनों तथा १९५७ के तदनुवर्त्ती समय में प्रचलित कीमतों की तुलना में कैसी हैं ; और

(ख) यदि कोई अन्तर है, तो उस की भिन्नता के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पश्चिमी बंगाल के विभिन्न जिलों में जून से अगस्त १९५८ तक के महीनों में चावल की औसत कीमत की सन् १९५७ के तदनुवर्ती महीनों की कीमतों से तुलना बताने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२]** ।

(ख) कीमतों में भिन्नता का मुख्य कारण यह है कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल में पिछली वर्ष की अपेक्षा चावल का उत्पादन कम हुआ है । अगस्त में उस के पहिले के दो महीनों की अपेक्षा कीमतें अधिक थीं क्योंकि वह मौसम के आने का समय था जबकि सामान्य परिस्थितियों में भी कीमतें बढ़ जाती हैं ।

मद्रास राज्य की सिंचाई परियोजनायें

†१५६८. **श्री तंगामणि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २३ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य की निम्नलिखित इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का काम प्रारम्भ हो गया है जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है :—

(१) नई कत्तालाई नहर योजना ।

(२) पुल्लमबाडी नहर योजना ।

(३) विदुर रिजर्वायर परियोजना ।

(४) परमबीकुलम्, शोलायार-अलीयार परियोजना ।

(५) नेयर द्वितीय राज्य (मद्रास तथा केरल दोनों राज्यों से सम्बन्धित है ।)

(६) कन्या कुमारी जिले में मध्यम वर्ग की योजनायें ।

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) और (ख) **नई कतालाई योजना ।**

जुलाई सन् १९५६ में नहर का काम शुरू हो गया था । मार्च १९५८ तक निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

नहर की मिट्टी खुदाई का काम तथा पुल बनाने और अंडर स्लूसेज बनाने का काम चल रहा है ।

पुल्लम बाडी नहर योजना :

काम १९५६-५७ में शुरू हुआ था । दिसम्बर १९५७ के अन्त तक प्रगति इस प्रकार है :—

नहरों की खुदाई, चिनाई के निर्माण कार्यों की रचना तथा किनारे बनाने का काम चल रहा है ।

विदुर रिजरवायर परियोजना :

मार्च १९५८ में परियोजना प्रारम्भ हुई थी । मार्च, १९५८ के अन्त तक नीचे दी गई प्रगति हुई है :—

जोड़ने वाली सड़क तथा बस्ती की इमारतें प्रायः समाप्त होने को हैं । नींव की खुदाई, चिनाई वाले बांध का निर्माण और मिट्टी के बांध के बनाये जाने का काम शुरू हो गया है ।

पेराम्बिकुलम, शोलायार—अलियार परियोजना :

काम शुरू नहीं हुआ और छानबीन का कार्य चल रहा है ।

नेयर द्वितीय राज्य (मद्रास और केरल दोनों राज्यों से सम्बन्धित है) :

केरल सरकार ने अक्टूबर, १९५६ में अपने क्षेत्र की परियोजना का कार्य शुरू कर दिया है ।

केरल सरकार द्वारा की गई मार्च १९५८ के अन्त तक की प्रगति निम्नलिखित है :—

पहिले आठ मीलों तक बायें किनारे की नहर काटने का काम पूरा हो गया है । ८वें मील और १२वें मील के आगे का कार्य चल रहा है ।

मद्रास सरकार द्वारा काम शुरू किये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिली ।

कन्याकुमारी जिले की मध्यम वर्ग की योजनायें :

जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

बम्बई (वी० टी०) की उपनगरीय रेलगाड़ियों के ड्राइवर

†१५६९. **श्री तंगामणि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की उपनगरीय रेलगाड़ियों के उन चालकों और कंडक्टरों को बम्बई (वी० टी०) स्टेशन पर मनोरंजन की कोई सुविधायें नहीं मिलतीं जिन्हें सवेरे जल्दी ही अपनी ड्यूटी आरम्भ करनी होती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस कठिनाई के कारण मोटरमेन और गार्डों को, जिन को ६ बजे सवेरे अपनी ड्यूटी फिर से करनी होती है, अपने रहने के दूर के स्थानों से वी० टी० पर आधी रात को ही आ जाना पड़ता है और स्टेशन पर जाग कर रात काटनी पड़ती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं। दो रनिंग कमरे, एक कंडक्टरों और एक मोटरमेन (चालकों) के लिये बम्बई के (वी० टी०) स्टेशन पर रखे गये हैं। प्रत्येक में सुसज्जित १२ बिस्तरे हैं। इन कमरों में दी गई जगह पर्याप्त समझी जाती है। क्योंकि ड्यूटी की तालिका के अनुसार रात के समय एक बार में ६ से अधिक मोटरमेन (चालक) और ६ कन्डक्टर (गार्ड) इन कमरों में नहीं रहते।

(ख) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का सम्मेलन

†**१५७०. सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री उन भारतीय प्रतिनिधियों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने २६ मई से १६ जून, १९५८ तक चलने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के अमेरिका में हुए सम्मेलन में भाग लिया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : २६ मई से १६ जून, १९५८ तक चलने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के दसवें वार्षिक स्मरणोत्सव **सत्र** तथा विश्व स्वास्थ्य सभा ग्यारहवें सत्र में, जोकि मिन्नेयेपॉलिस, अमेरिका में हुए थे, निम्नलिखित **भा**रतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था :—

१. डा० ए० एल० मुदलियार, वाइस चांसलर, मद्रास यूनिवर्सिटी—नेता
२. श्री वी० के० बी० पिल्ले, स्वास्थ्य मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव—प्रतिनिधि
३. डा० आर० वी० वार्डेकर, गांधी स्मारक कोढ़ स्थापना, वर्धा के सचिव—प्रतिनिधि
४. डा० टी० आर० तिवारी, निदेशक, अंशदान स्वास्थ्य सेवा योजना, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें, दिल्ली—वैकल्पिक प्रतिनिधि

पंजाब में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सड़कें

†**१५७१. सरदार इक़बाल सिंह**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५४-५५ और १९५५-५६ में पंजाब में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सड़कों के निर्माण और देखभाल के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी ; और

(ख) उक्त वर्षों में पंजाब में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कितने मील लम्बी सड़कों का निर्माण तथा संधारण किया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). पठानकोट जम्मू रोड, जोकि पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर राज्यों में विद्यमान राष्ट्रीय राजपथ संख्या १—क का एक भाग है, को ६२ मील लम्बी सड़क केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की देख रेख में तैयार हो रही है। इसमें से ८ मील की सड़क पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य के अन्तर्गत आने वाली इस सड़क के टुकड़े के लिये कोई अलग राशि आवंटित नहीं की गई थी। १९५४-५५ और १९५५-५६

†मूल अंग्रेजी में

में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई पठानकोट जम्मू रोड के ६२ मील के सारे टुकड़े के निर्माण और संधारण के लिये निम्नलिखित राशियां निर्धारित की गई थीं :—

	मूल निर्माण कार्य	संधारण और मरम्मत
	रुपये	रुपये
१९५४-५५ . . .	१,७९,८००	४,८०,३००
१९५५-५६	११,८५,९००	४,८६,१००

फाजिल्का–फीरोजपुर रेलवे लाइन

†१५७२. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फाजिल्का-फीरोज़पुर रेलवे लाइन घाटे पर चल रही है ;

(ख) इस लाइन पर औसतन कितने यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं ; और

(ग) इस लाइन पर प्रतिदिन कितनी माल गाड़ियां चलती हैं ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) क्योंकि फाजिलका-फीरोजपुर सेक्शन उत्तर रेलवे का केवल एक भाग है, इसलिये इसका कोई अलग खाता नहीं रखा जाता जिससे उसके घाटे का हिसाब लगाया जा सके ।

(ख) पहली श्रेणी के यात्री	.	१
दूसरी श्रेणी के यात्री	.	२०
तीसरी श्रेणी के यात्री .	.	३२४९

(ग) उस लाइन पर कोई भी मालगाड़ी नहीं चलती क्योंकि सामान साधारणतया मिली जुली गाड़ियों से ही भेज दिया जाता है ।

मेडिकल शिक्षा सम्मेलन

†१५७३. { **सरदार इक़बाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, १९५८ में नई दिल्ली में मेडिकल शिक्षा सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) सरकार द्वारा उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निम्नलिखित संकल्प पारित किये गये थे :—

संकल्प—१

यह सम्मेलन मेडिकल कालेजों में पूर्णकालिक शिक्षण एकक स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों के राजकीय सहायता देने की योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अभी तक किये गये प्रयत्नों का पुनरीक्षण करने पर इस बात का खेद प्रकट करता है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। सम्मेलन उस विषय के महत्व पर फिर से बल देता है और निवेदन करता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें यथासम्भव मेडिकल कालेजों के सभी विभागों में पूर्णकालिक शिक्षण एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में तत्काल कायवाही करें। केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये राजकीय सहायता मंजूर करने की प्रस्थापना प्रस्तुत की है, परन्तु द्वितीय योजना काल की अवधि की समाप्ति पर इस योजना पर आने वाला खर्च हमारे लिये वचनवद्ध खर्च बन जायेगा, और इसलिये इस योजना को जारी रखने के लिये समाधानों के प्रश्न पर योजना आयोग तथा अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा केन्द्र तथा राज्यों को उपबन्ध सभी संसाधनों की दृष्टि में रखते हुए विचार किया जायेगा।

संकल्प—२

सम्मेलन का यह विचार है कि विशेषकर नान-क्लिनिकल विषयों में शिक्षकों की कमी का मुख्य कारण यह है कि उन्हें वहां पर कम वेतन दिये जाते हैं। सम्मेलन का यह विचार है कि वेतन-क्रमों को बढ़ाकर ऐसा कर दिया जाये जिससे योग्य व्यक्ति स्वयंमेव शिक्षणकार्य की ओर आकृष्ट हो सकें। स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा तथा गवेषणा को प्रोत्साहन देने के लिये मेडिकल शिक्षकों के लिये निम्नलिखित न्यूनतम वेतनक्रमों की सिफारिश की जाती है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में परिवर्तित भी किये जा सकते हैं :—

(क) प्रोफेसर	१०००—१,४००	इसके साथ २५० रुपये प्रतिमास नान-प्रैक्टिसिंग एलाउंस के रूप में दिये जायें।
(ख) अतिरिक्त अथवा सम्बद्ध प्रोफेसर	८००—१,२५०	इसके साथ कम से कम २५० रुपये प्रति मास नान-प्रैक्टिसिंग एलाउंस के रूप में दिये जायें।
(ग) रीडर/सहायक प्रोफेसर	५००—३०—८००	इसके साथ १५० रुपये प्रति-मास नान-प्रैक्टिसिंग एलाउंस के रूप में दिये जायें।
(घ) कनिष्ठ शिक्षक	२५०—६००	इसके साथ १५० रुपये प्रतिमास नान-प्रैक्टिसिंग एलाउंस के रूप में दिये जायें।

(जबकि डिमांस्ट्रेटरों का वेतन कम से कम २५० रुपये प्रतिमास से प्रारम्भ किया जाये, लेक्चरारों का वेतन ४५० रुपये प्रतिमास से शुरु किया जाये।)

†मूल अंग्रेजी में

सम्मेलन की यह भी राय है कि शिक्षकों को एक कालेज से दूसरे कालेज में जाने से रोकने के लिये उत्तम उपाय यही है कि सभी कालेजों में एक जैसे वेतन क्रम अपनाया जाये।

संकल्प—३

सम्मेलन को इस बात का खेद है कि देश के बहुत से मेडिकल कालेजों में विशेषकर नान-क्लिनिकल विषयों के लिये पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। सम्मेलन को इस बात की आशंका है कि अतिरिक्त मेडिकल कालेजों के खुलने और वर्तमान कालेजों का विस्तार होने पर शिक्षकों के सम्बन्ध में स्थिति और भी बिगड़ जायेगी। इसलिये सम्मेलन की यह सिफारिश है कि स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक कार्यवाहियां की जायें। अन्य उपायों के साथ साथ निम्नलिखित उपायों के बारे में सुझाव दिया जाता है :—

(१) मेडिकल कालेजों के उन शिक्षकों की निवृत्ति की आयु को बढ़ा दिया जाये जोकि शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से उपयुक्त हैं ;

(२) निवृत्ति-प्राप्त भूतपूर्व शिक्षकों को यथायोग्य पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर पुनः नियुक्त किया जाये ;

(३) होनहार नवयुवक स्नातकों को कनिष्ठ शिक्षण कार्यों के लिये और स्नातकोत्तर डिग्रियों के लिये काम करने के लिये अधिछात्रवृत्तियां दी जायें जिससे उन्हें शिक्षण कार्य में प्रोत्साहन मिल सके। उस प्रकार की वृत्तियां देते समय उन से इस बात की गारन्टी ले लेनी चाहिये कि वे कम से कम एक निश्चित अवधि तक शिक्षक का काम अवश्य करेंगे, केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की वृत्तियों के लिये वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर अवश्य विचार करे ।

(४) वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद् और विश्व-विद्यालयों को व्यक्तिगत मामलों में अर्हताप्राप्त और अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की शर्तों में कुछ ढील कर देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये और विशेष कर ऐसे अवसरों पर ऐसा अवश्य किया जाये जब कि सारे देश में विज्ञापन देने के उपरान्त भी उपयुक्त अर्हताप्राप्त तथा अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध न हों।

(५) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश के सभी मेडिकल कालेजों के विद्यार्थियों को विदेशों में प्रशिक्षण देने के लिये छात्रवृत्तियां देने की एक सम्मिलित योजना तैयार की जाये (जिसके लिये विदेशी अभिकरणों से सहायता प्राप्त की जाये।)

(६) विश्वविद्यालयों से यह प्रार्थना की जाये कि वे स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान करते समय प्रादेशिक और अधिवास सम्बन्ध प्रतिबन्धों को ढीला कर दें ताकि किसी एक विश्वविद्यालय के स्नातक किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिये प्रवेश प्राप्त कर सकें।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन सभी मेडिकल कालेजों के क्लिनिक तथा नान-क्लिनिक विभागों में पूर्णकालिका शिक्षण एककों की स्थापना के लिये राज्य सरकारों की सहायता का निर्णय किया है। राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है कि केन्द्रीय

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सरकार १९५९–६० और १९६०–६१ के वर्षों में शिक्षकों के वेतनक्रम बढ़ाने पर आने वाले अतिरिक्त आवर्तक खर्च का १०० प्रतिशत अदा करने के लिये तैयार है। अन्य संकल्पों की प्रतियां राज्य सरकारों के पास भेज दी गयी हैं, वे ही इस सम्बध में आगे कार्यवाही करेंगी।

आम का सुधार

†१५७४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम के प्रचार के सम्बन्ध में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा कोई गवेषणा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की योजनाओं के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या नतीजे निकले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३]**

आम का उत्पादन

†१५७५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में आम का कितना कितना उत्पादन हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

हिन्दूमलकोट—श्री गंगानगर रेलवे सम्पर्क

†१५७६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर हिन्दूमलकोट और श्री गंगानगर रेलवे स्टेशनों को मिलाने वाली रेलवे लाइन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण प्रतिवेदन इस समय विचाराधीन है और उसके सम्बन्ध में जब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर लिया जाता तब तक उस में दी गयी सिफ़ारिशों के बारे में ब्यौरे बताना उचित नहीं है।

फीरोज़पुर ज़िले में डाक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१५७७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ़ीरोज़पुर ज़िले में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में और अब तक कुल कितने क्वार्टर तैयार कराये जा चुके हैं;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) वे क्वार्टर किन किन स्थानों पर बनवाये गये हैं; और

(ग) उस ज़िले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रकार के कितने और क्वार्टर बनवाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) ३३ यूनिट ।

(ख) फ़ीरोज़पुर तथा फाजिल्का ।

(ग) ३४ यूनिट ।

प्रादेशिक रेलवे उपकरण मंत्रणा समिति

†**१५७८. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने प्रादेशिक रेलवे उपकरण मंत्रणा समितियां स्थापित कर ली हैं;

(ख) उन समितियों के मुख्य मुख्य कार्य क्या होंगे;

(ग) इस प्रकार की कितनी समितियां हैं और उनके सदस्य कौन कौन हैं; और

(घ) इन समितियों द्वारा अभी तक कितना कार्य किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५४]**

बिजली की रेलगाड़ियों के इंजन

†**१५७९. श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे लाइनों पर कितने बिजली के इंजन चल रहे हैं;

(ख) उन्हें कब खरीदा गया था;

(ग) क्या वे अभी तक अच्छी हालत में हैं;

(घ) क्या यह सच है कि देश में इस प्रकार के इंजनों की कमी है;

(ङ) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) क्या भारत में इस प्रकार के इंजन तैयार किये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) इस समय ४ मीटर लाइन और ८८ बड़ी लाइन के बिजली के इंजन चल रहे हैं ।

(ख) ४ मीटर लाइन और ६५ बड़ी लाइन के इंजन १९२७—३१ में खरीदे गये थे ।

१ बड़ी लाइन का इंजन १९३८ में खरीदा गया था ।

७ बड़ी लाइन के इंजन १९५५ में खरीदे गये थे ।

१५ बड़ी लाइन के इंजन १९५७-५८ में खरीदे गये थे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) मध्य रेलवे के लिये ७ बड़ी लाइन के बिजली के इंजन आयात करने का प्रश्न अब विचाराधीन है ।

(च) जी, नहीं ।

बम्बई राज्य में सहकारिता आन्दोलन

†१५८०. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सरकार ने हाल ही में बम्बई राज्य में सहकारिता आन्दोलन के विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण के लिये प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह ऋण दे दिया गया है; और

(ग) उस ऋण की कितनी राशि है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेलवे कर्मचारियों और सब्जी बेचने वाले में हाथापाई

†१५८१. **श्री नारायणन् कुट्टि :**
श्री वारियर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ जुलाई, १९५८ को कलकत्ता जाने वाली कटवा लोकल, जबकि वह बालागढ़ रेलवे स्टेशन से चल चुकी थी, कन्ट्रोल केबिन के आपरेटरों द्वारा रोक ली गई;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वहां पर रेलवे कर्मचारियों और सब्जी बेचने वालों में हाथापाई भी हो गयी थी जिसके परिणामस्वरूप एक सब्जी बेचने वाला मारा गया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) ८-७-१९५८ को ८·१८ बजे नम्बर एस १६६ डाऊन कटवा लोकल के बालागढ़ स्टेशन से चलने के बाद उसे यात्रियों ने खतरे की जंजीर खींच कर ठहरा दिया था ।

(ख) बताया जाता है कि केबिन सिगनल मैन, गर्मियों में पानी पिलाने वाले एक व्यक्ति और एक वैंडर (स्टेशन पर सामान बेचने वाले) के बीच झड़प हो गयी थी जो कि बाद में उपरोक्त रेलवे कर्मचारियों और वैंडर के बीच हाथापाई के रूप में बदल गयी । बाद में देखा गया कि वह वैंडर उसी गाड़ी के नीचे कट कर मरा हुआ पड़ा था ।

(ग) इस घटना की एक विभागीय जांच की गयी थी, परन्तु वह पूरी न हो सकी क्योंकि दो रेलवे कर्मचारी पुलिस की हिरासत में हैं । मामला न्यायालय में है । उन कर्मचारियों को सेवा से मुअत्तिल कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों के मीन क्षेत्रों के प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन

†१५८२. **श्री वाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९५८ के दूसरे सप्ताह में मैसूर में राज्यों के मीन क्षेत्रों के प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या क्या निर्णय किये गये थे और क्या क्या सिफारिशें की गई थीं ; और

(ग) उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जी, हां । १४ से १६ जुलाई, १९५८ को मैसूर में एक सम्मेलन हुआ था ।

(ख) सम्मेलन द्वारा की गई सिफ़ारिशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(ग) आवश्यक कार्यवाही के लिये वे सिफारिशें राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित विभागों के पास भेज दी गई हैं ।

मेल गार्ड

†१५८३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५ में डाक तथा तार विभाग ने दिल्ली के सौर्टिंग और एयर मेल डिवीज़नों (डाक छांटने और हवाई डाक के विभागों) में कुछ मेल गार्डों के रिक्त स्थान विज्ञापित किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस के लिये कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे ;

(ग) कितने आवेदन कर्ताओं को परीक्षा देने के लिये बुलाया गया था ; और

(घ) क्या उस परीक्षा में पास होने वाले सभी व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, हां ।

(ख) २७६ ।

(ग) १७८ ।

(घ) जी, नहीं । क्योंकि वह परीक्षा एक प्रतियोगी परीक्षा थी, इसलिये योग्यता के क्रम से केवल उतने ही लोगों को नियुक्त किया गया है जितने कि स्थान खाली थे ।

दक्षिण पूर्व रेलवे ज़ोन में परलाकीमेदी लाइट रेलवे

†१५८४. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में दक्षिण पूर्वी रेलवे ज़ोन को परलाकीमेदी लाइट रेलवे से १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितनी वार्षिक आय हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन वर्षों में कितना खर्च हुआ था ;

(ग) इन दो वर्षों में बिना टिकट के यात्रा करने वाले कितने यात्री पकड़े गये थे ;

(घ) उन में से कितने व्यक्तियों को सजा दी गई और कितने व्यक्तियों से किराया आदि लेकर उन्हें छोड़ दिया गया है ; और

(ङ) उक्त वर्षों में विशेष कर्मचारियों द्वारा इस लाइन पर बिना टिकट की यात्रा की कितनी रोक-थाम की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० कृष्णस्वामी)**: (क) और (ख). क्योंकि परलाकीमेदी लाइट सेक्शन दक्षिण पूर्व रेलवे का एक भाग है, इसलिये इस सेक्शन के अलग खाते नहीं रखे जाते ।

(ग) १९५६-५७ . . १,५३७

१९५७-५८ . . . . . १,६४८

(घ) १९५६-५७ में बिना टिकट यात्रा करने वाले जो १,५३७ यात्री पकड़े थे, उन में से १,५१३ व्यक्तियों ने मांगने पर भारतीय रेलवे अधिनियम के अधीन राशि अदाकर दी गई थी; २४ मामले न्यायालय में दायर कर दिये गये थे, जिन में से १२ को कैद की सज़ा दी गई, ४ से अतिरिक्त किराया और जुर्माना लिया गया और ५ को छोड़ दिया गया । शेष ३ व्यक्तियों का कुछ भी पता न लग सका, क्योंकि उन्हों ने अपने ग़लत पते दे दिये थे ।

१९५७-५८ में बिना टिकट यात्रा करने वाले जो १,६४८ व्यक्ति पकड़े गये थे, उन में से १,६२७ व्यक्तियों ने मांगने पर अधिनियम के अधीन राशि अदा कर दी थी । शेष ११ मामले न्यायालय में दायर करा दिये गये । उन में १५ को कैद की सजा दी गई, ३ व्यक्तियों से अतिरिक्त किराया और जुर्माना वसूल किया गया और १ को छोड़ दिया गया । शेष दो व्यक्तियों का कुछ पता न चला क्योंकि उन्हों ने अपने ग़लत पते दे दिये थे ।

(ङ) १९५६-५७——एक बार

१९५७-५८——नौ बार

अहमदपुर स्टेशन से यात्री यातायात

†**१५८५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के पश्चिमी बंगाल के अहमदपुर स्टेशन से प्रतिदिन औसत कितने यात्रियों का आना जाना रहता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस स्टेशन पर टिकट प्राप्त करने की केवल एक ही खिड़की है, अतः वहां पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है और टिकट लेने में बहुत देर लग जाती है ; और

(ग) क्या खिड़कियों की संख्या बढ़ा देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) लगभग ११०० यात्री प्रतिदिन ।

(ख) ऐसा देखा गया है कि टिकट की खिड़की पर अधिक भीड़ भाड़ रहती है ।

(ग) एक और खिड़की लगा देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी का निर्यात

†१५८६. **श्री हेम बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६, १९५७ और १९५८ में आज तक चीनी के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५४ से १९५६ तक तो देश में चीनी के उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये बाहर से पर्याप्त मात्रा में चीनी का आयात करना पड़ा था। अतः १९५६ में चीनी के निर्यात का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

फिर देश में चीनी के उत्पादन में होती हुई वृद्धि और विदेशी मुद्रा कमाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जनवरी, १९५७ में फालतू चीनी का निर्यात कर देने का निर्णय किया गया। वैसा करना संभव भी था क्योंकि उस समय अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में भी चीनी के मूल्य चढ़े हुये थे। विक्रेताओं में होड़ को रोकने के लिये और चीनी के लिये विदेशों से अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिये चीनी को भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन के द्वारा बेचने की व्यवस्था की गई। इस सम्बन्ध में एसोसियेशन को अपेक्षित मात्रा तथा गुड़ की चीनी भेजने, शीघ्रता से भेजने, गोदामों में स्थान आदि के सम्बन्ध में सभी प्रकार की सुविधायें दी गई थीं।

जुलाई, १९५७ से विश्व मार्केट में चीनी के मूल्य में बड़ी गिरावट आ गई और अब भारतीय चीनी ९ या १० रुपये प्रति मन घाटे पर ही बेची जा सकती है। इस दृष्टि से कि इस घाटे के बावजूद भी चीनी का निर्यात होता रहे, एक अध्यादेश जारी कर दिया गया था जिसके अनुसार उत्पादन करने वालों पर इस बात का आभार है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित एक कोटे के अनुसार चीनी का निर्यात करते रहें। इस अध्यादेश का स्थान लेने के लिये संसद् के चालू सत्र में ही चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। निर्यात अभिकरण को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं।

बिजली की खपत

†१५८७. **चौ० रणवीर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी विद्युत संभरण कम्पनियां (लाइसेंसदार) बिजली के खम्भों से उपभोक्ताओं की इमारतों तक अस्थायी कनैक्शन देने के लिये लगायी गई सर्विस लाइनों का पूरा खर्च उपभोक्ताओं से वसूल करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब सरकार ने कम्पनियों को यह परामर्श दिया है कि वे सर्विस लाइनों का पूरा खर्च लेने के स्थान पर उनका किराया वसूल किया करे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कम्पनियां सरकार के इस परामर्श पर अमल करने में असफल रही हैं ;

(घ) क्या उक्त प्रयोजन की पूर्ति के लिये विधान में संशोधन करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (घ) तक का उत्तर 'हां' में है, तो क्या सरकार शीघ्र ही विधान को संशोधित करने का विचार रखती है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) गैर-सरकारी बिजली कम्पनियों का सामान्य तरीका यह है कि वे अस्थायी सर्विस लाइनों का पूरा खर्च नहीं वसूल करतीं, बल्कि केवल किराया ही लेती हैं। इस सम्बन्ध में केवल एक ही मामला सरकार की सूचना में आया है जिसमें पूरा खर्च वसूल किया गया था—वह है रोहतक की लाइसेंसदार कम्पनी।

(ख) और (ग). जी, हां। पंजाब सरकार ने रोहतक की कम्पनी से कह दिया है कि वह केवल किराया ही वसूल किया करे। परन्तु, मालूम हुआ है कि उसने पंजाब सरकार की हिदायतों का अभी तक पालन नहीं किया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सूरतगढ़ मैकेनाइज्ड फार्म

†१५८८. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सूरत-गढ़ कृषि फार्म के लिये कितने गांव लिये गये हैं और इन गांवों के निवासियों को उनकी भूमि के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने कितना प्रतिकर दिया है ; और

(ख) चक्क सावन, हसमकी धानी और सरदारगढ़ गांवों के प्रत्येक किसान को कितना प्रतिकर दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५६]**

करौल बाग में गन्दगी

†१५८९. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के करोलबाग में वैस्टर्न एक्सटेन्शन एरिया के बीचोंबीच पहले जहां एक कब्रिस्तान था वहां अब उसके स्थान पर अस्तबलों और कबाड़खानों तथा अनधिकृत दुग्धशालाओं का जमाव हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह स्थान राजधानी के सब से गन्दे स्थानों में से एक है और उस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य के लिये एक स्थायी खतरा बना हुआ है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जी हां। विभाजन के बाद से कुछ विस्थापित व्यक्तियों ने इस कब्रिस्तान पर अधिकार जमा लिया है और यहां गैर-लाइसेंसशुदा दुग्धशालायें और मोटरों की मरम्मत के वर्कशाप खोल दिये हैं।

(ग) यह कब्रिस्तान सुन्नी-मजलिस-उकफ़ की सम्पत्ति है और दिल्ली का नगरपालिका निगम इस स्थान को साफ़ सुथरे ढंग से रखने के बारे में मजलिस से लिखा पढ़ी कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अलावा दुग्धशालाओं के मालिकों को अपने अनधिकृत अस्तबल वहां से हटाने के लिये नोटिस दिये गये हैं। नोटिसों का पालन करने से इंकार करने पर उनके खिलाफ़ मुक़दमे चलाये गये हैं और कुछ कुछ दुग्धशालाओं के मालिकों पर तो ५०–५० से भी अधिक बार मुक़दमे चल चुके हैं।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफ़ाई की समस्या बहुत जटिल है। इस क्षेत्र की तत्काल सफाई और सम्बन्धित लोगों को फिर से बसाने की कोई योजना दिल्ली विकास प्राधिकार ने आरम्भ नहीं कर रखी है। यह यथा समय आरम्भ की जायगी।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई

†१५९०. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २६ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के मोतिया खां और झण्डेवालान मुहल्लों में रहने वाले लोगों के कष्ट कम करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : यह क्षेत्र काफी निचली सतह पर है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मजदूर, भंगी, तांगे वाले और कुछ विस्थापित व्यक्ति बस गये हैं। नगर नियोजन संगठन[1] भविष्य में इस क्षेत्र के विकास के लिये जमीन का नक्शा तैयार कर रहा है और इस योजना को अन्तिम रूप प्रदान करने में अभी कुछ समय लगेगा।

इज्जतनगर में वर्कशाप

†१५९१. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इज्जतनगर में प्रस्तावित वर्कशाप कब तक बन कर तैयार होने की सम्भावना है ;

(ख) इस वर्कशाप में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों का ब्योरा क्या है और उस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा ; और

(ग) इस वर्कशाप के लिये कितने व्यक्ति भर्ती किये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अगस्त, १९६१ तक।

(ख) (१) इंजनों, सवारी और माल-डिब्बों का नियतकालिक ओवरहाल।

(२) इस्पात के खोल वाले सवारी डिब्बों में साज-सामान लगाना।

(३) इंजनों, सवारी और माल डिब्बों की फिटिंग के सामान तैयार करना।

(४) कारखाने के विस्तार की अनुमानित लागत १८६·४३ लाख पये है।

(ग) अगले ३–४ साल में लगभग ४००० आदमी भर्ती करने का विचार है।

लखनऊ-बरेली रेलवे सेक्शन

१५९२. **श्री मोहन स्वरूप**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ-बरेली सेक्शन के विभिन्न स्टेशनों पर रोशनी व बत्ती का प्रबन्ध करने के लिये कोई ठेकेदार नियुक्त किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Town Planning Organisation.

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा इस कार्य पर किये जाने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है और लखनऊ-बरेली सेक्शन के कितने स्टेशनों पर ठेकेदारों द्वारा रोशनी का प्रबन्ध किया जाता है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां। १-५-५८ से पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ-बरेली सेक्शन के स्टेशनों पर रोशनी के लिये ऊंचे पावर की बत्तियां सप्लाई करने के लिये श्री के० एन० नरूला नये ठेकेदार नियुक्त किये गये हैं। श्री नरूला ने हर रात हर बत्ती के लिये पास सहित ९५ नये पैसे का भाव[1] दिया था जो सब से कम था।

(ख) लखनऊ-बरेली सेक्शन पर ऊंचे पावर की बत्तियों से रोशनी की व्यवस्था केवल नीचे लिखे तीन स्टेशनों पर है और १-५-५८ से पहले इस रोशनी पर सालाना खर्च लगभग इस प्रकार था :—

१. पीलीभीत	२०७६ रुपये
२. पूरनपुर	१७८५ रुपये
३. हरगांव	११८१ रुपये

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

१५९३. श्री मोहन स्वरूप : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में बरेली, पीलीभीत और रामपुर की चीनी की मिलों में कितना गन्ना पेरा गया और उन में से प्रत्येक ने कितनी चीनी तैयार की ; और

(ख) इन मिलों ने गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य के रूप में कुल कितनी राशि दी और कितनी राशि का भुगतान अभी बाकी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में बरेली, पीलीभीत और रामपुर की चीनी मिलों में निम्नलिखित परिमाण में गन्ना पेरा गया और चीनी तैयार की गई।

(लाख टनों में)

सीज़न	बरेली		पीलीभीत		रामपुर (रज़ा और बुलन्द)	
	जितना गन्ना पेरा गया	जितनी चीनी तैयार हुई	जितना गन्ना पेरा गया	जितनी चीनी तैय्यार हुई	जितना गन्ना पेरा गया	जितनी चीनी तैय्यार हुई
१९५५-५६	१.८२	०.१७	२.६०	०.२५	४.०६	०.४०
१९५६-५७	१.९३	०.१८	३.२४	०.२९	३.७४	०.३८
१९५७-५८	१.३५	०.१३	१.६१	०.१६	३.१६	०.३२

†मूल अंग्रेजी में

[1]Quotation.

(ख) १९५७-५८ सीजन में गन्ने का कुल मूल्य, उसमें से जितनी राशि का भुगतान हो चुका है और जितना भुगतान बाकी है उसका विवरण निम्नलिखित है :—

मिल का नाम	गन्ने का कुल मूल्य	जितनी राशि का भुगतान हो चुका है	जितनी राशि का भुगतान बाकी है
	(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)
बरेली	५०.१५	४७.४०	२.८५ ३१ जुलाई को
पीलीभीत	६१.७१	५७.८९	३.८२ १५ अगस्त को
रामपुर (रज़ा और बुलन्द)	११९.६९	११९.६९	कुछ नहीं

नल कूप

†१५९४. **श्री वै० च० मलिक :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सभी सूखा-पीड़ित राज्यों को १९५७-५८ और १९५८-५९ में नलकूप लगाने के लिये वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजन के लिये कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) प्रत्येक सूखा-पीड़ित राज्य में अब तक कितने कितने नलकूप लगाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). चारों सूखा-पीड़ित राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को नलकूपों के लिये १९५७-५८ में जो वित्तीय सहायता दी गई और १९५८-५९ के लिये जिस सहायता की सहमति दी गई है उसका विवरण इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

राज्य	१९५७-५८ दिया गया ऋण	१९५८-५९ ऋण के लिये सहमति
उत्तर प्रदेश	१९०.७३	१४४.००
बिहार	१५.९७	३५.४८
मध्य प्रदेश	६.३८	४.८६
उड़ीसा	—	२.६६

†मूल अंग्रेजी में

(ग)

राज्य	१९५७-५८ (लगाये गये)	१९५८-५९ (लक्ष्य)
उत्तर प्रदेश	१७९	२१७
बिहार	३१*	३०
उड़ीसा	**	६
मध्य प्रदेश	**	**

हिन्दी पढ़ाने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला मानदेय[1]

१५९५. श्री क० भे० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय में हिन्दी पढ़ाने वाले कर्मचारियों को प्रतिमास कितना मानदेय दिया जाता है ; और

(ख) क्या यह मानदेय अन्य स्थानों में भी दिया जाता है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). रेलवे के प्रधान कार्यालय और दूसरी जगहों पर जहां दफ्तर के समय से पहले या बाद हिन्दी की कक्षायें लगती हैं वहां हिन्दी पढ़ाने वाले कर्मचारियों को २५ रु० मासिक मानदेय दिया जाता है। लेकिन मार्च, १९५८ से अजमेर और बड़ौदा में दफ्तर के समय में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की गयी है। इसलिये वहां हिन्दी शिक्षकों को मानदेय नहीं दिया जाता।

हिन्दी में भेजे गये पत्र

१५९६. श्री क० भे० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासनों को भेजे जाने वाले पत्रों के साथ रेलवे मंत्रालय यह निदेश संलग्न कर देता है कि केवल अंग्रेजी पाठ को अधिकृत माना जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब नियमों आदि के हिन्दी अनुवाद से है, जो रेल-प्रशासनों को भेजे जाते हैं। यदि ऐसा है तो उत्तर हां है।

(ख) भारतीय संघ की राजभाषा अभी अंग्रेजी है।

दुर्घटना सम्बन्धी नियम

१५९७. श्री क० भे० मालवीय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने विभिन्न रेलवे प्रशासनों को दुर्घटनाओं के बारे में सामान्य नियमों का हिन्दी अनुवाद भेजा है ; और

---

*छोटे नलकूपों से सम्बन्धित ।

**आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

नोट—असफलताओं सम्बंधी आंकड़े अस्थायी हैं ।

[1] Honorarium.

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). शायद माननीय सदस्य का मतलब सामान्य नियमों के दुर्घटनाओं वाले अध्याय से है, जिसमें बताया गया है कि यदि गाड़ी से कुछ डिब्बे अलग हो जायं या आग लग जाय, तो उस हालत में कर्मचारियों को क्या करना चाहिये, या यदि लाइन पर किसी तरह की रुकावट[1] हो जाय, तो लाइन की रक्षा किस तरह की जाय। पूरे सामान्य नियमों का हिन्दी अनुवाद हो रहा है और ज्यों ही अनुवाद पूरा हो जायेगा, उसे रेल-प्रशासनों को भेज दिया जायेगा।

रेलवे सुरक्षा बल

१५९८. श्री क० भे० मालवीय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल के अनुशासन तथा अपील नियम हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में जारी कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल के अनुशासन और अपील-संबंधी नियमों का परिशोधन[2] किया जा रहा है। अधिक महत्वपूर्ण संहिताओं[3] का हिन्दी अनुवाद हो जाने के बाद इन नियमों का हिन्दी अनुवाद यथासमय शुरू किया जायेगा और प्रादेशिक भाषाओं में इनका अनुवाद करने के सवाल पर भी विचार किया जायेगा।

व्यास क्षेत्र में वन उद्योग

†**१५९९. श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २००५ और ८ मई, १९५८ के अतरांकित प्रश्न संख्या ३५८९ के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास क्षेत्र में वन-उद्योगों की स्थापना के संबंध में फिनलैंड के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) अभी नहीं। फिनलैंड की सरकार को इसके लिये स्मरण दिलाया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर ही इस बात पर विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Obstruction.

[2] Revision.

[3] Codes.

माल उतरने की प्रतीक्षा में खड़े पोत

†१६००. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई, १९५८ को कितने पोत माल उतरने की प्रतीक्षा में भारत के विभिन्न पत्तनों पर खड़े थे ; और

(ख) वह कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १३ ।

(ख) १ बीस दिन से
१ आठ दिन से
१ छः दिन से
५ चार दिन से
१ तीन दिन से
२ दो दिन से
१ एक दिन से और
१ ३१ जुलाई को ही सवेरे आया था ।

भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन

†१६०१. **श्री पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के नयी राजधानी की ओर एक प्लेटफार्म का निर्माण करने के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) क्या मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन, यार्ड को नया रूप देने की योजना के अंश के रूप में स्टेशन के राजधानी की ओर के भाग में एक प्लेटफार्म का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि कटक–खुर्दा रोड सेक्शन पर लाइन की क्षमता बढ़ाने का काम आवश्यक हो गया था ।

पटना जंकशन पर लाइसेंस प्राप्त पोर्टरों के रूप में अनधिकृत व्यक्ति

१६०२. **श्री महेन्द्र नाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के पटना जंक्शन पर अनधिकृत लोग लाइसेंस प्राप्त पोर्टरों के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि लाइसेंस प्राप्त पोर्टर उन्हें अपनी वर्दी और लाइसेंस नम्बर पहनने देते हैं ताकि वे पोर्टरों के रूप में काम कर सकें ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने कम से कम आधे दर्जन ऐसे मामलों का पता लगाया था और अपराधियों को दंड देने के लिये उनके विरुद्ध अभियोग चलाया गया है ;

(घ) क्या ऐसी स्थिति कुछ अन्य स्टेशनों तथा रेलों में भी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जनवरी और अप्रैल १९५८ के बीच पटना जंक्शन पर ६ भारिक[1] बिना लाइसेंस काम करते पाये गये।

(ख) इस तरह का कोई मामला रेलवे के नोटिस में नहीं आया है।

(ग) जी हां।

(घ) इस बात की शिकायतें आयी हैं कि दूसरी रेलों के कुछ थोड़े से स्टेशनों पर भी कुछ भारिक बिना लाइसेंस काम करते हैं।

(ङ) ऐसे भारिकों को रेलवे पुलिस और सुरक्षा-दल[2] की मदद से पकड़ कर उन पर मुकदमा चलाया जाता है।

चरखी दादरी की सीमेंट फैक्ट्री के लिये माल-डिब्बे

†**१६०३. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चरखी दादरी की सीमेंट फैक्टरी को चालू वर्ष के लिये जो माल डिब्बे दिये गये थे वह अपने बीजकों के अनुसार पूरी तरह लादे नहीं गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसी अवधि के प्रत्येक महीने में कितने-कितने माल-डिब्बे बेकार रहे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) केवल कुछ को छोड़ कर चरखी दादरी की सीमेंट फैक्टरी ने शेष सभी माल डिब्बों में बीजकों के अनुसार माल लादा था।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें चरखी दादरी की फैक्ट्री को जनवरी से २०-८-५८ तक के कोटे मांगे गये, दिये गये और लादे गये माल डिब्बों का महीनेवार ब्यौरा दिया गया है और साथ ही यह भी दिखाया गया है कि दिये गये वैगनों में कम माल किन कारणों से लादा गया। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५७]**। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि फैक्ट्री ने कोटे से कहीं कम माल डिब्बे मांगे थे और जो डिब्बे दिये भी गये थे उनसे कुछ कम ही माल लादा था।

फोटोग्राफी के उपकरणों को वर्षा से क्षति

†**१६०४. श्री विनेश सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में पानी भर जाने से विस्तार और प्रशिक्षण निदेशालय के फोटोग्राफी के उपकरण क्षतिग्रस्त हो गये ; और

(ख) इस प्रकार कितने मूल्य के उपकरण क्षतिग्रस्त हुये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) इससे संबंधित उपकरणों की कीमत १३,७५८ रुपये है। लेकिन अनुमान है कि सफाई और ओवरहालिंग के खर्च के रूप में केवल २,२०० रुपयों की क्षति ही हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Porters.

[2]Security Force.

वर्षा के कारण क्षति

†१६०५. **श्री वें० च० मलिक** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि नयी दिल्ली में विक्टोरिया रोड के बहु-मंजिले भवन में स्थित कार्यालयों में सामुदायिक विकास संबंधी प्रकाशनों और लेखन-सामग्री की वस्तुओं को वर्षा के पानी से बड़ी संख्या में क्षति पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने की क्षति हुई है ; और

(ग) क्या उसके ब्यौरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायगा ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: (क) और (ख). दुर्भाग्यवश कुछ क्षति हुई है। क्षति के परिमाण का अनुमान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पब्लिकेशन्स डिवीजन के परामर्श से, जिन्होंने ये प्रकाशन बिना मूल्य वितरण के लिये दिये थे, लगाया जा रहा है।

(ग) जी हां ।

पंजाब में मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनायें

†१६०६. **श्री दलजीत सिंह :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिये पंजाब सरकार ने वित्तीय सहायता मांगी थी ; और

(ख) इनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) इसका उत्तर नकारात्मक है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों के स्थायी विकास कार्यक्रम के अधीन पंजाब राज्य के लिये ३८.५ लाख रुपयों की राशि आवंटित की गयी थी और १९५७-५८ के अन्त तक यह पूरी राशि उनके सुपुर्द कर दी गयी थी ।

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन केवल एक योजना, अर्थात्, दादरी सिंचाई योजना पंजाब सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना पश्चिमी जमुना नहर की भिवानी शाखा को नया रूप देकर और उसकी लम्बाई २३.२ मील और बढ़ा कर महेन्द्रगढ़ जिले की दादरी तहसील की ५०,००० एकड़ शुष्क भूमि में सिंचाई करेगी।

भाखड़ा-नंगल परियोजना

†१६०७. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री भाखड़ा-नंगल परियोजना के बारे में पंजाब और राजस्थान सरकार के बीच हुये करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : करार का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और भारत सरकार तथा पंजाब और राजस्थान सरकारें उस पर विचार कर रही हैं। आशा है कि उसे शीघ्र ही अन्तिम रूप प्रदान किया जा सकेगा।

†मूल अंग्रेजी में

मनोरंजनार्थ उड़ानें[1]

†१६०८. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने मनोरंजनार्थ उड़ानें आरम्भ की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन केन्द्रों में ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री नुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में मांग होने पर मनोरंजनार्थ उड़ानें करता रहा है।

नागपुर और परसिया लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

†१६१०. **श्री चांडक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर और परसिया के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार ने संतरे, मैंगनीज अयस्क, कोयला आदि भेजने की इस क्षेत्र की क्षमता का हाल ही में मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार शीघ्र ही इस प्रकार का मूल्यांकन कराने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा अवसर अभी नहीं आया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यातायात में जितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है वह मौजूदा छोटी लाइन द्वारा ही भली प्रकार निबटायी जा सकती है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

क्लर्कों को गार्ड के तौर पर पदोन्नति

१६११. **श्री यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में १९३२ से अब तक कितने क्लर्कों को पदोन्नति देकर गार्ड बनाया गया और उन्हें पदोन्नति किन-किन वर्षों में दी गयी ;

(ख) क्या कुछ क्लर्कों को बिना चुनाव के गार्ड की पदोन्नति दी गयी ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उन्हें किस-किस वर्ष में पदोन्नति दी गयी तथा इस ढंग से पदोन्नति देने के क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Joy Flights.

(घ) क्या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने स्थानापन्न गार्ड के रूप में काम किया था परन्तु इस पद पर पदोन्नति के लिये उन्हें नहीं चुना गया ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क)

१९३२ से १९३४	कोई नहीं
१९३५	१
१९३६	१
१९३७	कोई नहीं
१९३८	१
१९३९	कोई नहीं
१९४०	१
१९४१	२
१९४२	३
१९४३	१
१९४४	१
१९४५	१
१९४६ से १९४७	कोई नहीं
१९४८	१
१९४९	२
१९५०	२
१९५१	१
१९५२	कोई नहीं
१९५३	३
१९५४	१
१९५५	४
१९५६ से १९५७	कोई नहीं
१९५८	१
जोड़	२७

(ख) और (ग). केवल एक क्लर्क को १९५८ में गार्ड के पद पर तरक्की दी गयी है। यह प्रबन्ध अस्थायी है और तब तक के लिए किया गया है जब तक इस पद पर तरक्की पाने के हकदार विभिन्न कोटि[1] के कर्मचारियों की उपयुक्तता-परीक्षा[2] नहीं हो जाती।

(घ) जी हां।

(ङ) काम जारी रखने के लिए अस्थायी प्रबन्ध करना पड़ा।

---

[1]Categories.

[2]Suitability Test.

रेलवे की डिस्पेंसरियां

†१६१२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिये अब तक पूरे समय काम करने वाली कुल कितनी विभागीय डिस्पेंसरियों की स्थापना की गयी है ;

(ख) ये किन-किन स्थानों में स्थापित की गयी हैं ; और

(ग) प्रत्येक डिस्पेंसरी में कुल कितने कितने पलंग हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ४५२।

(ख) और (ग). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५८]**

कांगड़ा और होशियारपुर में डाक तथा तार कार्यालय

†१६१३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन** तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक पंजाब के कांगड़ा और होशियारपुर जिलों में सभी श्रेणियों के कुल कितने डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५९]**

उत्तर रेलवे में महिला कर्मचारी

†१६१४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९५८ को उत्तर रेलवे में विभिन्न श्रेणियों की कुल कितनी महिला कर्मचारी काम कर रही थीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०]**

तार के खम्भे

†१६१५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में आंधियों के कारण पंजाब में तार के कुल कितने खंभे गिर पड़े थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : ३१।

हस्तन-ठेकेदारों[1] की नियुक्ति

†१६१६. **श्री जाधव :**
श्री नाथ पाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हस्तन ठेकेदारों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Handling Contractors.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हस्तन ठेकेदार आमतौर पर खुले टेंडरों की जांच द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। कभी-कभी सेवा के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ दरों को सुनिश्चित करने के लिये बातचीत भी चलायी जाती है। आयात के समय कभी कभी सरकार को राज्य सरकारों या अन्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा अनुमोदित ठेकेदारों में सीमित टेंडरों के आधार पर कार्यवाही करनी पड़ती है।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

†१६१७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में तृतीय श्रेणी के कुछ वरिष्ट कर्मचारी द्वितीय श्रेणी के पदों पर कार्यकारी रूप से काम करते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और ये कितने वर्षों से इस प्रकार कार्य कर रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) तृतीय श्रेणी के कुल मिलाकर १७२ कर्मचारी नीचे दिखाई गयी अवधियों से द्वितीय श्रेणी के पदों पर काम कर रहे हैं :—

चार वर्ष से कम .	१३०
४ से ८ वर्ष . .	३९
८ वर्ष से अधिक .	३

दुमका होते हुये रेल-सम्पर्क

†१६१८. **श्री सु० चं० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संथाल परगने के प्रधान कार्यालय के केन्द्र, दुमका में और दुमका से होकर एक रेल सम्पर्क रखने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कुछ निश्चय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। दुमका होते हुए सैंथिया से बौसी तक बड़ी लाइन की पटरी बिछाने के संबंध में १९२७–२८ में सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) से (घ). वित्तीय दृष्टि से उचित न समझी जाने के कारण यह योजना छोड़ दी गयी थी।

भारत में सी-आई लैण्ड रूई

†१६१९. **श्री नलदुर्गकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में सी-आई लैण्ड रूई योजना के अधीन अब तक कुल कितने एकड़ भूमि में खेती की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : केरल, मैसूर और आसाम राज्यों में ११ मई, १९५७ से सी-आई लैण्ड रूई "एण्ड्रूज" के विकास और सुधार के लिये एक योजना चल रही है। १९५७–५८ में १३५ एकड़ भूमि में इस कपास की खेती की गयी। १९५८–५९ के लिये २,५०० एकड़ का लक्ष्य रखा गया है।

सामयिक कर्मचारी[1]

†१६२०. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे राष्ट्रीय छुट्टी के दिनों, अर्थात् २६ जनवरी, १५ अगस्त और २ अक्तूबर के लिये सामयिक कर्मचारियों (लाइन स्टाफ और गैंगमैनों) को भुगतान किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). सामयिक श्रमिकों को वेतन की दैनिक दरों पर रखा जाता है और केवल उन्हीं दिनों के लिये भुगतान किया जाता है जिन दिनों उन्होंने वास्तव में काम किया हो।

चावल के भाव

†१६२१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रान्तों में चावल के मौजूदा भाव कितने हैं ;

(ख) पंजाब में चावल के मौजूदा भाव कितने हैं ; और

(ग) भावों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के मुख्य केन्द्रों में २८–८–५८ के चावल के थोक भाव दे दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ग) चावल के भावों में घट बढ़ विभिन्न कारणों से, अर्थात् चावल की किस्म, चावल की स्थानीय मांग, स्थानीय बाजारों में आमद, पिछली फसल की स्थिति, अगली फसल की संभावनाओं आदि के कारण होती है । भावों में अन्तर होने का एक बड़ा कारण यह भी है चावल लाने ले जाने पर विभिन्न क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ कर और किसी भी स्थान को पंजाब से और उत्तर प्रदेश से तथा मध्य प्रदेश से चावल बाहर भेजने पर प्रतिबंध है

तार घर

१६२२. **श्री लच्छी राम** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी (उत्तर प्रदेश) के गरौठा और गुरसराय मंडियों में तार घर खोलने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Casual Workers.

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : आवश्यक स्टोर इकट्ठे किये जा चुके हैं। गरौठा में यह काम शीघ्र ही शुरू किया जायेगा और नवम्बर, १९५८ में यहां तार-घर खोले जाने की सम्भावना है। गुरसराय में, गरौठा के साथ-साथ तार-सुविधा तभी उपलब्ध की जा सकेगी जब कि इस बीच वहां का अतिरिक्त विभागीय विद्यमान शाखा डाक-घर उप-डाक-घर में परिवर्तित कर दिया जाय ।

यात्रियों को सुविधायें

१६२३. **श्री लच्छी राम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झांसी-कानपुर सेक्शन में उरई और अराच स्टेशनों पर जगह के अभाव के कारण तृतीय श्रेणी के यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ;

(ख) यात्रियों की इस असुविधा को दूर करने के लिये उपरोक्त स्टेशनों पर प्रतीक्षालय को बड़ा करने और वर्षा से बचने के लिये शेड बनाने का काम कब पूरा होगा; और

(ग) क्या यह काम १९५८–५९ में आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) उरई स्टेशन पर मुसाफिरों को कुछ असुविधा ज़रूर होती है, लेकिन अराच रोड स्टेशन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता ।

(ख) रेलवे उपयोक्ता सुविधा समिति[1] ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि उरई स्टेशन के मुसाफिरखाने का १९५९–६० में विस्तार किया जाय। अराच रोड स्टेशन के मुसाफिर खाने को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। इस स्टेशन पर मुसाफिरों का आना जाना भी इतना नहीं है कि मुसाफिरखाने का बढ़ाना ज़रूरी हो । रेल उपयोक्ता सलाहकार समिति ने यह भी तय किया है कि उरई के प्लेटफार्म पर छत अभी न लगायी जाय। इस्पात और पैसे को दूसरे ज़रूरी कामों के लिये बचा रखने के उद्देश्य से अराच रोड स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत लगाने का विचार नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

अनाज के व्यापारियों के लिये लाइसेंस

†१६२४. **श्रीमती मकीदा अहमद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने आदेश निकाल कर अनाज के व्यापारियों के लिये लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है; और

(ख) यदि इन आदेशों का कोई ब्योरा हो तो वह क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६२**]

चीनी मिलें

†१६२५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितनी चीनी मिलें मौजूद थीं; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Railway Users' Amenity Committee.

(ख) ३० जून १९५८ को कुल कितनी चीनी मिलें थीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १४७।

(ख) १६३ ।

कीरतपुर साहिब में गुड्स शेड[1]

†१६२६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे पर कीरतपुर साहिब में एक गुड्स शेड का निर्माण होने वाला है ; और

(ख) यह काम कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). कीरतपुर साहिब स्टेशन पर एक गुड्स शेड की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है। यदि प्रस्ताव उचित सिद्ध हुआ तो उपयोक्ता सुविधा समिति के परामर्श से इस कार्य को रेलवे के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जायेगा ।

छतर में रेलवे स्टेशन

†१६२७. **श्री मुहम्मद ताहिर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बा थाने के छतर गांव के आस-पास समराल गांव के निवासियों ने पूर्वोत्तर रेलवे के कटिहार-जधानी सेक्शन पर जलालगढ़ और कुसियार-गांव रेलवे स्टेशनों के बीच छतर में एक स्टेशन बनाने का अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन इसे वित्तीय दृष्टि से और वहां के यात्रियों की संख्या के विचार से दोनों दृष्टियों से उचित नहीं माना गया। इसलिये इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया ।

कुर्सेला रेलवे पुल

†१६२८. **श्री मुहम्मद ताहिर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे पर कुर्सेला रेलवे स्टेशन के निकट कोसी नदी पर कुर्सेला रेलवे पुल का निर्माण किस वर्ष में किया गया था;

(ख) निर्माण के समय इस पुल की आयु कितनी होने का अनुमान था ;

(ग) क्या सरकार ने इस पुल की जांच कराई है और वह इस बात से संतुष्ट है कि यह पुल अब भी काम दे सकता है; और

(घ) यदि हां, तो और कितने वर्षों तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Goods Shed.

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) कुर्सेला के निकट कोसी नदी पर का रेलवे पुल १९०२ में पूरा हुआ था।

(ख) किसी भी रेलवे पुल की औसत आयु इस्पात के अंश के लिये ६० वर्ष और ईंट-पत्थर के कार्य के लिये १०० वर्ष होती है।

(ग) और (घ). नियमानुसार पुल की जांच और निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है। इस पुल की दशा संतोषप्रद है और आशा है कि इसके शहतीर ६० वर्ष के औसत समय से भी अधिक काल तक काम दे सकेंगे ।

बम्बई-पूना 'रेस स्पेशल' गाड़ियों पर भोजन व्यवस्था

†१६२९. **श्री नौशीर भरूचा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई-पूना की रेस-स्पेशल' गाड़ियों की भोजन व्यवस्था के बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है ;

(ख) क्या भोजन-व्यवस्था करने में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रारम्भिक सिद्धांतों तक का पालन नहीं किया जाता और उसकी अवस्था बड़ी गन्दी है ;

(ग) क्या यात्रियों को दिया जाने वाला पीने का पानी पाखाने के नल से लिया जाता है और प्याले, प्लेटें और बर्तन उसी नल के नीचे धोये जाते हैं ;

(घ) क्या सरकार रेस-स्पेशल भोजन व्यवस्था प्रतिष्ठान के कार्यों की जांच करती है; और

(ङ) इस मामले में सरकार क्या करने वाली है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां। १९५७–५८ में चार शिकायतें मिली थीं ।

(ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाता है और अवस्था गन्दी नहीं है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां।

(ङ) अच्छी किस्म का खाना, परोसना और स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से देख-रेख जारी रखी जायगी ।

रेलवे के ऊपरी पुल

†१६३०. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या रेलवे मंत्री ५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रैण्ड ट्रंक रोड की रेलवे क्रासिंग पर सवारी गाड़ियों का जमाव और भीड़-भाड दूर करने के लिये मिलरगंज क्षेत्र और लुधियाना बहर के बीच एक ऊपरी पुल का निर्माण करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : ग्रैण्ड ट्रंक रोड पर लुधियाना में मौजूदा रेल के फाटक के स्थान पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने के प्रश्न पर अब भी पंजाब सरकार से लिखा-पढ़ी चल रही है। रेलवे प्रशासन ने मूलतः जो डिजायन बनाया था उसका राज्य सरकार के अनुरोध पर पुनरीक्षण करना पड़ा था और तब से जो पुनरीक्षित नक्शा दिया गया था उसके अनुमोदन की प्रतिक्षा की जा रही है।

बड़ी लाइन की दोहरी पटरियें

†१६३१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे समस्तीपुर और मुज्जफ्फरपुर के बीच दरभंगा हो कर बड़ी लाइन की दोहरी पटरियां बिछाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह विचार अब किस अवस्था में है ;

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इसे आरम्भ करने का कार्यक्रम क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) माननीय सदस्य संभवतः समस्तीपुर दरभंगा सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने और इसके विकल्पस्वरूप दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक नयी लाइन बिछाने की योजना का उल्लेख कर रहे हैं । ये दोनों प्रस्ताव छोटी लाइन के सम्बन्ध में हैं। यदि हां, तो इन प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण हो चुके हैं।

(ख) सर्वेक्षण प्रतिवेदनों पर विचार हो रहा है।

(ग) और (घ). भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दो सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मेरा एक निवेदन है कि गत सत्र में श्री सम्पत तथा श्री धर्मलिंगम गिरफ्तार किये गये थे । जो सूचना हमें मिली है उससे पता लगा है कि उनको २५ रुपये जुर्माने अथवा १५ दिन की सादी कैद का दण्ड दिया गया था । यह इस महीने की ३ तारीख को हुआ था। मुझे पता चला है कि उन्होंने जुर्माना देने से इन्कार कर दिया है और वे जेल जाने के लिये तैयार हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार से कोई पत्र इस सम्बन्ध में मिला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा के कार्य में इस प्रकार हस्तक्षेप करना बहुत अनुचित है। आप ये बात मुझे लिख सकते थे या कार्यालय से इसका पता कर सकते थे। आपको पता है कि हमारे सामने एक कार्यसूची है जिसके अनुसार हम यहां कार्य करते हैं। इस प्रकार बाधा डालना और समय बरबाद करना अनुचित है । यदि आपको कोई जानकारी हासिल करनी है तो मैंने इसके लिये नोटिस आफिस में एक सुपरिन्टैण्डेन्ट नियुक्त किया हुआ है जो माननीय सदस्यों द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

मांगी गई जानकारी उन्हें देती है। मेरे पास यहां पर सभी प्रकार की जानकारी नहीं होती जिससे मैं तुरन्त आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। यदि सुपरिंटेन्डेंट द्वारा दिये गये उत्तर से माननीय सदस्यों को संतोष नहीं होता है तो वह मेरे कमरे में आ कर अथवा एक पत्र लिख कर अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। यदि उन्होंने सचिव से बात की होती या नोटिस आफिस से पूछा होता तो उन्हें इसका पता लग सकता था।

†**श्री तंगामणि** : सजा के बाद ४८ घंटे गुजर चुके हैं। इसलिये मैंने सभा का इस ओर ध्यान दिलाया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : सामान्यतः सदस्य को गिरफ्तारी तथा विमुक्ति की सूचना सभा को दी जाती है। इसलिये हमें आश्चर्य था कि इस सम्बन्ध में कोई सूचना क्या आपको नहीं मिली है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल ग़लत तरीक़ा है। माननीय सदस्य को सभा का ध्यान इस प्रकार नहीं दिलवाना चाहिये। संसद् सदस्य की गिरफ्तारी तथा नियुक्ति सूचना मजिस्ट्रेट मुझे भेजते हैं। परन्तु मैं एक दम कैसे यहां पर बता सकता हूं कि इस विशेष मामले में मेरे पास सूचना आई है अथवा नहीं। मेरे से अचानक ही कोई जानकारी पूछना ठीक नहीं है।

विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वालपाड़ा) : मैंने एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहती हूं कि उसको सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्यों ने जब मैं सभा भवन में आ रहा था उस समय एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव मुझे दिया। नियमों के अनुसार मुझे सभा में लाने से पहले उस पर विचार करना होता है और विशेषाधिकार समिति का परामर्श लेना होता है। मैंने उनको यह बताया परन्तु उनका कहना था कि उन्हें कहीं जाना है। वह चाहती थी उनका प्रस्ताव आज ही प्रस्तुत हो जाये। यह बड़ी अजीब बात है। वह चाहती हैं कि सभा का कार्य स्थगित करके उनका प्रस्ताव ले लिया जाये। यह बहुत अनुचित बात है। मैं नहीं चाहता कि सभा कार्य में इस प्रकार हस्तक्षेप किया जाये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं विविध सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों, बचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ७, दूसरी लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ९ दूसरी लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५७
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १४ दूसरी लोक-सभा का दूसरा सत्र, १९५७
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १५ दूसरी लोक-सभा का पहला सत्र, १९५७
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २० पहली लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६७]

अनुदानों की मांगे (रेलवे) के बारे में ज्ञापनों के उत्तर

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मैं अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५८–५९ के बारे में सदस्यों से प्राप्त कुछ ज्ञापनों के उत्तर के विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–८९४/५८]

धन कर (राजाओं को उत्तराधिकार में प्राप्त आभूषणों पर छूट) नियम

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं धन-कर अधिनियम, १९५७ की धारा ४६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत धन-कर (राजाओं को उत्तराधिकार में प्राप्त आभूषणों पर छूट) नियम, १९५८, जो दिनांक २३ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१९ में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–८९५/५८]

१९५८-५९ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० गोपाल रेड्डी)**: मैं १९५८–५९ के आय-व्यय (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मध्य रेलवे के दो पुलों का बह जाना

†**श्री क० स० रामस्वामी** (गोबीचेट्टिपलयम) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"मध्य रेलवे पर काजीपेट और बलहारशाह स्टेशनों के बीच दो पुलों का बह जाना और उसके फलस्वरूप रेलवे यातायात का बन्द हो जाना ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : गोदावरी तथा उसकी सहायक नदियों; विशेषतया पेनगंगा के क्षेत्र में ३०–३१ ८-५८ को भारी वर्षा के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में बड़ी लाइन के चांदा-आसिफाबाद सेक्शन के वीरूर तथा बेजवाड़ा स्टेशनों के बीच बाढ़ से कुछ स्थानों पर लाइनें टूट गई थीं ।

सदस्यों के सूचनार्थ बताया जाता है कि इस सेक्शन में केवल एक पुल का कुछ हिस्सा बह गया था । दूसरे पुल पर बाढ़ का पानी रेल की पटरी तक पहुंच गया था परन्तु शीघ्र ही कम हो गया जिससे इस सेक्शन पर यातायात पुनः प्रारम्भ हो गया ।

ब्योरा इस प्रकार है :—

(१) ३१-८-५८ को सवेरे सिरपुर कागजनगर तथा आसिफाबाद रोड स्टेशनों के बीच बीबरा पुल संख्या २०८ पर बाढ़ का पानी रेल की पटरी तक चढ़ आया था । १-९-५८ को सवेरे पानी खंभों के ऊपरी सिरे से नीचे उतर आया था तथा पुल की जांच के पश्चात् मद्रास से दिल्ली आने वाली ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस को, जिसे सिरपुर-कागजनगर पर रोक दिया गया था, काज़ीपेट वापस जाने दिया गया । वहां से उसे वाडी-मनमाड-इटारसी के रास्ते से दिल्ली भेजा गया ।

(२) वीरूर तथा माकुदी स्टेशनों के बीच ३३१/१–२ मील पर पुल संख्या २६९ के दो खम्भे बाढ़ में बह गये थे ।

यातायात प्रारम्भ करने के लिये सभी प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं परन्तु ४-९-५८ के प्रातः तक बाढ़ का पानी इतना कम नहीं हुआ था जिससे वहां पर काम आरम्भ कराया जा सके । पुल पर अभी भी २५ फीट गहरा पानी भरा है तथा आस-पास का सारा स्थान पानी से भरा हुआ है । इसलिये अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि इस सेक्शन पर यातायात कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

४-९-५८ को माकुडी तथा बल्हारशाह में रेलों का आना जाना बन्द हो गया ।

यात्री गाड़ियों के आने जाने की स्थिति इस प्रकार है :—

(१) ग्रान्ड ट्रन्क एक्सप्रेस संख्या १५ डाउन/१६ अप का मार्ग वाल्टेयर,-रायपुर-नागपुर से कर दिया गया है ।

(२) जनता एक्सप्रेस ट्रेन संख्या १७ डाउन/१८ अप का मार्ग रायचूर-धोंड-मनमाद, भुसावल, इटारसी हो कर कर दिया गया है ।

(३) मद्रास से चलने वाली वायु-अनुकूलित ट्रेन संख्या २१ डाउन को १-९-५८ तथा ५-९-५८ को नहीं चलाया गया । नई -दिल्ली से चलने वाली वायु-अनुकूलित एक्सप्रेस ट्रेन संख्या २२ अप ३-९-५८ तथा ६-९-५८ को नहीं चलाई गई । सीधा मार्ग साफ हो जाने पर ही इन गाड़ियों को फिर से चलाया जायेगा ।

(४) जी० टी० एक्सप्रेस में चलने वाले नई-दिल्ली–हैदराबाद तथा हैदराबाद–मद्रास के सीधे डिब्बों को बेजवाड़ा के रास्ते उपयुक्त समय पर मिलने वाली गाड़ियों में लगा कर चलाने की व्यवस्था की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मैं० वें० रामस्वामी]

(५) जनता एक्सप्रेस ट्रेन संख्या १७ डाउन / १८ अप में दिल्ली-हैदराबाद तथा हैदराबाद-मद्रास जाने वाले तीसरे दर्जे के सीधे डिब्बों का चलाना अभी बन्द कर दिया गया है ।

(६) वर्धा-हैदराबाद यात्री गाड़ियां संख्या ३३६ अप/३३५ डाउन हैदराबाद और बल्हारशाह के बीच चलनी बन्द करदी गई हैं । काज़ीपेट-वर्धा यात्री गाड़ियां संख्या ३९५ डाउन / ३९६ अप काज़ीपेट तथा सिरपुर स्टेशनों और वर्धा और बल्हारशाह स्टेशनों के बीच चलाई जा रही हैं ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : आपकी अनुमति से मैं, आगामी सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं ।

(१) आज की कार्य सूची से बचे हुये किसी मद पर विचार ;

(२) निम्नलिखित विधेयकों, जिनको आगामी सप्ताह के प्रारम्भ में प्रस्थापित किये जाने की आशा है पर विचार तथा उनका पारित किया जाना :—

(एक) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक ;

(दो) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक ।

(३) सामान्य आय-व्ययक के बारे में १९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुरूप मांगों पर विचार तथा मतदान ।

(४) निम्नलिखित मामलों पर उल्लिखित तिथियों को तीन बजे चर्चा :—

(क) ९ सितम्बर, १९५८ को केरल तथा मद्रास राज्यों में विषैले भोजन सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन —श्री वारियर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

(ख) १० सितम्बर, को पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में ४ जुलाई १९५८ को कलकत्ता में हुये उच्चस्तरीय सम्मेलन में लिये गये नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय—श्री पाणि ग्रही प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि द्वितीय योजना के मूल्यांकन तथा भविष्य के बारे में योजना आयोग के ज्ञापन पर १७ तथा १८ सितम्बर, १९५८ को चर्चा होगी ।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ के उत्तर की शुद्धि

†**खाद्य तथा कृषि उप मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : श्रीमान्, २५ अगस्त १९५८ को दिल्ली में उचित मूल्य वाली दूकानों के सम्बन्ध में श्री स० म० बनर्जी, श्री तंगामणि तथा श्री वाजपेयी के अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ के एक अनुपूरक प्रश्न के, जिसे श्री वाजपेयी ने पूछा था, उत्तर में मैंने यह कहा था :

"जैसा मैं बता चुका हूं, इस सारे प्रश्न पर गेहूं क्षेत्र बनाये जाने के प्रसंग में विचार हुआ था । पहिले उत्तरी गेहूं क्षेत्र में पंजाब और हिमाचल प्रदेश को शामिल

---

†मूल अंग्रेजी में

किया गया था और दिल्ली को छोड़ दिया गया था। बाद में दिल्ली को भी शामिल कर लिया गया। पंजाब में गेहूं की प्रचलित कीमत लगभग १४ रुपये से १६ रुपये प्रतिमन होगी। दिल्ली को दिये गये गेहूं का मूल्य कुछ अधिक होगा।"

इस अनुपूरक प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार होगा :—

"जैसा कि मैं बता चुका हूं इस सारे प्रश्न पर दिल्ली तथा शेष उत्तरी गेहूं खण्ड की जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, गेहूं संभरण की स्थिति पर ध्यान रख कर विचार किया गया था। पंजाब में गेहूं के सामान्यतः मूल्य लगभग १५ रुपये से १६½ रुपये प्रतिमन होंगे। दिल्ली में गेहूं के कुछ अधिक मूल्य देने होंगे।"

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक पर आगे विचार करेगी। श्री अजित सिंह सरहदी अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : श्रीमान्, मैं कल निवेदन कर रहा था कि प्रवर समिति द्वारा दिये गये आश्वासनों का कोई वैधिक महत्व नहीं है। इस लिये मेरा निवेदन है कि हमें इन आश्वासनों को स्पष्ट रूप से इस विधेयक के खंडों में सम्मिलित करना चाहिये ताकि वे विधेयक का अंग बन जायें।

सरकार ने हाल ही में विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा १४ के अन्तर्गत लगभग १०० करोड़ रुपये की सम्पत्ति अर्जित की है। इस सम्पत्ति पर भी अनेक शरणार्थियों का कब्जा है। वर्तमान विधेयक में 'अनधिकृत कब्जा' की जो परिभाषा दी गई है उसके अन्तर्गत ये लोग भी अनधिकृत कब्जाधारियों की श्रेणी में आ जायेंगे। किन्तु इन लोगों को पुनर्वास मंत्रालय की एक प्रैस विज्ञप्ति द्वारा यह आश्वासन दिया जा चुका है कि जो शरणार्थी ३१ दिसम्बर, १९५४ से पहले से या उस दिन तक निष्क्रान्त सम्पत्ति में रह रहे हैं उन्हें उन जगहों से नहीं हटाया जायेगा और उनके मकानों आदि की कीमत उनके क्लेमों से काट ली जायेगी तथा उनके कब्जे को इस शर्त पर नियमित करार दे दिया जायेगा कि वे एक निश्चित तिथि तक अधिकृत सम्पत्ति के बारे में सभी देय राशियों का निश्चित रीति से भुगतान कर दें। बाद में बाढ़ों आदि की वजह से इस तिथि को ३१ दिसम्बर, १९५४ से बढ़ा कर ३१ दिसम्बर, १९५५ कर दिया गया था।

किन्तु इस विधेयक में पुनर्वास मंत्रालय की इस विज्ञप्ति को कोई स्थान नहीं दिया गया है। अतः हमारे पास कोई भी ऐसा परिनियत उपबन्ध नहीं रहता जिसके आधार पर इस वचन को पूरा कराया जा सके। मेरा निवेदन है कि १९५५ से पूर्व अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्ति को स्पष्ट शब्दों में छूट देने का उपबन्ध करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अजित सिंह सरहदी]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा १९ में अनधिकृत कब्जाधारियों के निष्कासन की एक रीति निर्धारित की गई है और यह धारा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिये गये वचन के अधीन है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अब उस अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम बनाया जा रहा है। परन्तु नये अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है जो कि १९५४ के अधिनियम की धारा १९ को रद्द करता है। ऐसी दशा में आपके पास इस विषय पर दो विधियां हो जायेंगी। एक सामान्य तथा एक विशेष। इस प्रकार एक विधि पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिये गये वचन के अधीन होगी और एक उसके बिना मंत्री महोदय को इस वैध अड़चन व कठिनाई पर ध्यान देना चाहिये। इस गड़बड़ी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि १९५५ के पहले की निष्क्रान्त सम्पत्ति को वर्तमान विधेयक से छूट दे दी जाये।

इस विधेयक का प्रभाव कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ेगा जो कि इस समय सरकारी सेवा के लिये भारत से बाहर गये हुये हैं और जिनको इस समय मकान दिये गये हैं। जब वे लोग दो या तीन वर्ष में लौट कर आयेंगे तथा सेवानिवृत हो जायेंगे तब उन्हें सरकारी मकानों से निकलने को कहा जायेगा। मकानों की तंगी की वजह से ऐसे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि सरकार को उन लोगों को भी कुछ विशेष छूट अथवा सुविधा देनी चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात का समर्थन करती हूं कि जो शरणार्थी श्री गाडगिल की आश्वासनों की श्रेणी में आते हैं तथा जिन्होंने १९५० से पूर्व भारत में आकर अपने मकान बना लिये हैं या सरकारी भूगृहादि में रहने लगे हैं अब उन पर यह विधेयक नहीं लागू किया जाना चाहिये। क्योंकि पाकिस्तान से बेघरबार हो कर आने वाले जो शरणार्थी इधर उधर बस गये हैं उनको हमें बिना कोई उचित स्थान दिये दोबारा फिर बेघर नहीं बनाना चाहिये। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि हमें जन-स्वास्थ्य तथा नगर-आयोजन की दृष्टि से बहुत से लोगों को कई स्थानों से हटाना पड़ता है। किन्तु मेरा निवेदन है कि मकान-निर्माण सम्बन्धी इन उपनियमों का हमें बहुत कठोरता से नहीं पालन करना चाहिये। यदि कुछ मकानात न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो हमें उनके निवासियों को हटाने की आवश्यकता नहीं। इसलिये मंत्री महोदय को इस विधेयक के निष्कासन का अधिकार देने वाले खंड के साथ यह उपबन्ध और जोड़ना चाहिये कि १५ अगस्त, १९५० से पहले आ कर सरकारी भूगृहादि में बस जाने वाले लोगों पर यह विधेयक नहीं लागू होगा। जब तक आश्वासनों को विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जाता उनका कार्यान्वित करना बड़ा कठिन है। आज भी ५००० लोगों के पास २ करोड़ रुपये की ऐसी सम्पति पड़ी है जिसको इतने आश्वासनों के बाद भी नियमित नहीं बनाया गया है। इसलिये मैं श्री सरहदी के इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं कि इन आश्वासनों को विधेयक में सम्मिलित किया जाना चाहिये जिससे १९५० से पहले से सरकारी भूगृहादि में रहने वाले लोगों को परिनियम द्वारा परित्राण हो सके। हमें इस विधेयक में ऐसे लोगों के अधिकार को, जिन्होंने कि देश की खातिर बेघरबार होना स्वीकार किया है, स्पष्ट रूप से वैध मान्यता देनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक द्वारा सरकारी भूगृहादि पर अनधिकृत रूप से कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को न्यायालय में जाये बिना निकालने का अधिकार मांगा गया है। १९५० के अधिनियम में भी ऐसा ही उपबन्ध था जिसको कि कलकत्ता, पंजाब और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों ने शक्ति-परस्तात् घोषित कर दिया है। अब इस विधेयक द्वारा हम फिर कार्यकारी अधिकारियों को मनमाने तथा असीम अधिकार देना चाहते हैं। जब सरकार सामान्य विधि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को निकाल सकती है तब उसे यह विधेयक बताने की क्या आवश्यकता है। यदि वह यह समझती है कि सामान्य व्यवहार प्रक्रिया लम्बी तथा बिलम्बकारी है तो उसे उसमें सुधार करना चाहिये।

इस विधेयक में सम्पदा अधिकारी व निष्कासन अधिकारी एक ही व्यक्ति होगा। अब यदि कोई व्यक्ति सम्पदा अधिकारी द्वारा दिये गये 'हेतु संदर्शित करने' के नोटिस से पीड़ित होता है तो उसके मामले की सुनवाई भी उसी अधिकारी के यहां होगी। यह बात नैसर्गिक न्याय व सामान्य विधि प्रक्रिया के विरुद्ध बात है। मेरा निवेदन है कि ऐसे मामले किसी अन्य अधिकारी के पास जाने चाहियें।

सम्पदा अधिकारियों की नियुक्ति राजपत्रित अधिकारियों में से करने का उपबन्ध किया गया है। मेरा निवेदन है कि क्योंकि सम्पदा अधिकारी को संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा न्याय करना होगा इसलिये ये अधिकारी न्यायिक पृष्ठ भूमि रखने वाले व्यक्तियों में से चुने जायें।

विधेयक में केवल एक ही अपील का उपबन्ध किया गया है और वह भी जिला न्यायाधीश को। मैं समझता हूं निष्कासन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दूसरी अपील करने का अधिकार और दिया जाना चाहिये।

श्रीमान्, इस बिल का प्रभाव तीन प्रकार के व्यक्तियों पर पड़ेगा। एक, वे व्यक्ति जो कि प्रारम्भ से ही अनधिप्रवेशकर्ता हैं। उनकी सफाई में मुझे या मैं समझता हूं किसी को कुछ नहीं कहना है। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों से मजबूर होकर, जिन के ऊपर उनका कोई बस नहीं था, सरकारी भूगृहादि में घुस आये हैं जैसे कि शरणार्थी। उनके सम्बन्ध में मेरे मित्रों ने पहले जो कुछ कहा है मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और मैं भी यही चाहता हूं कि, १५ अगस्त, १९५० से पूर्व इन मकानों में बसने वाले शरणार्थियों तथा दिसम्बर, १९५४ तक अर्जित की गई निष्क्रान्त सम्पत्ति में बस जाने वाले शरणार्थियों को दिये गये आश्वासनों को इस विधेयक में उपबन्धित करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक का प्रभाव ऐसे मजदूरों आदि पर पड़ सकता है जो कि दिल्ली में सरकारी इमारतें बनाने के लिये बाहर से आते हैं और इधर उधर झोंपड़ों में रहते हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार के लोगों को हमें एकदम सरकारी परिसरों से निकाल कर सड़क पर नहीं फेंक देना चाहिये। उनके लिये भी हमें कोई न कोई वैकल्पिक स्थान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं अपने राज्य में निर्माण कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों के साथ व्यवहार का एक उदाहरण देना चाहता हूं। कोसिगा में राप्तपारा में काम करने वाले गरीब हरिजनों को बड़ी बेदर्दी से अपने घरों से बाहर निकाला गया है। सरकार को उनको बसाने का प्रयत्न करना चाहिये।

एक अन्य प्रकार के लोग भी इस विधेयक से प्रभावी होंगे। सरकार छावनियों, निर्माण कार्यों तथा सिंचाई, कारखानों आदि के लिये बहुत सी भूमियां ले रही है। उन भूमियों पर निर्वाह करने वाले अनेक लोग कहां जायें? उनको बसाने की जिम्मेदारी भी सरकार पर आती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : जहां तक भूमियों के अर्जन का प्रश्न है वह प्रविष्टि १८ के अनुसार राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है। उसके बारे में यहां कैसे चर्चा की जा सकती है ?

†**श्री प्र० के० देव** : नहीं। वे भूमियां बेशक राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जाती हैं किन्तु बाद में वह केन्द्रीय सरकार को दे दी जाती हैं। इसलिये मैं समझता हूं वे केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आ जाती हैं। उड़ीसा के १९४८ के अधिनियम संख्या १८ के अनुसार अब तक वहां के विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर की एक भी पाई नहीं दी गई है। उनको सरकारी भूगृहादि से निकालने के पूर्व प्रतिकर दिया जाना आवश्यक है।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : औचित्य प्रश्न के निमित्त श्रीमान्, माननीय सदस्य राज्य विधियों का उल्लेख करने लगे हैं। केन्द्र का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इन सब बातों का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पंडित ठाकुर दास भार्गव भी माननीय सदस्य को यह बात बता चुके हैं। किन्तु उनकी धारणा यह है कि इस विधेयक का उनसे भी सम्बन्ध है।

†**श्री प्र० के० देव** : माननीय मंत्री ने जब यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया था उस समय उन्होंने हिराकुड क्षेत्र में अनधिकृत रूप से सरकारी भूगृहादि पर कब्जाधारियों के आंकड़े भी दिये थे। इसलिये मैं समझता हूं अब मेरा इन तथ्यों का कथन सर्वथा संगत है। मैं अन्त में फिर यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा का अधिनियम बड़ा दोषपूर्ण है। उसके अन्तर्गत लोगों को सरकारी भूगृहादि से निकालने से पूर्व उनको पुनर्वास की व्यवस्था करनी बड़ी जरूरी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मेरा यह निवेदन है कि जब तक वैकल्पिक स्थान का प्रबन्ध न किया जाय किसी को निष्कासित नहीं किया जाना चाहिये। यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है। हमारे प्रधान मंत्री ने 'पुरानी दिल्ली में गंदी बस्तियां' नामक एक पुस्तक में इस सिद्धान्त को एक आदर्श के रूप में अपनाने के लिये कहा है। वर्तमान विधेयक में नैसर्गिक न्याय के इस सिद्धान्त को कोई स्थान नहीं दिया गया है।

पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को जिनके कि अपने कोई घर नहीं हैं, विशेष रियायतें दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो कुछ कहा है मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं।

अनेक स्थानों से हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को निकाला जा रहा है जिनके पास मकान बनाने के कोई साधन नहीं हैं और जो बरसों से उन स्थानों पर रह रहे थे। मेरा निवेदन है कि उनका मामला सहानुभूति पूर्वक देखा जाना चाहिये। इसी प्रकार निर्माण का काम करने वाले लोगों के साथ कुछ नर्मी की जानी चाहिये। गंदी बस्तियों से निकाले जाने पर जो लोग सरकारी परिसरों में बस गये हैं उनके साथ भी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये।

'सरकारी भूगृहादि' की परिभाषा भी बड़ी अस्पष्ट तथा व्यापक रखी गई है। मैं समझता हूं मेरे एक मित्र ने अभी उड़ीसा का जो उदाहरण दिया है वह सर्वथा संगत था। पंजाब में बिलासपुर में, जहां कि उर्वरक फैक्टरी बनाई जा रही है, आज राज्य सरकार द्वारा अनेक लोगों को

†मूल अंग्रेजी में

निष्कासित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार निष्कासन के बारे में जो कुछ कर रही है वह केन्द्र के लिये कर रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकारी के क्षेत्र को भी इस विधेयक के अन्तर्गत रखा गया है। पहले इन लोगों ने मकानों के नक्शे नहीं पास किये। लोगों को मकानों की तंगी थी। उन्होंने बिना मंजूरी के मकान बना लिये। अब इस विधेयक के अन्तर्गत न जाने उन पर क्या बीतेगी ?

इसी प्रकार 'भूगृहादि' की परिभाषा भी बड़ी दोषपूर्ण है। इसमें बाग बगीचे और सभी स्थान सम्मिलित किये जा सकते हैं तथा लोगों को कहीं से भी निकाला जा सकता है।

हम लोग 'सम्पदा अधिकारियों' को भी बहुत अधिक अधिकार दे रहे हैं। उन्हें पुलिस व न्यायिक दोनों प्रकार की शक्तियां दी जा रही हैं। राष्ट्रपति के शासन के समय किसी राज्यपाल को भी इतनी शक्तियां नहीं दी जाती हैं। ये अधिकारी बड़े खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। मेरे विचार में इन को इतने अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये।

मैं समझता हूं इस बिल के अन्तर्गत जो नोटिस-अवधि रखी गई है वह भी अधिक होनी चाहिये तथा अपील के अधिकार को भी अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिये।

अभी तक हमारे देश में भूमि-पति तथा किसान वर्ग ही था। हम आज तक उनकी समस्यायें नहीं हल कर पाये हैं। अब हम इस विधेयक द्वारा एक नये वर्ग "गृह-हीन" वर्ग को जन्म देने जा रहे हैं। यह वर्ग हमारे समाज के लिये बड़ा भयावह सिद्ध हो सकता है। लिहाज़ा हमें कभी इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिये।

अधीनस्थ विधान की दृष्टि से देखने पर भी इस विधेयक में आवश्यकता से अधिक अधिकार मांगे गये हैं। उदाहरण के रूप में खंड १३ को देखा जा सकता है। जांच, प्रक्रिया तथा क्षतिपूर्ति मूल्यांकन सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार मंत्रालय को रहेगा। ये सभी चीजें बड़ी आवश्यक हैं और अधीनस्थ विधान के सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यक चीजों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार कभी भी कार्यपालिका को नहीं दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं यह इस विधेयक का सबसे बड़ा दोष है। कार्यपालिका को कभी भी इतने विस्तृत अधिकार नहीं देने चाहिये।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन, रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपमंत्री महोदय ने कहा है कि वर्तमान विधेयक में उन सभी आपत्तियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है जो विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इसके सम्बन्ध में उठाई थीं। मैं इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई आपत्ति का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, जिससे पंजाब उच्च न्यायालय भी सहमत था; मैं केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई आपत्ति का जिक्र करूंगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह ऐसे दो व्यक्तियों के बीच विभेद करता है जिनमें से एक ने तो किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा किया हो और दूसरे ने सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा किया हो। पहिले व्यक्ति के लिये न्याय की सामान्य प्रक्रिया द्वारा सुनवाई करने की पूरी स्वतन्त्रता है जब कि दूसरे व्यक्ति की सुनवाई संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा होगी और सम्पदा अधिकारी का निर्णय उसको मान्य होगा। उसे उच्च न्यायालय में जाने की छूट भी नहीं दी गई है। निसंदेह विधेयक में अपील करने का उपबन्ध है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोडियान]

तथापि अपीलीय अधिकारी जिला न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है । उसे उच्च न्यायालयों में जाने की छूट नहीं होगी ।

इस समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न नहीं किया गया है । इस विधेयक का हजारों व्यक्तियों पर असर पड़ेगा । जिनमें शरणार्थी, मकान बनाने वाले श्रमिक, अल्प वेतन भोगी सरकारी कर्मचारी और हरिजन इत्यादि हैं । मैं विशेषत: मकान बनाने वाले श्रमिकों का प्रश्न लेता हूं । दिल्ली की इमारतें उन्हीं के श्रम से बन रही हैं लेकिन उन्हीं लोगों को रहने के लिये स्थान नहीं है । आखिर वे लोग मकान बना कर कहां जांय ।

कल माननीय मंत्री जी ने कहा था कि श्री गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुसार कार्य किया गया है । यह बात गलत है क्योंकि मेरे पास कई लोगों के अभ्यावेदन व ज्ञापन आये हैं जिनमें उन लोगों ने यह स्पष्टत: बताया है कि इन आश्वासनों पर सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया है । अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने यह कहा है कि बने हुये हजारों मकानों के नियंत्रित करने के प्रश्न पर विचार भी नहीं किया गया है । जहां प्रसादत: कुछ राशि मिली भी है उसे प्रतिकर की राशि से काट दिया गया है । माननीय मंत्री ने कहा है कि वे अब भी उक्त आश्वासनों के अनुसार कार्य करने का बचन देते हैं । लेकिन उनके आश्वासन का तब तक कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि वह इन आश्वासनों को विधेयक में सन्निहित न कर देवें ।

घोषित अधिकारियों के बारे में भी सभी सदस्यों ने एक मत हो कर शिकायत की है । वस्तुत: बात भी सत्य है । इन लागों को जटिल विधि सम्बन्धी मामलों का निपटारा करना होता है अत: ये अधिकारी न्यायिक सेवा से नियुक्त किये जाने चाहिये ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस समस्या को मानवीय दृष्टि-कोण से देखने का प्रयत्न करें । जो शरणार्थी सात आठ वर्षों से किसी स्थान पर बस गये हैं उन्हें पुन: वहां से हटा कर शर्णार्थी न बनायें । अन्यथा इससे कठिन स्थिति पैदा हो जायेगी ।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजार नवीस)** : कई सदस्यों ने यह शिकायत की है कि हमने उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया है जिनके आधार पर पहिला अधिनियम शक्ति परस्तान् घोषित कर दिया गया था । सरकार की ओर से मैं उसी पहलू के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मैं सभा के सम्मुख पूरी सच्चाई से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आरोप सही नहीं है ।

इस सम्बन्ध में सब से प्रथम निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय का था । उस विशेष याचिका पर नागरिकों की ओर से विधि मंत्री ने आपत्ति की थी । उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों को स्वीकार किया । अत: हमें उन आधारों की, जिनके कारण विधेयक पुन: गिर सकता है, अन्य लोगों से अच्छी जानकारी है । हमने विधेयक के प्रत्येक पहलू पर पूरा पूरा विचार किया है कि विधेयक में वे त्रुटियां न रहने पावें जिनकी पहिले शिकायत की गई थी ।

यह भी कहा गया है कि हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में निर्देशित बातों की उपेक्षा की है ।

†मूल अंग्रेजी में

मैं उसी बात पर आना चाहता हूं तथापि इसके पूर्व मैं यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि सरकार को भी किसी व्यक्ति की तरह अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। इतना ही नहीं अपितु सारे राष्ट्र की सम्पत्ति के संरक्षक की हैसियत से उसका यह दायित्व है कि वह अवैध कब्जा करने वालों को सम्पत्ति पर से हटाये और बिना पर्याप्त कारण के किसी व्यक्ति को सरकारी सम्पत्ति का उपयोग न करने देवें। सरकार प्रत्येक अनधिकृत कब्जाधारी व्यक्ति पर मुकदमा चला सकती है। निसन्देह सरकार को यह अधिकार प्राप्त है। प्रश्न यह है कि सरकार का अधिकार निर्विरोध होने के उपरांत भी, क्या अनधिकृत कब्जाधारी को बेदखल करने के लिये मुकदमेबाजी का खर्चीला रास्ता क्यों अपनाया जाये। ऐसी दशा में, जैसा कि कल पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, उन्हें न्यायालय शुल्क देना होगा। प्रभावशाली सफाई के लिये वकीलों को बहस करनी होगी। उसे अपने लिये वकील रखना होगा, कार्यवाही लम्बे अर्से तक चलेगी। सम्पत्ति सरकार की होने के कारण सरकार यह सिद्ध कर देगी कि प्रतिवादी का कब्जा खत्म होना चाहिये या वहां प्रतिवादी का कब्जा था ही नहीं। अतः बेदखली का आदेश मिल जायेगा। इस प्रकार उसके ऊपर पर्याप्त व्यय आजायेगा उसका सारा खर्च तो व्यर्थ होगा ही इसके अलावा उसे मध्यवर्ती लाभ भी चुकाना पड़ेगा। यह मानते हुये कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध हमें मुकदमा चलाना है वह गरीब या शरणार्थी है तो क्या यह उसके हित में है कि हम उस पर दीवानी मामले में मुकदमा चलायें। क्या हमारे द्वारा विहित प्रक्रिया टेक्नीकल जटिलताओं से रहित प्रक्रिया नहीं है, इसमें उसे इतना खर्चा भी नहीं करना होगा और वह बिना टेक्नीकल जटिलताओं के अपनी सफाई पेश कर सकेगा। मेरा निवेदन है कि इस सस्ते और आसान तरीके से उस व्यक्ति का भी उतना ही लाभ होगा जितना सरकार का होगा।

सरकार इस अधिनियम को बनाते समय केवल प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करना चाहती है। वह किसी ऐसे अधिकार की उत्पत्ति नहीं कर रही है जिसका पहिले अस्तित्व नहीं था। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या सरकार को ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने का अधिकार नहीं है जिसने सम्पत्ति पर अनधिकार कब्जा किया हुआ है, ऐसी दशा में उसकी बेदखली के लिये क्या प्रक्रिया होनी चाहिये। क्योंकि यह अधिनियम किसी ऐसे स्थान पर लागू नहीं होगा जहां हक्क के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति हो। जहां हमारा स्पष्ट हक्क या कब्जा सिद्ध नहीं होगा, वहां प्रतिवादी दीवानी अदालत में जा सकता है और कह सकता है कि अधिनियम के अधीन शक्तियों का दुरूपयोग किया जा रहा है और सरकार अधिनियम के क्षेत्र के बाहर जा रही है। इलाहाबाद वाले मामले पर इस प्रकार के खंड के बावजूद भी विचार किया गया था, कि तत्संबंधी मामलों पर दीवानी अदालत में विचार नहीं किया जा सकता है।

वस्तुतः इस मामले में केवल दो प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं। क्या सम्पत्ति सरकार की है ? यदि हां, तो सरकार निसन्देह इस प्रक्रिया के अधीन कार्य नहीं करेगी।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** विधेयक में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं की गई है कि हक्क के संबंध में विवाद उठाये जाने पर सम्पदा अधिकारी इस विधेयक के अनुसार कार्यवाही नहीं करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**विधि उपमंत्री श्री हजार नवीस)** : सम्पदा अधिकारी केवल खंड ४ के अनुसार कार्य कर सकता है। जब वह इस परिणाम पर पहुंचता है कि सरकारी भूगृहादि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है ।

†**पंडित ठाक्कुर दास भार्गव** : लेकिन हक्क के संबंध में अन्तिम निर्णय करना सम्पदा अधिकारी के हाथ होगा ?

†**श्री हजार नवीस** : जी नहीं, ऐसी बात होने पर प्रतिवादी दीवानी अदालत में जा सकता है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी यही कहा गया था कि इसमें विहित उपबन्धों के अनुसार यह मुकदमा दीवानी न्यायालय के क्षेत्र के बाहर है।

†**श्री हजार नवीस** : यदि ऐसी बात होती तो उच्च न्यायालय में यह मुकदमा ही नहीं चल सकता था। मैं इस अधिनियम की व्यवस्था इस प्रकार कर सकता हूं कि यह अधिनियम वहीं लागू होगा जहां सरकार के हक्क के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हक्क के संबंध में विवाद होने पर इसका निर्णय कौन करेगा ?

†**श्री हजार नवीस** : हम प्रश्न के इस पहलू पर भी विचार करेंगे। यह अधिनियम एक संक्षिप्त उपचार के रूप में है। हमें इस संबंध में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये कि विवादग्रस्त इमारत सरकार की है और सरकार को उसकी तत्काल आवश्यकता है। अब यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि उसके पास उक्त मकान का हक है ? तो क्या हमें कार्यवाही रोक देनी होगी। और क्या यह मामला पुनः दीवानी अदालत में पेश करना होगा। यदि ऐसा है तो फिर इस विधेयक से लाभ ही क्या होगा ? मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि प्रतिवादी को सरकारी कार्यवाही की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। वह निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये दीवानी अदालत में दावा कर सकता है। जैसा इलाहाबाद उच्च न्यायालय वाले मुकदमें में किया गया था। जहां तक खंड १० का संबंध है उसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इस खंड के प्रवर्तन की शर्तें पूरी न होने के कारण यह दीवानी अदालतों के क्षेत्र से बाहर नहीं समझा जायेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने से यह बात स्पष्ट ज्ञात होती है---पहिला अधिनियम केवल इस कारण गैर कानूनी ठहराया गया था कि उसमें दीवानी अदालत के क्षेत्र को वहिष्कृत कर दिया गया था। उस अधिनियम का समस्त आधार ही न्यायविभाग से संबंध न रखने वाले एक अधिकारी का मनमाना निर्णय था।

†**श्री हजार नवीस** : मेरे विचार से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उक्त विधेयक को इस कारण शक्तिपरस्तात् ठहराया था कि उसमें यह उपबन्ध किया गया था कि सक्षम अधिकारी के विहित कारणों द्वारा संतुष्ट होने पर बेदखली का आदेश दिया जा सकता था। बेदखल किये जाने वाले व्यक्ति की सुनवाई का कोई उपबन्ध नहीं किया गया था। साक्षी देने का कोई उपबन्ध नहीं था। कारण के अभिलिखित करने की व्यवस्था भी नहीं थी। बिना किसी सलाह किये हुये ही जब वह इस निर्णय पर पहुंचता कि अमुक व्यक्ति को बेदखल करना है वह उसे आदेश जारी कर सकता था। तब, भले ही वह व्यक्ति उस भूमि का अधिकारी न हो तथापि कब्जा होने के कारण हमें उसके

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री हजारे नवीस]

अधिकारों की कद्र करनी चाहिये जिससे कि वह एक अधिकारी के मनमाने निर्णय से अपने अधिकारों से वंचित न हो जाय। हमने उक्त सब उपबन्ध हटा दिये हैं हमने उपबन्ध किया है कि वह एक नोटिस जारी करेगा। जिसमें उन समस्त कारणों का उल्लेख होगा जिनके आधार पर बेदखली का आदेश जारी किया जायेगा। तब उसको अपने बयान देने का अवसर दिया जायेगा। अपने आदेश में भी वह कारणों का उल्लेख करेगा, जिससे जब तक कि इस तथ्य की स्थापना न हो कि वे भूगृहादी सरकारी हैं और उस व्यक्ति को उस पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई आदेश नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार हमने अधिनियम का सारा आधार बदल दिया है। इस प्रकार हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित किया है।

उनकी दूसरी आपत्ति यह थी कि प्रतिवादी व्यक्ति को अपने बयान देने की या अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया गया है। इसे विशिष्ट रूप से विहित कर दिया गया है। यह कहा गया है कि अपील करने का अधिकार मिथ्या है क्योंकि यह अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है। केन्द्रीय सरकार को की गई प्रत्येक अपील पर बहुत सावधानी से विचार होता है। तथापि यह स्पष्ट रूप से दिखाने के लिये कि न्याय किया जा रहा है। हमने जिला जज नियुक्त किये हैं जिनसे यह अपील की जायेगी। प्रतिवादी यह अपील अल्पावधि में और कम खर्चे में कर सकेगा। हमने प्रतिवादी के लाभ का विचार कर इस प्रक्रिया को सरल बनाया है। सरकार के पास हर प्रकार के संसाधन मौजूद हैं लेकिन प्रतिवादी व्यक्ति के लिये ऐसा करना बहुत कठिन होगा।

इस प्रकार जिला न्यायाधीश के सम्मुख यह प्रक्रिया पहिले से अन्त तक पुनः प्रारम्भ होती है। जिला न्यायाधीश ज्येष्ठ और अनुभवी अधिकारी होता है। इस पर भी यदि विधि में कोई गलती है तो संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन उच्च न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।

मैं आशा करता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी कि हमने उन सभी बातों को पूरा किया है जिन्हें पूरा करना, संक्षिप्त मार्ग अपनाने के पूर्व, विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयानुसार आवश्यक था। यह प्रक्रिया यद्यपि संक्षिप्त और मितव्ययी है तथापि न्यायिक प्रक्रिया की समस्त आधारभूत बातें इसमें निहित हैं।

श्री धनगर (मैनपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, विभागीय मंत्री जी ने इस बिल को लागू करने के कारण इस प्रकार से बताये हैं, (१) इस संबंध में जो पहला कानून था, उसके संबंध में तीन हाई कोर्ट्स ने कुछ एतराज़ात पेश किये हैं, (२) बहुत सी जगहों पर लोगों ने अन अथाराइज्ड कब्जे कर रखे हैं, (३) ऐसा कानून न होने की वजह से बहुत सी जगहों में विकास-कार्य रुका हुआ है, और (४) दिल्ली का जो विकास होना है, उसमें भी ऐसे कानून के न लागू होने की वजह से रुकावट है। जो इस सरकार के हाई कोर्ट्स हैं, सरकार से उनके जो संबंध हैं और उनकी जो कुछ भी तजवीजें हैं, उनके संबंध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि इस अवसर के लिये वह बहुत ही टेक्निकल चीज़ होगी। यह मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि विभागीय मंत्री ने बहुत सी जगहों पर नाजायज़ कब्जे होने का जिक्र कर के सरकार की कमज़ोरी का एक बड़ा भारी इज़हार किया है। इस संबंध में मुझे रहीम का एक दोहा याद आता है। उन्होंने कहा है—

करत निपुणई गुण बिना रहिमन गुणी हजूर,
मानहुं टेरत विटप चढ़ि यहि प्रकार हम कूर।

वह कहते हैं कि उस सरकार को क्या कहा जाय, जो यह समझती है, कि उस के प्रताप के होते हुये—उसकी सब प्रकार की ताकतें होते हुये—लोगों ने बहुत सी चीज़ों पर कब्जा कर रखा है। अगर उस

सरकार को लचर सरकार कहा जाता है, अगर उसको कमजोर सरकार कहा जाता है, अगर यह कहा जाता है कि वह बिल्कुल सरकार है ही नहीं, या ढिलमिल सरकार है, तो इस में क्या कसर हो सकती है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के उद्देश्यों की ही बात नहीं है, सरकार का कुल ढांचा ही ऐसा है । सारे एडमिनिस्ट्रेशन की बाबत यह बात कही जा सकती है सरकार की सभी बातें ही ऐसी हैं, जिन से सरकार की कमजोरी, लचरपन इंच इंच पर जाहिर होता है । मैं समझता हूं कि इस बिल का यह उद्देश्य देना बजाय इस बिल के लिये उपकारी और लाभदायक होने के सरकार की कमजोरी की तरफ़ ज्यादा इशारा करता है ।

तीसरा कारण उन्होंने विकास के रास्ते में रुकावट होना दिया है । यह कैसा विकास है ? सरकार का हरेक काम विकास का है और तरह तरह के विकास के काम सरकार कर रही है, लेकिन चूंकि यह कहा गया है कि इस बिल के आने से, जो बहुत सा विकास का काम रुका हुआ है, वह आगे चलेगा, प्रगति पायेगा और रुकेगा नहीं, इस लिये मैं विकास के संबंध में भी थोड़े से शब्द कहना चाहता हूं । इस कारण से संबंधित एक चौथा कारण भी मंत्री महोदय ने दिया है और वह यह है कि दिल्ली के विकास के लिये, उस को एक उन्नतिशील और प्रगतिशील शहर बनाने के लिये भी इस बिल का लाना बड़ा जरूरी है । सरकार के आम विकास और विशेषकर दिल्ली के विकास के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, उस वक्त दिल्ली की आबादी ५ लाख थी और आज उस की आबादी २१ लाख के करीब है । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस विकास की कोई परिभाषा दी है और बताया है कि वह दिल्ली का कैसा विकास करना चाहते हैं । जब हमारे यहां जनतंत्रवादी व्यवस्था शुरू हुई, तो पहली जनतंत्रवादी सरकार बनाने का श्रेय हमारी कांग्रेस पार्टी को मिला । वह हर जगह अपने प्रचार में कहती है कि हमने विकास करना है । वह विकास किस के लिये किया जा रहा है ? हमारी सरकार की दशा उस अध्यापक की सी है, जो कि अपने विषयों को नहीं जानता है और जिन स्टुडेंट्स को वह पढ़ाने जा रहा है, उनको नहीं जानता है । विकास के संबंध में हमारी सरकार के लिये भी वही कहा जा सकता है । उसका यह विकास किन लोगों के लिये हो रहा है ? चाहे कोई भी जनतंत्रवादी सरकार हो, उसका उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क के बहुजन कौन हैं और किन किन के हित के लिये यह जनतंत्रवादी सरकार गठित की गई है। शायद हमारे सभी माननीय सदस्य इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हमारे देश में सब से ज्यादा आबादी किसानों और मजदूरों की है । अगर हमारे देश में सारी कानूनी व्यवस्था और सारे सरकारी विभाग किसानों और मजदूरों का विकास न कर सकें, उनके संबंध में कोई प्रगतिशील व्यवस्था न ला सके, तो मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल यह कांग्रेस पार्टी की सरकार जरूर फ़ेल होने जा रही है । किसानों और मजदूरों के विकास के संबंध में अभी कोई भी प्रगतिशील कदम नहीं उठाया गया है । सरकार का जितना विकास-कार्य है, वह चन्द लोगों तक महदूद है, उन चन्द वर्गों तक महदूद है, जो कि पहले से ही प्रगतिशील थे या जो बुद्धिजीवी क्लास से संबंध रखते हैं और जो पहले से पूंजीपति व्यवस्थाओं से चिपके चले जाते हैं और अब भी चिपके रहना चाहते हैं । यह कहते हुये भी कि हम किसान, मजदूर और सभी तरह के लोगों का विकास करना चाहते हैं, उन लोगों की तरफ जरा भी तवज्जह नहीं दी गई है । इस बिल के संबंध में सरकार का यह कहना कहां तक सही हो सकता है कि इस बिल के द्वारा वह आम विकास करने जा रही है और उसके साथ ही दिल्ली का विकास विशेष रूप से करना चाहती है । जिस बिल पर हम वार्ता कर रहे हैं, उस का असर सब लोगों पर पड़ेगा । जहां तक मैं समझता हूं, इस बिल का असर सब से ज्यादा जहां तक दिल्ली का संबंध है---रेफ़यूजीज़

पर पड़ेगा। दूसरे नम्बर पर उस का असर मजदूरों पर पड़ेगा, किसानों पर पड़ेगा, गरीब नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा, मामूली दुकानदारों पर पड़ेगा, खोंचे वालों, मोचियों, भंगियों, नाइयों, हरिजन भाइयों पर और एम० पीज० पर पड़ेगा और कार्पोरेशन के सदस्यों पर पड़ेगा। किस वजह से पड़ेगा ? हमारे विभागीय मंत्री कितने अक्रियात्मक हैं और इस संबंध में कितने लचर तरीके से सोचते हैं, इस लिये सब लोगों पर इस का असर पड़ेगा, आज लोग शायद इस बात को महसूस नहीं करेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां—बल्कि आज भी समझदार लोग—इसको महसूस करेंगे और इन सब बातों को समझेंगे। इसी तरह के और मंत्री शायद यह कह कर बरी होना चाहें कि यह विरोध तो पोलीटिकल पार्टीज़ का काम है कि वह भूखे लोगों को भड़का देते हैं। यह कैसा दिल्ली का विकास है कि गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। इस बिल में आपने नाइट पोचर की तरह से, नाजायज़ तरीके से जमीनों पर कब्जा करने का अधिकार ले लिया है। मैं तो कहूंगा कि यह कोई छोटा बड़ा आर्डिनेंस न हो करके एक फुल-फ्लेज्ड आर्डिनेंस है। क्या यह कोई ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हमारे मंत्री जी को आज तक कोई होश ही नहीं थी ? उनको शायद मालूम नहीं कि ऐसा कानून पहले से ही लागू था। थोड़े से पढ़े लिखे लोगों के कुछ कहने पर जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, आप इस बिल को यहां पेश कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्या इस बिल के पास करवा लेने के बाद वह यह समझते हैं कि आइंदा नाजायज़ कब्जा नहीं होगा या यह बन्द हो जायेगा ? मैं तो कहूंगा कि वह और भी अधिक होगा। आप अपनी कमजोरी की तरफ क्यों ध्यान नहीं देते हैं ? मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी सरकार को, पूरी की पूरी कैबिनेट को इस बिल की व्यवस्थाओं को समझने की जरूरत है। आपका क्या मन्तव्य है, आपका क्या मकसद है कि आप इस बिल को यहां लाये हैं ? क्या इस सरकार का गठन चन्द लोगों के फायदे के लिये ही हुआ है। क्या यह सरकार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात में विश्वास नहीं करती है ? यह बिल आम जनता की भलाई के लिये नहीं है और जिस तरह से लोग हमारे मुल्क में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसकी ओर हमारी इस सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसको पता ही नहीं कि कितनी परेशानी में वे लोग आज हैं।

किसान, मजदूर या दूसरे लोग जो बाहर से यहां दिल्ली में काम काज करने के लिये, नौकरी ढूंढने के लिये, पेशा करने के लिये, रोज़ी की फिराक में आते हैं, उनके प्रति इस सरकार के दिल में कोई जगह नहीं है ? उनके लिये यह सरकार कोई व्यवस्था करने के लिये तैयार नहीं है। दिल्ली के विकास का अर्थ केवल इतना लगाया जा रहा है कि यहां पर जो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं—छोटे छोटे नौकर भी नहीं—जो बहुत बड़े बड़े नौकर हैं और जिन को यह सरकार पाल रही है, उनको फायदा पहुंचाया जाये। यह गांधीजी के उसूल के खिलाफ है। उनको इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जा रही हैं, इतने अधिक भत्ते दिये जा रहे हैं, उनका पालन पोषण किया जा रहा है, लेकिन यहीं पर बस न करके उनको तरजीह और तरगीब देने के लिये हमारी सरकार दिल्ली का विकास करना चाहती है। दिल्ली के विकास के नाम पर, शायद हमारे माननीय मंत्री जी को पता नहीं, किसानों की ११,००० एकड़ ज़मीन—११,००० बीघा नहीं, बल्कि ११,००० एकड़ ज़मीन— पहले ही ली जा चुकी है और उस जमीन पर वैसे लोगों को बेदखल किया जा चुका है। मुझे यह भी पता चला है कि साढ़े चार हजार एकड़ और ज़मीन दिल्ली के विकास के नाम पर किसानों से ली जाने वाली है और किसानों को उस ज़मीन से हटा दिया जायेगा। यह नाजायज़ कब्ज़े का भी सवाल नहीं होगा, यह तो गवर्नमेंट द्वारा सीधा कानून के सहारे एक्वीज़ीशन करना होगा। इस तरह से दिल्ली का विकास हो रहा है। इस तरह के काले कानून बनाते वक्त क्या हमारे मिनिस्टर साहिबान कभी खयाल करते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जिन को बेदखल किया जायेगा ? आखिर किन के फायदे के लिये आप कानून बनाते हैं ? इस कानून के परिपालन से जो लोग विस्थापित होंगे, उनकी क्या हालत होगी,

क्या इस पर भी आपने विचार किया है ? शायद उनको तभी सोच पड़ेगी जबकि यह हालत उनके और उनके बाल बच्चों के साथ की जाएगी । शायद बहुत जल्दी वह दिन आएगा जबकि ऐसी व्यवस्थायें गिन गिन कर आपके खिलाफ काम में लाई जायेंगी । आज आप बड़ी फुरती के साथ इस तरह के काले कानून पास करते जाते हैं । आज आप इस स्थिति में हैं कि इस तरह के कानूनों को पास करवा सकते हैं और इनको अमल में भी ला सकते हैं । लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां और हम सभी लोग क्या बिल्कुल शांतिपूर्वक इन सब चीज़ों को सहते चले जायेंगे ? क्या हम हमेशा ही इस तरह की बातें सुनते रह सकते हैं । हर एक चीज़ की हद होती है और अति का भी कहीं न कहीं अन्त होता है । देश में जागृति पैदा होकर रहेगी । येन केन प्रकारेण---

उपाध्यक्ष महोदय : यह कब अन्दाजा लगाया जा सकता है कि माननीय सदस्य शांति से सुनेंगे ? अब वक्त हो गया है और माननीय सदस्य खत्म करें ।

श्री धनगर : पांच मिनट और दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट और नहीं, वक्त हो चुका है । मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूं और अगर आपको ज्यादा वक्त दिया गया तो आप बहुत थक जायेंगे ।

श्री धनगर : यह पहली घंटी है---

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले भी दो बार बजा चुका हूं ।

श्री धनगर : एक तो मैं अपने लहजे में सुन ही नहीं पाया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सुन लीजिये । यह तीसरी हो गई है ।

श्री धनगर : जब माननीय मंत्री जी इस बिल पर अपनी स्पीच दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने कुछ संरक्षणों का भी जिक्र किया था और कहा था कि गाडगील साहब ने १९५० में कुछ संरक्षण दिये थे । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप उन पर कायम हैं ? मैं समझता हूं कि आप उनको अमली रूप देना नहीं चाहते हैं । जिस तरह से आप अमली रूप देते भी हैं, उसको हमारे देश के लोग और हमारे देश की पब्लिक बहुत अच्छी तरह से जानती है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सिलैक्ट कमेटी के एक सदस्य महोदय ने यह कहा है कि "गवर्नमेंट एश्योरेंसिस आर नथिंग" । गवर्नमेंट बहुत सी व्यवस्थायें अपना वक्त निकालने के लिये, अपना काम निकालने के लिये कर देती है, लेकिन जब इम्पलेमेंटेशन का वक्त आता है, जब उनको लागू करने का वक्त आता है, तो उनको लागू नहीं करती है, और ऐसा समझती है जैसे उनसे उसका कोई संबंध ही नहीं है ।

श्री अर्चित राम (पटियाला) । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत मशकूर (आभारी) हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है । आपने मुझे पहले वक्त देकर जो मुझे पर मेहरबानी की है, उसके लिए भी मैं आपका धन्य वाद करता हूं ।

यह बिल बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि चन्दा साहब के जिम्मे पड़ गया है । मेरे दिल में रेड्डी साहब के लिए बहुत इज्जत है । वह हर काम को सेवा भाव से और बड़े प्रेम से करते हैं । लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि यह बिल उनके माथे कैसे जड़ दिया गया । यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बिल इल्लीगल (अवैध) है, अनकांस्टीट्यूशनल है और शायद सरकार यह समझती है कि यह बात नहीं है । इस चीज़ को यहां पर साबित करने

की कोशिश भी की गई है और इस बारे में सारा हाउस एक मत मालूम देता था। मैं मानता हूं कि कई मौके ऐसे भी आते हैं जबकि कोई इल्लीगल बात करनी पड़ जा सकती है, अनकांस्टीट्यूशनल बात करनी पड़ जा सकती है और वह तब जबकि ऐसी अवस्था हो जाती है जिसको रोका नहीं जा सकता है या जिसका कानून में रहते हुए मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या ऐसी बात हो गई है, ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि आप इस तरह की इल्लीगल, इन्हयूमन, अनकांस्टीट्यूशनल, अनसिम्पेथेटिक बात करने पर मजबूर हो गये हैं? आखिरकार हमारे सामने प्रोपोज़िशन क्या है। इस बिल को खास तौर पर दिल्ली पर लागू करने की गरज़ से तैयार किया गया है। हमारे ला मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं और उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि यह बहुत जरूरी बिल है और हर प्वाइंट से ठीक है।

आखिर मसला क्या है? मसला यह है कि ११,००० परिवार यहां बैठे हुए हैं और ३५७ एकड़ जमीन है। कहते हैं कि उस के लोगों को एविक्ट करना है। पहली बात तो यह है कि आप ११ वर्ष बाद, हिन्दुस्तान की आजादी से, यह बिल यहां पर लाये। यह क्या बहुत जरूरी हो गया था? जब लाखों आदमियों को बसाने का सवाल और बात है, आज क्या जरूरत पड़ गई इस की? अगर आप ३५७ एकड़ जमीन को ११,००० आदमियों में बांटें तो एक एकड़ में ३१ परिवार बसते हैं। क्या इतनी जगह भी आप इनको देने को तैयार नहीं है। यह कौन सी ऐसी बात है जिस के लिये आप को यह बिल लाने की ज़रूरत पड़ गई। जब मैंने मिनिस्टर साहब की स्पीच पढ़ी बड़े गौर से तो मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि दिल्ली से बड़ी जरूरी डिमान्ड आई है। क्या? यहां पर पावर्स बनाने हैं, यहां पर स्कूल बनाने हैं, यहां पर लिंक रोड बनानी है। इस के फिगर्स तो उन्होंने नहीं दिये कि इन कामों के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत है। लेकिन यह कहा कि लिंक रोड बनानी है, स्कूल बनाने हैं। इस के अलावा रिफ्यूज़ीज को छोड़कर कितने आदमी एविक्ट होंगे, इस के भी फिगर्स नहीं दिये है। मैं पूछता हूं कि यह क्या ऐसी अनअवायडेबल बात थी जिसके बिना आप का काम नहीं चल सकता था?

दिल्ली में २२ लाख की आबादी है, २२ लाख में से ११ हज़ार परिवारों को एविक्ट करने की बात आप ने सोची। क्या इस के अलावा और कोई रास्ता नहीं था? मेरा ख्याल है कि दिल्ली में ११ हज़ार नहीं, २२ हज़ार, २५ हज़ार आदमी ऐसे हैं जिन के पास २, २, ३, ३, ४, ४ मकानात होंगे। एक एक फैमिली के पास ७,७ ८,८ १०,१० कमरे जरूर ही होंगे। फिर क्या वह नहीं हो सकता था कि आप उनको रिक्विजिशन कर लें, और उन में लोगों को बसा दें? मैं यह समझने से कासिर हूं कि क्या यही एक रास्ता उन के पास बचा था। आप ने रिफ्यूजीज को, बेचारे दूसरे हरिजनों को उखाड़ने की सोची क्योंकि आप को लिंक रोड चाहिये। मैं तो आशा करता था कि आप इस बिल का नाम "पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन आफ अनअथाराइज्ड आक्युपेन्टस्) बिल" के बजाय "नैसेसरी रैगुलैराइजेशन आफ दी आक्युपैंट्स आफ पब्लिक प्रिमिसेज बिल" रक्खेंगे। जो काम कि आज तक नहीं हुआ। आजादी को ११ वर्ष हो गये, अब तक आप लोगों को बसा नहीं सके हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: सिर्फ बिल का नाम बदल दें, अन्दर वैसा का वैसा ही रहे?

श्री अचित राम : आप ने बिल्कुल ठीक कहा। वह अन्दर ठीक न हो कर बाहर बदल गयी तो काम न होगा।

मैं कहता हूं कि नाम बाहर भले ही वही रहे लेकिन अन्दर तो उसे जरूर बदल दिया जाय।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर रक्षित अनुसूचित जातियां) : इस बिल के अन्दर ही यह सब कुछ किया जा रहा है।

श्री अचित राम : मेरी गुजारिश यह है कि आप यह समझें कि इस वक्त जरूरत यह थी कि आप इन आकुपेशन्स को रेगुलराइज करने का बिल लाते, और हम आप को सपोर्ट करते। अगर आप को लिंक रोड बनाना है तो हम आप को उस की पावर देते, लेकिन आप को उन लोगों को निकालने की पावर न देते। आप को पता है कि गाडगिल साहब ने हम को ऐशोयोरेन्स दिया था कि लोगों को उखाड़ा नहीं जायेगा, लेकिन जहां बिल पास हुआ और हम बाहर गये तो हम को खबर मिली कि वहां मकान गिरा दिये गये। गाडगिल साहब की बात को कोई पूछता ही नहीं था। यहां तो तमाम बातें कह दी जाती थीं, यहां पर ऐश्योरेंस दिये जाते थे, आप भी कहते हैं कि हम ऐश्योरेन्स देंगे। अगर आप को ऐश्योरेंस देना है तो आप लिख कर दीजिये कि यहां पर इतने मकान हैं और हम उनको रेगुलाराइज़ करते हैं। **व्हट इज़ दि डिफिकल्टी ?** (कठिनाई क्या है)। यहां पर आप इस तरह की बातें करते हैं और जब बाहर जाते हैं तो दूसरा ही कुछ देखने को मिलता है। मुझे इन सब बातों का जाती (निजी) तजुर्बा है। यहां पर एक कमेटी बनी, उस का मैं मैम्बर था। **फार फुल थ्री इअर्स** (पूरे तीन वर्ष तक) किसी ने मुझे पूछा ही नहीं। उस के बाद जब एक बार मैं दिल्ली स्टेट के सेक्रेटरी से मिला तो उन से पूछा कि जनाब, क्या बात है, मैंने सुना था कि मैं इस कमेटी का मेम्बर बना हूं। तो उन्होंने मुझ से कहा कि सब कुछ ठीक है, आप फिक्र न कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप के सिवा दूसरे मेम्बरों का भी यही हाल था या सिर्फ आप का ही ?

श्री अचित राम : मुझे तो अपनी खबर है, दूसरों की खबर दूसरों को होगी।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : उन से पूछा नहीं ?

श्री अचित राम : मुझ को उन से पूछने की फुर्सत नहीं थी। मुझ से तो यही कहा गया कि आप बिल्कुल फिक्र न कीजिये, सब ठीक चल रहा है। उस के बाद यह कमेटी बैठी, उस में मैं भी था। मैंने क्या देखा कि पहले से ही वह सारी पकी पकाई चीज लेकर आये, हम उन को स्वीकार करें या न करें उस के ऊपर कुछ कह नहीं सकते। उस के बाद मैं रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के पास गया। उन्होंने कहा कि हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो वर्क्स हाउसिंग और सप्लाई मिनिस्ट्री का काम है। उस वक्त उस के मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह थे, उन्होंने मुझ से कहा कि उन से इस का कोई ताल्लुक नहीं है। यह मसला तो दिल्ली स्टेट का है। मैं दिल्ली स्टेट के पास गया तो उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, यह तो ऊपर से हुआ है। इधर उधर और उधर से इधर भागता हुआ परेशान हो गया, आखिर मैं कहां जाऊं। मुझे आप से बड़ी हमदर्दी है। आप क्यों मुसीबत में पड़ने के लिये इस चीज को अपने ऊपर लेते हैं ?

आप देखते नहीं हैं कि पिछले एलेक्शन में रिफ्यूजीज ने आप को शिकस्त दी। उन्होंने इस को पीड़ितों का मसला बना रक्खा था। और यहां पर सब लोगों में इस मसले ने एक यूनेनिमिटी पैदा कर दी। यह कहां की अक्लमंदी है कि अपोजीशन वाले आप के खिलाफ हैं, आप के साथी आप के खिलाफ हैं, वह आप के खिलाफ मश्विरा देते हैं । मैं कहता हूं कि यहां पर पंडित जी ने कहा कि यह फूड का मसला जो है वह पार्टी का मसला नहीं है और सब लोग उन के साथ हो गये। कृपा करके यह भी देखिये कि **इट इज़ आलसो नाट ए पार्टी** (यह भी दल का प्रश्न नहीं है) मसला। आप एविक्शन को पार्टी का मसला बनाते हैं। आप देखिये कि सारा हाउस इस के खिलाफ है। इसलिये कृपा करके आप जैसा मैं कहता हूं वैसा बिल लाइय। इस पर पार्टी से ऊपर उठ कर देखिये। जब हम से पंडित जी ने कहा कि फूड का मसला पार्टी का सवाल नहीं है, सब ने उन की बात पर अमल किया। आज सब एक जबान से कह रहे हैं कि यह बिल गलत है, यह बिल गलत है। इसलिये आप इस को हटाइये और असलियत को सामने रखिये। इस बिल को आगे न चलाइये। यह वैलफेअर स्टेट का बिल नहीं है, यह इलफेअर स्टेट का बिल है। वेलफेअर स्टेट में यह बिल नहीं आ सकता। **टेक अ करेंज इन योर हैंड्स** और जा कर कहिये कैबिनेट से कि उस ने यह गलत कदम उठाया है और यह बिल आज के हालात के मुताबिक नहीं है। आप इस को याद रखिये कि अगर दिल्ली में मुसीबत आयेगी तो तमाम हिन्दुस्तान पर उसका असर पड़ेगा। यह मुनासिब बात नहीं है।

मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता इस लिये सिर्फ यही कहता हूं कि यह बिल ठीक नहीं है। आज जो बात है आप उस को फेस क्यों नहीं करते? यह बात बिल्कुल गलत है इसलिये मेरी दर्ख्वास्त है कि आप तमाम बातों को देख कर बताइये कि क्या आप इस की जरूरत महसूस करते हैं। क्या यह कोई ऐसी चीज़ है जिस के बिना आप का काम नहीं चल सकता। मैं तो कहता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो बातें कहीं हैं आप उन को गौर से देखिये। स्पीकर साहब ने कुछ सजेश्न दिये हैं, आप उन पर ध्यान दें। यह चीज़ आप के एलेक्शन में पता लग गई कि आप के जो आफिसर्स हैं वह लोगों की बात सुनते नहीं हैं। आज लोगों के दिल में यह यकीन हो गया है कि वर्तमान सरकार को हमारी शिकायतों को सुनकर उन्हें दूर करने का ख्याल नहीं है। बाज दफा सेलेक्ट कमेटी फैसला देती है, हाउस मुतफिक होता है, मेम्बर्स एक आवाज़ कहते हैं लेकिन कोई उन की सुनता नहीं है। इस डिमाक्रेसी के क्या माने हैं ? मैं समझता हूं कि कम से कम आप के हाथों से ऐसी बात नहीं होनी चाहिये, औरों के साथ से हो तो हो।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं ने सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना । मुझे माननीय मंत्री के भाषण में पुराने किलें में रहने वालों को अनाधिकृत क़ब्जाधारी कहा जाना बुरा लगा क्योंकि उनकी समस्या कई बार यहां पर उठायी जा चुकी है और जब उनको वहां पर रहते हुए दस वर्ष हो चुके हैं तो उन्हें अनाधिकृत क़ब्जाधारी कहना मुझे ठीक नहीं लगा।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं इस बात को स्पष्ट किए देता हूँ। पुराने किलें में इन लोगों को अस्थायी तौर पर बसाया गया था। हमने पुराने क़िले में रहने वालों के

†मूल अंग्रेजी में

लिए मकान बनाये तथा उपनगरों को बसाया परन्तु हुआ यह कि इन मकानों में अन्य अनाधिकृत क़ब्ज़ाधारी आ बसे और जो बेचारे पुराने क़िले में अस्थायी तौर पर रह रहे थे, उनको वहीं रहना पड़ा। मैंने जो कुछ कहा है वह पुराने किले में रहने वाले लोगों के बारे में नहीं कहा है । मैंने तो यह बताया है कि अनाधिकृत क़ब्ज़ाधारी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जिससे अन्य विस्थापित व्यक्तियों को भी कठिनाई हो रही है।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव :** माननीय मंत्री ठीक बात नहीं कह रहे हैं। सच यह है कि जो मकान आदि बनाये गये हैं उनके बनाने के लिए उन्हींने धन दिया है। पुनर्वास मंत्री ने उनको आश्वासन भी दिया था कि जिन लोगों को पुराने किले के पास की जगह से निकाला जायेगा उनको वैकल्पिक स्थान दिया जायेगा। अब मेरे मित्र कहते हैं कि और अनाधिकृत क़ब्जाधारी आ बसे हैं यह बात एकदम ग़लत है ।

†**श्री अचित कु० चन्दा :** मुझे खेद है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह ठीक नहीं। यह बात तो सच है कि पुराने किले में लोग सरकार की अनुमति से बसे थे परन्तु यह भी उतना ही सच है कि पुराने किले में रहने वाले लोगों के लिए जो मकान बनाये गये थे, उन पर अब अनाधिकृत लोगों ने कब्जा जमा लिया है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** यह बात तो अलग है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** आज ५ सितम्बर १९५८ के "दैनिक मिलाप" में "पुराने क़िले के पुरुषार्थियों का मसला" शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है कि पुनर्वास मंत्री श्री मेहर चन्द खन्ना ने भगत सिंह मार्केट का उद्घाटन करते हुए कहा था कि :

> "इस मौक़े पर कमाल हमदर्दी और दिल की इन्तहाई गहराई से परमात्मा की क़सम खाकर ऐलान किया कि मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर ऐलान करता हूं कि मैं दिल से चाहता हुँ कि पुराने क़िले के लोगों को पुराने क़िले के नज़दीक मकान और दुकान बना कर दूं जहां वह आराम से रहें और अपनी रोज़ी कमायें।
>
> इस ऐलान के बाद जो हजारों लोगों की मौजूदगी में श्री खन्ना जी वज़ीर बहालत ने ११ जनवरी सन् १९५७ को भगतसिंह मार्केट में किया, जनरल एलेक्शन आया। पुराने क़िले के लोगों ने इस एलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए अपनी बिसात से बढ़कर सारे हलके में भारी काम किया। सुना गया और महसूस किया गया कि यही काम पुराने क़िले के मसले के हल में रुकावट बना और एक जिम्मेदार कांग्रेसी नेता के क़ौल के मुताबिक पुराने किले के मसले की गाड़ी को सियासी रंग लग गया है जो आगे बढ़ने के बजाये पीछे धकेली जा रही है।"

तो मैं कह रहा था कि पुराने किले के लोगों ने, जिन्होंने ५०० रु० दिये हैं, एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और श्री मोहन लाल सक्सेना के वक्त में, इनसे अपने ख़ुद के मकान बनाने के लिये कहा गया। सबसे पहले पुराने किले में रहने वाले व्यक्तियों से १२½ रुपये महीना किराया लिया। परन्तु पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री अचित राम के कहने पर इसको

---

†मूल अंग्रेजी में

घटा कर ४ रुपया कर दिया गया। यदि इस पर भी इनको अनधिकृत क़ब्जाधारी कहा जायेगा तो उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार वास्तव में अनधिकृत क़ब्जाधारी समझती है। यही हाल मकान बनाने वाले मज़दूरों का है। मैं समझता हूं कि यदि इस विधेयक को पारित किया गया तो इन लोगों में इसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी क्योंकि सम्पदा पदाधिकारियों के द्वारा इनको तंग कराया जायेगा। सरकार की यह नीति ठीक नहीं है। जब इस विधेयक के खिलाफ सारे लोग हैं तो फिर क्या ज़रूरत है कि इसको पारित किया जाये।

आज एक ओर तो विनोबा जी तथा अन्य लोग भूदान और ग्रामदान करा रहे हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीनें दे रहे हैं लेकिन दूसरी ओर लोगों को उनकी टूटी फूटी झोंपड़ियों में से भी जबरदस्ती निकाला जा रहा है। दस वर्ष पहले जो विस्थापित थे उनको पुनः विस्थापित बनाया जा रहा है। श्री अर्चित राम ने यह बिल्कुल ठीक ही कहा है कि नगर निगम के चुनावों में पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के कांग्रेस विरोधी हो जाने के कारण ही कांग्रेस की हार हुई। मेरी माननीय मंत्री से अपील है कि वह इस मामले पर विचार करें और इन शरणार्थियों को रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को और मकान बनाने वाले मज़दूरों को अपनी जगह से बेदखल न करें। जहां तक पुराने किले का सवाल है इसके बारे में एक उचित जांच होनी चाहिये। जिस तरह से पुनर्वास मंत्रालय ने इस पर कार्यवाही की है, उसमें जरूर कोई गड़बड़ है।

अन्त में माननीय मंत्री महोदय से मेरी यही अपील है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत विभिन्न संशोधनों पर विचार करें और उनको, विशेष रूप से संशोधन संख्या ९ और ४२ को स्वीकार करलें।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा। विधेयक पुरःस्थापित किये जा सकते हैं।

महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा (निरसन) विधेयक

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा अधिनियम, १९२३ के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा अधिनियम, १९२३ के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री पु० र० पटेल:** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(धारा ५६ तथा १२३ का संशोधन)

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री राधा रमण** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद १३४, १३६ और १४५ का संशोधन)

†**श्री सुबिमन घोष** (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री सुबिमन घोष** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

वनस्पति में रंग मिलाना विधेयक

†**श्री अब्दुल सलाम** (तिरुचिरापल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस उद्देश्य से कि वनस्पति को घी में मिलावट के काम में लाने से रोका जाये, इसमें रंग मिलाने का उपबन्ध करने तथा उसको विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस उद्देश्य से कि वनस्पति को घी में मिलावट के काम में लाने से रोका जाय, इसमें रंग मिलाने का उपबन्ध करने तथा उसको विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री अब्दुल सलाम** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक

(धारा ३ का संशोधन)

†**श्री अब्दुल सलाम** (तिरुचिरापल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अब्दुल सलाम :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक

(धारा १०३ का संशोधन)

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री नौशीर भरुचा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ मामलों में संसद् और संसत्सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों की व्याख्या करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ मामलों में संसद् और ससंत्सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों की व्याख्या करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री नौशीर भरुचा** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक

(धारा ३, २२, ३० और ३६ का संशोधन)

†**श्री सै० अवो सिंह** : (आन्तरिक मनीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि क्षेत्रीय परिष अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री लै० अचौ० सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब श्री रघुबीर सहाय द्वारा २२ अगस्त, १९५८ को प्रस्तुत दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। इसके लिये निर्धारित १$^{1}/_{2}$ घंटे में से १ घंटा १ मिनट २२ अगस्त, १९५८ को लिये जा चुके हैं और २९ मिनट शेष हैं।

श्री बर्मन (कूच बिहार—रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार इस विषय में कोई तर्क करने का नहीं है कि इस विधेयक से अभियुक्त को कितना लाभ होगा परन्तु यह ज़रूर है कि इस सभा को और माननीय मंत्री को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि धारा ३४२ से इस खंड को हटाया जाना चाहिये या नहीं। इस विधेयक के खंड २ द्वारा "अथवा उनके झूठे उत्तर देने पर" शब्द हटाने की व्यवस्था की गई है। मेरा निवेदन है कि इस अधिकार से अभियुक्त को कोई लाभ नहीं होता। इसके विपरीत इसके यहां रखने से हमारी विधि प्रणाली पर आक्षेप होता है। मेरे विचार से संसार में कोई ऐसा विधान नहीं है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो। इससे ऐसा लगता है कि मानो हमारा कानून न्यायालयों में झूठी गवाही देने के लिये प्रोत्साहित करता है। इसलिये माननीय मंत्री को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये जिससे हमारे विधान में इस प्रकार की किसी बुराई को जगह न मिले। इस उपबन्ध के रहे चले आने से यही होगा कि जो भी बात अपराधी कहेगा उसका न्यायालय पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि न्यायालय को मालूम है कि अपराधी को झूठ बोलने की छूट मिली हुई है। इसलिये यह न समझते हुये कि इस विधेयक को एक गैर-सरकारी सदस्य ने प्रस्तुत किया है, माननीय मंत्री को विधेयक के खंड २ को स्वीकार कर लेना चाहिये।

खण्ड ३ से भी मेरा अपना विचार है कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और मेरे विचार से इस धारा को ऐसा ही रहने दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

वादी के द्वारा गवाहों को बुलाये जाने से पूर्व बादी वक्तव्य दे सकता है। और यह वक्तव्य धारा ५६२ के अधीन आ सकता है। धारा में इसकी व्यवस्था करने से कि अपराधी एक बिल्कुल सच्चा वक्तव्य देगा कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि यह तो न्यायालय पर है कि उसके वक्तव्य को सच्चा माने अथवा नहीं। इसलिये वर्तमान विधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

†**पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय** (प्रतापगढ़) : श्रीमान्, इस विधेयक का उद्देश्य बड़ा सराहनीय है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री भी इसके उद्देश्य को अच्छा समझते हैं। मैं आशा करता हूं कि यदि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें तो संभव है वह संशोधनों को स्वीकार कर लें।

पहला संशोधन यह है कि धारा ३४२ में से शब्द 'अथवा उनके झूठे उत्तर देने पर' हटा दिये जायें। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने बताया कि इन शब्दों का हमारे कानून में रहे चला आना ठीक नहीं है। मेरा भी अपना विचार है कि अन्य किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि उपधारा (४) में जो व्यवस्था है कि जब अभियुक्त का उपधारा (१) के अन्तर्गत परीक्षण होगा तो कोई शपथ नहीं दिलाई जायेगी, वह काफी है।

माननीय मंत्री ने बताया कि इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि अपराधी यह महसूस न करे कि जो कुछ वह बता रहा है उसके लिये उस पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा सावधानी बरतने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबों को पता है कि जब शपथ नहीं ली गई है तो झूठी गवाही देने के लिये उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता। मेरी राय में इन शब्दों को यहां पर रखना ही बेकार है। इसलिये इन शब्दों को हटाने से किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं पड़ता है और इनको हटा देना चाहिये।

दूसरे उपबन्ध में प्रस्तावक ने बताया है कि अपराधी के मामले पर धारा ५६२ के अधीन विचार करते समय न्यायालय को एक और बात पर विचार करना चाहिये और वह यह कि अपराधी बिना कुछ छुपाये एकदम सच बात बताये। मैं समझता हूं कि इससे कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। इससे तो अपराधी को सहायता मिलती है। मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है जब अभियुक्त कोई वक्तव्य ही न दे, तो हो सकता है कि न्यायालय यह समझे कि चूंकि अपराधी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है इसलिये कुछ गड़बड़ है। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि यह तो न्यायालय के स्वविवेक पर है कि वह उन परिस्थितियों पर, जिनको इस धारा में बताया गया है विचार करे अथवा नहीं। इसमें केवल एक और परिस्थिति उसमें जोड़ी जा रही है जिससे अपराधी को लाभ ही होगा और विधि न्यायालयों में सच बोलने को प्रोत्साहन मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार): यह चीज़ जो कि इस बिल में दर्ज है यह पहली मर्तबा ही हाउस के सामने नहीं आई है। जिस वक्त क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड की जनरल तरमीम हो रही थी उस वक्त भी यह मामला इन्हीं अल्फाज़ में हाउस के सामने आया था। सच तो यह है कि इस बिल के आनरेबिल मूवर साहब बहुत अरसे से यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कानून में ऐसी तरमीम हो जाये कि इशारतन या कनायतन किसी तरह की तरगीब न हो कि कोई शख्स अदालत के सामने झूठ बोल सकता है। मैं उनके इस खयाल की दाद देता हूं और उसकी कद्र करता हूं और मेरा खयाल है कि उनके मोटिव को देख कर ही आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने यह मंजूर फरमाया है कि इसको सरकुलेट किया जाये। उनका जो दूसरा अमेंडमेंट है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि जब किसी शख्स को दफा ५६२ का फायदा दिया जाता है तो यह किस तरह मान लिया

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर साद भार्गव]

जाये कि इसने अदालत के सामने कोई मामला बगैर छिपाये अपना दिल खोल कर रख दिया है या नहीं। तो यह दो बातें हैं इसके अन्दर।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई इससेक्शन को सुपरफीशियली पढ़ेगा तो यह नतीजा निकलेगा कि कानून में मुलजिम को झूठ बोलने का ब्लैंक चैक दे दिया गया है। दर अस्ल यह मामला इस तरह से नहीं है। आप सारे सेक्शन को देखें और क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड की सारी स्कीम को देखें तो मालूम होगा दर अस्ल यह मुलजिम को झूठ बोलने का राइट नहीं दिया गया है बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो एक हक होना चाहिये था और जो मुलजिम को दुनिया भर में दिया गया है वह यहां भी दिया गया है, यानी किसी सवाल के जवाब में, वह जो कुछ भी कहना चाहे कहने का हक रखता है। और उसको यह भी हक हासिल है कि कोर्ट उसके बखिलाफ मामलात के बारे में उससे कोई सवाल पूछे और वह चुपचाप खड़ा रहे। चुनांचे नान-कोआपरेशन डेज (असहयोग के दिनों) में कितने ही ऐसे आदमी थे कि जिन्होंने अदालतों में एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया बल्कि जो स्टेटमेंट देना चाहा वह दिया। जो अल्फाज़ ३४२ के हैं और जिनकी तरफ कम तवज्जह दी जाती है वे यह हैं : "साक्ष्य में उसके विरुद्ध बताई गई परिस्थितियों का स्पष्टीकरण कर सकने के लिये न्यायालय ऐसे प्रश्न पूछ सकता है।"

जनाब वाला देखें कि कि स तरह से दुनिया में यह ट्रायल का किस्सा चला और जिस तरह से ला आफ एवीडेंस बना है। यह तो सारी एक इंटीग्रेटेड स्कीम है। कोर्ट को यह मालूम है कि इस मुलजिम ने जुर्म किया है लेकिन अगर कोर्ट के सामने एवीडेंस नहीं है तो कोर्ट पर यह फर्ज आयद नहीं होता कि कोर्ट उसका बयान ले। अगर कोर्ट के सामने ऐसी एवीडेंस नहीं है कि जिससे मुलजिम का जुर्म साबित होता है हो तो कोर्ट को उससे कोई सवाल पूछने का हक नहीं है। अगर एवीडेंस में कोई लेक्यूना (कमी) है तो उसको मुलजिम की बयान से पूरा नहीं किया जा सकता। अगर कोई कोर्ट किसी लेक्यूना को मुलजिम की शहादत से पूरा करके उसको सजा देती है तो अपीलेट कोर्ट उस सजा को नाजायज करार देती है। एक्यूज्ड (अपराधी) को हक है कि वह चाहे जो भी जवाब दे सकता है। अगर एक्यूज्ड के बयान के बारे में यह पाबन्दी लगायी जाती है कि उसका बयान अगर सच न हुआ तो उसको सजा हो सकती है तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि यह उसके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होगी, जो कि नहीं होनी चाहिये। अगर एक्यूज्ड किसी तरह का जवाब बिल्कुल नहीं देता तब तो मेरे लाय क दोस्त मानते हैं कि उसने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन अगर वह जवाब दे देता है और वह बाद में गलत साबित होता है तो उसको सजा देने की बात कही जाती है।

श्री रघुवीर सहाय (बदायूं) : इसमें पनिशमेंट का सवाल कहां उठता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं उनको पढ़ कर सुनाऊंगा। यही तो मेरी शिकायत है। मेरे लायक दोस्त ने इसी चीज़ को तो नहीं देखा है। इसमें लिखा है। "अपराधी ऐसे प्रश्नों का उत्तर न देकर अथवा उनके झूठे उत्तर देने पर दण्ड का भागी नहीं बनेगा"

कानून में उसको यह अख्तियार है कि अपने डिफेंस में जो कुछ बयान देना चाहे देदे जो कि अगर बाद में गलत साबित हो जाये तो उसको सजा नहीं हो सकती। सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसको झूठा बयान देने की सजा नहीं होगी, बल्कि अगर एक्यूज्ड कोई ऐसा बयान दे दे कि जिससे किसी की डिफेमेशन हो रही हो तो हालांकि ऐसा करना जुर्म है, लेकिन उस हालत में भी एक्यूज्ड पर कोई जुर्म आयद नहीं हो सकता। वह कुछ भी बयान दे दे जुर्म नहीं माना जायेगा। हां अगर आप रिटिन स्टेटमेंट दें और उसमें इस तरह का स्टेटमेंट हो जिससे किसी का डिफेमेशन होता हो तो आप

पर जुर्म आयद हो सकता है, लेकिन अगर एक्यूज्ड अपने बयान में इस तरह की बात कह दे तो उस पर कोई जुर्म आयद नहीं हो सकता। और यह ला अपनी जगह पर ठीक है। आज अगर एक्यूज्ड बयान देता है, तो कोई नहीं कह सकता है कि वह बयान झूठ है या सच है। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो इसकी जांच करे कि वह बयान सच है या झूठ है तो उस मुकदमे को छोड़ कर आपको इस बयान की नई तहकीकात शुरू करनी होगी। अगर आप इस चीज़ को इस कानून में ला देंगे और मुलजिम को जो आज हक है उसको हटा देंगे तो लोगों पर बड़ा भारी जब्र होगा। इसका नतीजा यह होगा कि कोई मुलजिम अपने आपको डिफेंड नहीं कर सकेगा।

†**श्री बर्मन :** जिन देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां क्या होता है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने सारे मुल्कों के कवानीन नहीं देखे हैं लेकिन अगर किसी मुल्क के कानून में यह स्पिरिट नहीं है तो मैं कहूंगा कि वहां पर मुलजिम को उसका जायज हक नहीं मिला है।

मैं जनाब की तवज्जह दफा १६१ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके मातहत पुलिस बयान लेती है। सन् ५२ के पहले कानून में यह लिखा था कि जो बयान पुलिस को दिया जाये वह सच होना चाहिये। लेकिन बाद में लफ्ज़ "ट्रूली" हटा दिया गया। हर एक शख्स को अख्तियार है कि वह ऐसा बयान दे कि पुलिस के सामने सारा मामला आ जाये, वह बगैर किसी डर के अपना बयान दे सके। आज अगर कोई पुलिस के सामने गलत बयान दे तो क्या उसको सजा हो सकती है। कोई भी शख्स अगर पुलिस के सामने झूठ बयान देता है तो उसको सजा नहीं हो सकती। इसी तरह से मुलजिम कोर्ट के सामने अपने को बचाने के लिये कोई भी बयान दे सकता है। फर्क कीजिये लफ्ज़ "फाल्स" न हो तो क्या फर्क पड़ता है। मुलजिम को पूरा पूरा हक है कि वह कोई बयान दे सकता है लेकिन वह उसके लिये किसी सजा का मस्तूजिब नहीं है। यह तय करने के लिये कि यह बयान फाल्स है आपको बीच में दूसरा मुकदमा चलाना होगा। एक मुकदमे के फैसले होने में तो इतना वक्त लगता है, अगर यह दूसरी तहकीकात शुरू कर दी जायेगी तो कितना वक्त लगेगा। मेरे लायक दोस्तों ने जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है उनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि अगर मुलजिम झूठा बयान देता है तो उसको सजा दे दो। कानून में यह कहा गया है कि :

'यदि वह झूठी गवाही देगा तो दण्ड का भागी नहीं होगा।'

अगर इन अल्फाज़ को निकाल दिया गया तो इसका नतीजा यह होगा कि कोई बयान जो उसने अदालत के सामने दिया अगर वह बाद में गलत साबित होता है तो उसको सजा हो सकती है। यह कानून इतने वर्षों से चला आ रहा है और इसका सही तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मैं समझता हूं कि आज इतने वर्षों के बाद यह सजेस्ट करना कि एक्यूज्ड को यह राइट न रहे, ठीक नहीं होगा। मुलजिम का यह राइट है कि वह कोई भी बयान दे सकता है उसके लिये उसे सजा नहीं दी जा सकती। पुलिस के सामने मैं या मेरे लायक दोस्त कोई भी बयान दे सकते हैं, उस बयान के लिये उनको सजा नहीं दी जा सकती। यह पालिसी आफ ला ऐसी है कि इसके नीचे बड़े बड़े उसूल छिपे हुये हैं। उनकी तरफ मूवर साहब तवज्जह दें। सिर्फ इन अल्फाज की तरफ तवज्जह न दें। इस वास्ते मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है। गो कि यह अल्फाज मुझ को भी चुभते हैं लेकिन मैं इनको हटाने के हक में नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि कानून इस तरह का हो जाये कि अगर मुलजिम कोई बयान करे जो कि बाद में गलत साबित हो तो उसको उसके लिये सजा दी जा सके। यह अच्छी बात है कि अदालतों के सामने वही बात कही जाये जो कि सही है लेकिन लोगों में यह मेंटेलिटी लाने के लिये दूसरी तरकीबें हैं। लेकिन

---

†मूल अंग्रेज़ी में

यह तरीका तो मिसकंसीव्ड है । जिस वक्त डा० काटजू के सामने यह चीज़ पेश की गई थी उस वक्त इसीलिये इसको मंजूर नहीं किया गया । इन अल्फाज़ का रहना हमको भी जाहरा तौर पर बुरा लगता है लेकिन मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि इनको हटा दिया जाये ।

जहां तक मेरे लायक दोस्त के दूसरे प्वाइंट का सवाल है मैं समझता हूं आनरेबिल मिनिस्टर साहब की स्पीच के बाद वह महसूस करेंगे कि उसको जोर के साथ प्रेस न किया जाये । जहां तक दफा ५६२ का ताल्लुक है कानून यह है कि मजिस्ट्रेट को हक है कि वह सारे सरकमस्टेंसेज़ को देखे और यह भी एक सरकमस्टेंस हो सकता है कि उसने सच बोला हो । यह सरकमस्टेंस मुलजिम के हक में जा सकता है । लेकिन अगर आपने कानून में यह तबदीली कर दी तो नतीजा यह होगा कि जिन्होंने कसूर नहीं किया है वे भी कनफैशन करने के लिये तैयार हो जायेंगे । आप जानते हैं कि मुलजिम की मेंटेलिटी यह होती है कि कोर्ट में फायदा उठाये । अगर यह तबदीली कर दी गई तो हर मुलजिम ५६२ में बयान देना शुरू कर देगा । इसलिये मैं समझता हूं कि ठीक है कि इस सरकमस्टेंस का लिहाज रखा जाये । मैं समझता हूं कि दफा ५६२ में इन अल्फाज़ को दाखिल नहीं करना चाहिये । पहले भी मेरे लायक दोस्त ने यह तबदीली करानी चाही थी लेकिन हाउस ने उसको मुनासिब नहीं समझा । इसलिये मैं समझता हूं कि इस वक्त भी इस तरमीम को करने की ज़रूरत नहीं है । चूंकि आनरेबिल मिनिस्टर साहब चाहते हैं, इसलिये यह सर्कुलेशन के लिये जायेगा । हम अपने दोस्त की दाद देते हैं कि उन्होंने यह सोचा कि हमारे कानून में कोई ऐसी चीज़ न हो, जोकि किसी को अखरे, लेकिन अगर वह ज्यादा गौर से इसको देखेंगे तो यह रोशन हो जायेगा कि क्रिमिनल प्रोसीड्यर कोड की पालिसी दुरुस्त है कि किस तरह एक आदमी के खिलाफ शहादत दी जाती है, किस तरह बयान का हक दिया गया है, यहां तक कि सेशन कोर्ट में दफ़ा २८७ के मातहत एक्यूज्ड का बयान एविडेंस बन जाता है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इनके पीछे बे ज़ोर के प्रिन्सपल्ज़ पिन्हा (मिले जुले) हैं । मेरे दोस्त कहते हैं कि और मुल्कों में कानून के मुताबिक एक्यूज्ड को इस तरह का राइट नहीं है । मुझे तो इसका इल्म नहीं है । बेहतर होता कि अगर वह दिखाते कि किस मुल्क में इस तरह का लेटिच्यूड नहीं है । मैं इसके हक़ में नहीं हूं, गो कि मैं उस वजह की दाद देता हूं, जिसके बेसिस पर मेरे दोस्त इस बिल को यहां लाये हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भय है कि मैं इस बिल का कतई समर्थन नहीं कर सकता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बिल को कतई नागरिकों की राय जानने के लिये न भेजा जाय । उसके कुछ कारण हैं । जो बातें अभी यहां बताई गई हैं, उनके अतिरिक्त यदि आप देखें, तो धारा ३४२(३) में कहा गया है—"अभियुक्त द्वारा दिये गये उत्तरों पर, ऐसी जांच अथवा मुक़दमे में विचार किया जा सकता है और उनका किसी अन्य अपराध के सिलसिले में, जिसका पता उसके लिये दिये गये उत्तरों से चला हो, होने वाली दूसरी जांच अथवा मुक़दमे में उसके पक्ष अथवा विपक्ष में प्रयोग किया जा सकता है ।"

प्रस्तावक महोदय उपधारा (२) में से ये शब्द हटा देना चाहते हैं—

"अथवा उनके झूठे उत्तर देने पर"

लेकिन उसके आगे उपधारा (३) में जो यह कहा गया है कि "अपराधी द्वारा दिये गये उत्तरों पर विचार किया जा सकता है" उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब उपधारा (२) में से "अथवा उनके झूठे उत्तर देने पर" शब्दों को हटा दिया जायगा, तो फिर उपधारा (३) में आन्सर का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिये उस में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है । उसके बारे में प्रस्तावक महोदय ने कोई सुझाव नहीं रखा है ।

इसके अतिरिक्त हमारे कानून में यह व्यवस्था की गई है कि अभियुक्त को इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिये कि वह जो कुछ कह रहा है, उसके आधार पर उसके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। यह कहने का क्या नतीजा निकलेगा कि अगर उसने फ़ाल्स आन्सर दिया, तो उसके खिलाफ़ कार्यवाही हो सकती है? इससे पहले धारा ३४२(१) में लिखा हुआ है

"न्यायालय कभी भी बिना कोई चेतावनी दिए"।

धारा ३४२ में अभियुक्त से जो सवाल किया जाता है, उसमें यह जरूरी नहीं है कि पहले अभियुक्त को मालूम हो कि कब अदालत सवाल पूछने जा रही है। ट्रायल चलने के दौरान में अचानक, किसी भी वक्त, अदालत उस से सवाल कर सकती है और इसमें अभियुक्त को किसी वार्निंग की जरूरत नहीं है। अभियुक्त यह सोच कर जाता है कि आज उसके खिलाफ़ एविडेंस होगी, लेकिन अदालत ने उससे सवाल पूछ लिया। उसकी पहले से कोई तैयारी नहीं है और अगर गलती से कोई बात उसके मुंह से निकल गई, तो नतीजा यह होगा कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ़ यह कह कर कि अदालत में असत्य-भाषण बन्द हो, कानून में परिवर्तन कराने की बात उचित नहीं है। यह तो सभी चाहते हैं कि अदालतों में असत्य-भाषण कम हो, लेकिन उस का यह तरीका कतई नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि कुछ माननीय वक्ताओं ने कहा कि दूसरे देशों में कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि जिन देशों के कानून के आधार पर हमारा यह कानून बनाया गया है, वहां भी इस तरह की व्यवस्था होगी, हालांकि मैं इस के बारे में जानता नहीं हूं। अच्छा होता कि जिन वक्ता महोदयों ने यह बात कही है, वह सम्बन्धित कानून ढूंढ कर लाकर दिखा देते कि उन में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस देश से हमारा यह कानून नकल किया गया है, वहां भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये। आखिर इसका असूल क्या है? उसूल यह है कि मुलज़िम को पूरा विश्वास रहे कि इस तरह के प्रश्न करने से उसकी कोई हानि होने वाली नहीं है, तो कानून का जो एक खास उद्देश्य है कि जब तक मुलजिम को सजा न हो जाय, तब तक वह निरपराध समझा जायगा, वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। यह ठीक है कि मूवर महोदय को इस बात का बहुत उत्साह है कि अदालत में असत्य-भाषण कम हो, लेकिन उसके साथ ही उन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि कानून का जो उद्देश्य है, वह कहीं नष्ट न हो जाय।

जहां तक धारा ५६२ में तरमीम का संबंध है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि वह तो बिल्कुल ही एक ऐसी चीज़ है, जिसका यहां कोई स्थान नहीं है। आखिर धारा ५६२ में अदालत क्या देखती है? अदालत देखती है —

> "अपराधी की आयु, चरित्र, उसका पुराना रिकार्ड और उन परिस्थितियों को जिनमें जुर्म किया गया हो।"

और वह यह बात कब देखती है? जब वह इस विश्वास पर पहुंच गई कि मुलज़िम को सज़ा करनी है। जब सज़ा करने की बात आ गई, तो अदालत यह देखती है, उससे पहले नहीं। तो क्या सज़ा देने की बात आने के बाद मुलज़िम से यह पूछा जायगा कि तुम ने पूरा ट्रू स्टेटमेंट दिया है या नहीं और कुछ कनसील तो नहीं किया है? जब अदालत इस निर्णय पर पहुंच गई कि मुलज़िम को सज़ा करनी है, तब उसे यह सोचना पड़ेगा कि उसको धारा ५६२ में छोड़ा जा सकता है या नहीं। जब अदालत के सामने इन सब बातों का ध्यान रखने की बात है, तो फिर इन शब्दों को—"और अपराधी के बिना कुछ छिपाये सच बात कहने पर"—जोड़ने के मायने ये हैं कि फिर से ट्रायल की जाय, इन्क्वायरी की जाय, जिस में यह पता लगाया जाय कि मुलज़िम कुछ छिपा तो नहीं रहा है, या असत्य-भाषण तो नहीं कर रहा है। यह तो बिल्कुल मुकदमे को बढ़ाने की बात है। इन शब्दों की कोई जरूरत नहीं है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह बात कैसे कह दी गई कि इस कानून को हम मुल्क में राय जानने के लिये भेजना चाहते हैं । इस कानून में तो ड्राफ्टिंग की गलतियां हैं । लोग यह सोचेंगे कि हमारे सर्वसत्ता-प्राप्त सदन में इस पर चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने धारा २ में संशोधन करने के साथ ही धारा ३ को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं की है । मैं नहीं समझता कि इसके बारे में राय जानने से कोई फायदा हो सकता है । अगर गृह मंत्रालय यह समझता है कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये, तो जैसे अन्य प्राइवेट बिलों के वक्त अक्सर यह कह दिया जाता है कि हम इस पर विचार करेंगे, ला कमीशन विचार करेगा, गृह मंत्रालय विचार करेगा, वैसे ही अब भी गृह मंत्रालय इस को देख ले और अगर कोई आवश्यकता हो, तो संशोधन कर दे । लेकिन असूली तौर पर इस में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । अगर इस बिल को मुल्क की राय जानने के लिये भेजेंगे, तो इसके नतीजे ये होंगे कि न सिर्फ़ लोग यह समझेंगे कि गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से देखने की कोशिश नहीं की कि यह बिल क्या है , बल्कि वे यह भी ख्याल करेंगे कि हिन्दुस्तान के इस सर्वसत्ता-प्राप्त सदन ने भी यह देखने की कोशिश नहीं की कि इस में क्या लिखा हुआ है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का सख्त विरोध करता हूं ।

श्री प्र० सि० दौलता (झज्जर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो दलीलें पहले दी जा चुकी हैं,उनके अलावा मैं कोई नई दलील नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस बिल का बिल्कुल मुखालिफ़ हूं । पिछले कुछ बरसों से यह देखा जा रहा है कि हमारे जाब्ता फौजदारी में मुलज़िम को जो हकूक दिये गये थे, उनको धीरे-धीरे कम किया जा रहा है । हममें से जिन लोगों को फौजदारी की अदालतों का तजुर्बा है, उन को शिकायत है कि पहले जो तरमीमात हुई हैं, उनसे मुलज़िम के हकूक पर बड़ी भारी चोट पड़ी है । उससे जिरह का हक छीन लिया गया है । अब तक दो दलीलें दी गई हैं इस बात की कि इस में क्यों तरमीम की जाय । यह कहा गया है कि दूसरे मुल्कों में इस किस्म का कानून नहीं है । मै समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि अगर हमारे मुल्क में कोई अच्छी बात हो और दूसरे मुल्कों में न हो तो, इसलिये हम को भी अपनी अच्छी बात खत्म कर देनी चाहिये । दूसरे मुल्कों को हम से सबक हासिल करना चाहिये । उनको भी अपने मुलज़िम को वह हक देना चाहिये, जोकि हम ने दे रखा है । यह जरूरी नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों की नकल करें । इस तरमीम के बाद जो पिछले बरसों में हुई है, मुलज़िम विटनेस बाक्स में आ सकता है, ओथ पर स्टेटमेंट दे सकता है, रिस्क ले सकता है और रिस्क लेने की उसको अपरचुनिटी दे दी गई है । इन हालात में ये दोनों दलीलें कि दूसरे मुल्कों में यह बात नहीं है या यह बात कि मुलज़िम के बयान को अदालतें कुछ अहमियत नहीं देती है, गलत हैं । जहां तक हमारे मुल्क के जाब्ता फौजदारी का ताल्लुक है उसमें यह बड़ी भारी तारीफ की बात है कि हमारे यहां मुलज़िम को ऐसे-ऐसे हकूक दिये गये हैं जोकि दूसरे मुल्कों के कानूनों में नहीं दिये गये हैं । मैं समझता हूं यह तारीफ की बात है, शर्म की बात नहीं । खास तौर पर सियासी नौइयत्त के जो मुकदमे आयेंगे उनमें अगर यह मान लिया गया कि मुकदमा झूठा है तो दूसरा मुकदमा भी बन सकता है । खास तौर पर विंडिक्टिव केसिस में बेचारे को एक-एक नहीं तीन-तीन भुगतने पड़ेंगे ।

इन अलफाज़ के साथ मैं इस बिल के सर्क्युलेशन का जो सुझाव है उसकी मुखालिफत करता हूं क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि मुलज़िम को जो हकूक दिये गये हैं, उनको उससे छीना जाये । साथ ही साथ जो बिल पेश किया गया है, मैं उसके भी सख्त खिलाफ हूं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

†**श्री सुबिमन घोष** (बर्दमान) : श्रीमान् मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा अपराधी का एक मूल्यवान अधिकार समाप्त हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिये किसी पर हत्या का अपराध लगाया गया है और जब धारा ३४२ के अन्तर्गत उसकी जांच होती है तो वह कहता है कि मैं निर्दोष हूं, परन्तु अन्त में उसको दण्ड दिया जाता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८२ अथवा १९३ के अधीन उसके खिलाफ़ कार्यवाही नहीं की जायेगी। अभियुक्त को और ज्यादा दण्ड देने या परेशान करने से बचाने के लिये ही यह व्यवस्था इसमें रखी गई है।

इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में दिया है कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने इसको केवल इसलिये प्रस्तुत किया है कि न्यायालयों में झूठी गवाही देना समाप्त हो जाये। मेरा विचार है कि इस संबंध में प्रारम्भ अपराधी से नहीं किया जाना चाहिये। यह व्यवस्था इसलिये है कि कहीं ऐसा न हो कि अपराधी को अपराध के लिये भी दंड मिले तथा उसके द्वारा दिये गये वक्तव्य के लिये भी उसको दण्डित किया जाये।

धारा ५६२ के संशोधन के बारे में मेरा यह कहना है कि यह बिल्कुल अनावश्यक है। इसका कौन निर्णय करेगा कि वह सच बात ही कह रहा है। न्यायालय किस प्रकार कह सकता है कि सच बात ही कही जा रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक का विरोध किया जाये।

†**श्री रघुवीर सहाय** : मेरे अतिरिक्त लगभग दस सदस्यों ने इस विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लिया है और मुझे प्रसन्नता है कि उनमें से ७ ने इसका समर्थन किया है। माननीय मंत्री का विचार भी मुझे कुछ इसके समर्थन की ओर ही लगा। मैं समझता हूं कि जो परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यह ठीक ही है कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर विशेषज्ञों की, जैसे उच्च न्यायालयों, राज्य सरकारों, बार एसोसियेशनों आदि की राय ली जाये। मैं आशा करता हूं कि ३१ दिसम्बर, १९५८ तक उच्चतम न्यायालयों, राज्य सरकारों, बार एसोसियेशनों की राय जानने के पश्चात् वह सभी राय सभा-सदों को दिखाई जायेंगी और मैं विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकूंगा।

अन्त में, और कुछ न कह कर मैं इतना कहना पर्याप्त समझता हूं कि श्री श्री नारायण दास के द्वारा प्रस्तुत जनता की राय जानने के प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर ३१ दिसम्बर, १९५८ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(धारा ५५-क, ८२ और ११६-क का संशोधन)

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसा करने के दो तीन उद्देश्य हैं। विभिन्न राज्यों में १९५७ के आम चुनाव के पश्चात् जो चुनाव याचिकायें आई हैं, उन से पता चलता है कि इस अधिनियम में १९५६ में जो संशोधन किया गया था उससे काम नहीं चला। धारा ९०(६) में जो व्यवस्था है कि प्रत्येक चुनाव याचिका का निर्णय ६ मास के भीतर हो जाना चाहिये, वह प्रायः अस्तित्वहीन ही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ में पारित हुआ था और इसके अन्तर्गत बहुत सी बातें हैं परन्तु मैं चुनाव विवादों तक ही सीमित रहूंगा। उपबन्ध यह है कि चुनाव विवादों को चुनाव न्यायाधिकरण के सुपुर्द किया जाय। चुनाव याचिकाओं के निबटाने के कार्य को शीघ्र किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं विधि मंत्रालय द्वारा दिये गये आंकड़े प्रस्तुत करूंगा जो मेरे प्रश्नों के उत्तरों में सभा में ही बताये गये थे।

तारांकित प्रश्न संख्या २४० दिनांक १८-२-५८ के उत्तर में विधि मंत्री ने बताया कि न्यायाधिकरण के सुपुर्द की गयी चुनाव याचिकायें की संख्या लोक-सभा की ५७ और राज्य विधान मंडलों की ३९८ है। इनमें से क्रमशः २८ और १७७ लम्बित हैं। लोक-सभा के तीन और विधान मंडलों के ३५ मामलों को अवैध घोषित किया गया। उस समय ३६ याचिकायें उच्च न्यायालयों के समक्ष थीं। उच्चत्तम न्यायालयों के समक्ष कोई याचिका नहीं थी।

१८ अगस्त, १९५८ को मेरे तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर में विधि मंत्री ने कहा कि १-८-५८ को १३ राज्यों और कुल ४ क्षेत्रों में निम्न स्थिति थी। चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा निबटायी गई लोक-सभा संबंधी चुनाव याचिकाओं की संख्या ३७ और विधान मंडलों की ३१७ थी। लम्बित याचिकाओं की संख्या १००। उच्च न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं की संख्या ४८, उच्चत्तम न्यायालय के समक्ष लम्बित याचिकाओं की संख्या ८ थी। छः मास में चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा कुल निबटाई गयी चुनाव याचिकाओं की संख्या १५८ थी। सभा को पता है कि कानून के अनुसार याचिकाओं को निबटाने में छः मास से अधिक समय नहीं लगना चाहिये। इस उच्च न्यायालय में तीन मास से अधिक नहीं लगाना चाहिये। परन्तु वहां अभी तक केवल १०३ का निबटारा हुआ। लोक सभा के अवैध चुनावों की संख्या २ और विधान मंडलों की ५०; कुल योग ५२ है। १८ मास के पश्चात् १५६ याचिकायें अभी भी न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं। तात्पर्य यह कि आम चुनावों के बाद दी गयी चुनाव याचिकाओं में से एक तिहाई का अभी तक कोई निबटारा नहीं हो पाया है। इस संबंध में उत्पन्न कुछ कठिनाइयों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं।

मूलतः उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई थी। न्यायाधिकरण का निर्णय के बाद मामलों को संविधान के अनुच्छेद १३६ के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। १९५६ में किये गये संशोधन द्वारा अपील का उपबन्ध कर दिया गया। न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। परन्तु ब्रिटेन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। वहां चुनाव न्यायालय के अधिकार उच्च न्यायालय के बराबर होते हैं। उच्च न्यायालय की विशेष अनुमति से अपील की जा सकती है और अन्ततः इस अपीलीय अदालत का निर्णय अन्तिम होता है। परन्तु हमारे यहां न्यायाधिकरण के निर्णय की अपील की जा सकती है।

दूसरी बात यह है कि इन याचिकाओं के सम्बन्ध में निर्णय होने में बहुत ही अधिक समय लग जाता है। एक एक वर्ष तक मामला चलता रहता है। विधि मंत्रालय को चुनाव न्यायाधिकरणों को यह निर्देश देना चाहिये कि उन्हें इन मामलों में शीघ्रता से काम लेना चाहिये। उसके अतिरिक्त मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति एक बार चुनाव से विमुख हो जाये तो याचिका संबंधी मामले में उसको परीक्षण में सम्मिलित न किया जाये। यही मुख्य बात है जिसकी ओर मैं मंत्रालय

और सभा का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। क्योंकि इस प्रकार के मामलों में बहुत ही भ्रष्टाचार चलता है। मैं चाहता हूं कि मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या इस के लिये संशोधन अपेक्षित नहीं ? वह तो सविस्तार स्थिति को जानते हैं यदि उन्होंने चाहा तो वह उपबन्धों में अन्य संशोधन भी कर सकते हैं।

अतः मैं खंड १, २ और ३ पर जोर दूंगा और उसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। खंड ४ के सम्बन्ध में मुझे पहले ही भय था कि यह संविधान के विरुद्ध जायेगा। परन्तु मैंने इसको इस लिये सम्मिलित किया है ताकि इस बारे में कुछ आश्वासन प्राप्त किया जा सके। अन्यथा मैं इस पर अधिक जोर नहीं देता। उच्चतम न्यायालय तक हम प्रत्येक बात को नहीं ले जा सकते। कई मामलों में चुनाव को दी गयी चुनौती तो उचित ही होती है, परन्तु देरी से अनावश्यक परेशानी होती रहती है। स्पष्ट तौर पर यह व्यवस्था कर दी गयी है कि न्यायाधिकरण को ६ मास के भीतर अपना निर्णय दे देना चाहिये परन्तु १८ मास व्यतीत होने पर एक तिहाई मामले ऐसे ही पड़े हैं। उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय में पड़े हुये मामलों को तो मैं अभी हाल छोड़ ही देता हूं चुनाव न्यायाधिकरणों के मामलों का यह हाल है। क्या हम चाहते हैं कि यह अवस्था जारी रहे? ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। अतः मैं मंत्री महोदय से इस प्रकार का संशोधन लाने को कहूंगा, और मेरे खंड १, २ और ३ प्रस्तुत हैं। इन से दोष दूर हो जायेंगे और जितना भी सम्भव होगा मामलों का निर्णय शीघ्र हो जाया करेगा।

चुनाव याचिकाओं की एक और छानबीन होनी चाहिये। अमीर आदमी तो चुनाव याचिका प्रस्तुत कर देता है। उसके पास उच्च न्यायलयों और उच्चतम न्यायालय में पहुंचने के लिये खर्चे के साधन होते हैं। चुनाव आयोग के पास कोई ऐसी मशीनरी होनी चाहिये कि वह छानबीन करके देख ले कि याचिका की अनुमति देनी चाहिये कि नहीं। अन्यथा सारी बात मज़ाक बन कर रह जायेगी।

८ वर्ष के अनुभव के बाद मैं निवेदन कर रहा हूं कि कुछ पुनरीक्षण आवश्यक हैं। इसी भावना से इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है कि मंत्री महोदय इस पर साहनुभूतिपूर्ण रूप में विचार करेंगे।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** (औरंगाबाद-बिहार) : क्या माननीय प्रस्तावक खण्ड ४ में रूचि नहीं रखते और क्या वह उस पर आग्रह नहीं करते ?

†**सभापति महोदय :** उन्होंने यह कहा है कि मैं खंड ४ पर आग्रह नहीं करूंगा।

†**श्री श्री नारायण दास :** (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर ३१ दिसम्बर, १९५८ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।"

इस विधेयक से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के चुनाव याचिका संबंधी पहलू पर विचार हो सकेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत बहुत सी याचिकायें प्रस्तुत की गई थीं।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : श्रीमान् मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि खंड ४ ही इस में से बाहर रख लिया गया तो विधेयक में रह क्या जायेगा। शेष खंडों में तो केवल परिभाषायें ही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** यह कोई प्रश्न नहीं है। विधेयक के चार खंड हैं। एक खंड पर वह आग्रह नहीं करना चाहते ; शेष तीन खंड तो हैं ।

†**श्री श्री नारायण दास :** मैं कह रहा था कि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार चुनाव याचिकाओं के निपटारे में बहुत समय लग जाता है। बहुत से मामले अभी तक न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं ।

प्रथम निर्वाचनों के पश्चात प्राप्त अनुभव के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया था । यह हिदायतें दे दी गई थीं कि चुनाव याचिकाओं का निर्णय ६ मास के भीतर अवश्य ही हो जाना चाहिये। किन्तु अनुभव ने बताया है कि ऐसा नहीं हो सका । क्योंकि लोग अपील कर देते हैं। अतः संसद को सारी स्थिति का पुनर्रीक्षण करना चाहिये। यदि बीच में कोई संवैधानिक अड़चन हो तो उसे भी निकाल देना चाहिये।

संविधान के अनुच्छेद ३२७ के अधीन संसद को ही यह विधि बताने का अधिकार है। अतः मैं यह कहूंगा कि संसद में सदस्यों के चुनाव के मामलों में हस्तक्षेप करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति को थोड़ा कम किया जाना चाहिये । मेरा यह आशय नहीं है कि न्यायालयों ने ठीक कार्यवाही नहीं की—नहीं उन्होंने ठीक निर्णय दिये हैं किन्तु इस प्रक्रिया से विलम्ब बहुत हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद ३२९ से सम्बन्धी किसी भी मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते यद्यपि पुरातन अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि चुनाव सम्बन्धी मामले उच्च न्यायालयों में नहीं जायेंगे किन्तु उच्च न्यायालय इस से सहमत न थे और उन्होंने कतिपय मामलों को गृहीत किया। यदि उच्च न्यायालयों के निर्णयों की अपील उच्चतम न्यायालय में न हो तब विभिन्न उच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के निर्णय देंगे और यह पता ही न लग सकेगा कि कौन सा निर्णय ठीक है। अतः इस अधिनियम को पुनः देखा जाना चाहिये। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना भी करूंगा कि कौन सा संवैधानिक उपबन्ध मामलों के शीघ्र निपटारे में अड़चन बनता है।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजार नवीस) :** कोई भी नहीं।

†**श्री श्री नारायण दास :** हम न्यायालयों के लेख ग्रहण करने के अधिकार पर तो कोई आपत्ति नहीं कर सकते । किन्तु शीघ्र निपटारे के लिये हमें न्यायालयों की इस सम्बन्ध की शक्ति कम करनी चाहिये। संविधान के अनुच्छेद १३२, १३६, २२६, २२७ तथा २२९ के साथ यह परन्तुक होना चाहिये कि ये शक्तियां संसद संबंधी चुनावों पर न लगेंगी।

†**श्री हजार नवीस :** मैं समझता हूं एक बार तो माननीय सदस्य ने यह कहा है कि हमें उच्चतम न्यायालय में अपील का अधिकार मिलना चाहिये इस लिये इस की व्यवस्था होनी चाहिये। अब वह चाहते हैं कि सारी शक्तियां ही न्यायालयों से ले ली जांयें। अतः वह क्या चाहते हैं ?

†**श्री श्रीनारायण दास :** मैं यह चाहता हूं कि संविधान में चुनाव सम्बन्धी जो विभिन्न व्यवस्थायें हैं उन से परन्तुक भी लगा दिये जायें और कतिपय मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था रखी जाये।

पहली बार जब हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया तब उस में धारा ५५ क को रखा गया था। उसके अनुसार एक सदस्य चुनाव के पहले चुनाव से आ सकता था। किन्तु यह धारा ५२ के प्रयोजन के लिये ही समझ लिया गया। एक उच्च न्यायालय ने यह कहा कि धारा ५२ के प्रयोजन के लिये तो वह उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा किन्तु धारा ८२ के प्रयोजन

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये वह चुनाव लड़ रहा है। दूसरे राज्य के न्यायालय ने इस के विपरीत निर्णय दिया। अतः मैं समझता हूं कि इस धारा को हटा देना ही ठीक होगा क्योंकि दूसरी आवश्यकता ही नहीं है।

इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग ने भी एक प्रतिवेदन तैयार किया है। सरकार को उसका अध्ययन करने के वर्तमान स्थिति में सुधार करना चाहिये। जो त्रुटियां इस में हैं उन्हें निकाल दिया जाये।

†**सभापति महोदय** : संशोधन सभा के समक्ष है।

†**श्री आचर** (मंगलौर) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि जब वह सम्पूर्ण विधेयक को पुरस्थापित कर चुके हैं तो वह विधेयक पर विचार करने के समय यह कहे कि खण्ड ४ पर मैं अग्रह नहीं करता।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य दूसरे शब्दों में यह कह रहे हैं कि या तो विधेयक पर पूर्ण रूप से विचार हो या फिर हो ही न। इस प्रकार की स्थिति पहली बार तो उत्पन्न नहीं हुई। ऐसी सभा की पुरानी प्रथा है। वास्तव में खण्ड ४ स्वतंत्र खण्ड है अतः उसे वह छोड़ भी सकते हैं। उन्हें इस खण्ड पर बोलने का अधिकार भी न होगा। यह साधारण प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : अब इस स्थिति में जब कि पुरातन विधि के अन्तर्गत बहुत से झगड़े चले आ रहे हैं और याचिकायें न्यायालयों के समक्ष हैं यह ठीक एवं वांछनीय नहीं है कि विधि को बदल दिया जाय। अतः मैं सैद्धान्तिक आधार पर इस विधेयक का विरोध करता हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि श्री तंगामणि के इस बिल से हम को अपने चुनाव कानून पर कुछ चर्चा करने का मौका मिला है। जहां तक कनटेस्टिंग केन्डीडेट की परिभाषा बदलने का सवाल है, मैं समझता हूं कि यदि पुराने कानून में धारा ५५ ए रहे, तो फिर इस परिभाषा को बदल देना उचित ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी आज की परिस्थितियों में यह उचित है कि हम चुनाव से दस दिन पहले तक किसी उम्मीदवार को यह मौका दें कि वह कनटेस्ट से बाहर हो जाये, रिटायर हो जाये। वर्तमान कानून में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव से दस दिन पहले रिटायर हो सकता है और उस के बाद उस का नाम कनटेस्टिंग केन्डीडेट्स में नहीं रह जायेगा। सवाल यह है कि जो आदमी असेम्बली या पार्लियामेंट के लिये चुने जाते हैं, हम उन को मौका दें कि वे वहां जाकर कुछ काम करें या चुने जाने के बाद फिर चुनाव पेटीशन लड़ते रहें और जिस काम के लिये वे भेजे गए हैं, उस में वे अपना पूरा वक्त न दे सकें। वर्तमान कानून की इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बहुत सी इलेक्शन पेटिशन्ज़ चलती हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई पेटीशन न चले, लेकिन हम को इस तरह के उसूल निर्धारित करने पड़ेंगे, इस तरह के सिद्धांत तय करने पड़ेंगे, जिन के आधार पर इलेक्शन पेटीशन चल सकें, लेकिन मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमें इस तरह के सिद्धान्त निर्धारित करने चाहियें, जिस से कम से कम इलैक्शन पेटीशन्ज़ (याचिकायें) चल सकें। हमारे देश में जन तंत्र है, सब से बड़ी सत्ता जनता की है। जनता एक निर्णय देती है और जो सदस्य चुना जाता है वह पार्लियामेंट में पहुंचता है। उसके बाद किसी कानूनी दिक्कत की वजह से जनता के इस निर्णय को बदलवाने का मौका नहीं रहना चाहिये। अगर कानूनी दिक्कत की वजह से जनता के निर्णय को बदला जाता है तो यह जनतंत्र को शोभा नहीं देता है मेरा कहना यह नहीं है कि जो कोरप्ट प्रेक्टिसिस की जाती हैं, उन कोरप्ट प्रेक्टिसिस की बिना पर कोई भी चुनाव अवैध घोषित न किया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

जाए। इस तरह के चुनाव अवैध घोषित किये जाने चाहियें। लेकिन इन कोरप्ट प्रेक्टिसिस को आपको बहुत ही सीमित कर देना चाहिये और साफ कह देना चाहिए कि इन कोरप्ट प्रेक्टिसिस के अलावा और कोई कोरप्ट प्रैक्टिसिस नहीं होगी। इन के अलावा और किसी पर भी चुनाव पेटिशंस दाखिल नहीं की जा सकेंगी। वर्तमान कानून की धारा ५५ ए में चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था की गई है। इस कानून में कहा गया है कि कोई भी आदमी चुनाव के लिये खड़ा हो सकता है। हर वोटर को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। जब ऐसी बात है तो लोगों के दिमागों में, वोटरों के दिमागों में यह बात साफ होनी चाहिये कि कौन कौन लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। श्री श्री नारायण दास ने सही कहा है कि ऐसे लोग हो सकते हैं जो सिर्फ चुनाव में इस लिए आ सकते हैं कि वे दस दिन पहले रिटायर हो जायें। आखिर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं जो देश की राजनीति में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनका पहले से कुछ काम हुआ करता है, कुछ नीति हुआ करती है, प्लान हुआ करता है, उन को क्या करना होता है, इसके बारे में उनका दिमाग साफ हुआ करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं होता है, जिन को विश्वास नहीं हो पाता कि आया वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं और जो बाद में रिटायर हो जाते हैं और शायद इसी उद्देश्य से खड़े होते हैं। इस तरह से दूसरे लोगों को और विशेष कर राजनीतिक विचार धारा रखने वाले लोगों को एक ठेस पहुंचती है। इस तरह से लोग दूसरों के दिमागों को दस दिन तक उलझाये रखते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि न वोटरों के दिमागों में ही एक निर्णयात्मक स्थिरता आ पाती है और न उम्मीदवारों के दिमागों में ही। उम्मीदवारों को पता नहीं चलता है कि किस विचारधारा वाले लोगों के खिलाफ उनको लड़ना है।

इस तरह से आप देखें कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जो दस दिन पहले रिटायर होते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य ऐसा नहीं कर सकता है। उन के अपने उसूल होते हैं, अपने नियम होते हैं जिन के मुताबिक उन्हें खड़ा होना पड़ता है तथा जिनका उन्हें पालन करना होता है। पार्टी का उन पर कंट्रोल भी होता है और वे पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। कुछ स्वतंत्र लोग होते हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं। अगर हम पिछली इलैक्शन के आंकड़े देखें तो हमें पता चलेगा कि काफी बड़ी तादाद में स्वतंत्र उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। आखिर ये स्वतंत्र उम्मीदवार मुल्क का क्या करेंगे, किधर इस को ले जायेंगे? मैं यह नहीं कहता कि उनको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। हमने अपने विधान में हर व्यक्ति को, जो कि वोटर है, अधिकार दे रखा है कि वह चुनाव में खड़ा हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक विचारधारा चले। आखिर हमारे यहां बहुमत की सरकार चलती है। जब यह बात है तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर अधिक स्वतंत्र लोगों को चुनाव लड़ कर आने का मौका मिलता है तो हम कानून में कुछ परिवर्तन करें या नहीं करें। मैं यह बात इस लिए नहीं कह रहा हूं कि वे चुनावों में चुनकर न आवें। जो लोग जनता की सेवा करते हैं वे अवश्य आवें। लेकिन हम इस तरह की बात कभी न होने दें जिस में कि उन के दिमागों में यह साफ न हो पाये कि आया उन्हें चुनाव लड़ना भी है या नहीं। जो पार्टियां होती हैं, उनका चुनाव मैनिफैस्टो होता है, उन के कुछ नियम होते हैं, उनके सदस्यों में अनुशासन की भावना होती है। जब ये सब बातें होती हैं तभी वे चुनाव लड़ सकती हैं अन्यथा एक पार्टी को पार्टी ही नहीं कहा जा सकता है। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं ला मिनिस्टर महोदय से कि जो कानून है उस पर पूरे तरीके से विचार करने जब वह बैठें तो श्री तंगामणि के इस बिल पर भी वह विचार करें। मैं चाहता हूं कि वह गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार करें कि आया इस तरह की धारा को रखने की आवश्यकता है या नहीं जिस में कि उम्मीदवार बाद में रिटायर हो। नाम वापिस लेने के बाद फिर इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि कोई उम्मीदवार रिटायर हो।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। पेटिशंस दाखिल करने के जो आधार हैं, जो ग्राउंड्स हैं, उन को भी कुछ सीमित कर दिया जाना चाहिये। जब जनता अपना निर्णय दे देती है तो कानून की भुलभुलैयों में पड़ कर, कानून के झमेले में पड़ कर, उसको पलटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर हम जनतंत्र को पनपाना चाहते हैं तो जनता के निर्णय को बैकडोर से बदलवाने की कोशिश नहीं होनी चाहिये और इस काम में कानून को सहायक नहीं बनाना चाहिए। मेरा इरादा यह बात कहने में यह नहीं है कि मैं अदालतों की निष्पक्षता में विश्वास नहीं करता या मैं उनका अपमान करता हूं या कोई अपमानजनक बात कहता हूं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लेकिन सब से बड़ा आदर आम जनता का होना चाहिए, जो जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, उसका होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कानून मंत्री इस पर भी विचार करें कि इस चुनाव में कानून इस तरह के किसी परिवर्तन की भी आवश्यकता है या नहीं। जिन आधारों पर चुनाव पेटिशंस हो सकती है, उन को सीमित करने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इसी बिल को स्वीकार करना है तब तो उस में जो कानूनी दिक्कत रह जाती है उसको भी दूर करना होगा। कंटेस्टिंग कैंडिडेट कौन है, उस को साफ करने के लिए यह मुनासिब होगा कि हम जो रिटायर होता है, उसके बारे में एक साफ नीति अपनायें। अच्छी बात यह होगी कि रिटायर होने की बात को ही खत्म कर दिया जाए और यह विदड्राल तक ही सीमित रहे ताकि जो लड़ना चाहते हैं उनको भी पता हो कि फलां-फलां लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वे लोगों में जा कर अच्छी तरह से अपने कार्य को कर सकें तथा जनता की राय को अपने हक़ में कर सकें।

†**सभापति महोदय** : इस के लिये २ १/२ घण्टे का समय आवंटित था। अब धारा ११६ क को प्रस्तावक वापस ले चुके हैं इसलिये इस विधेयक पर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिये चर्चा पर्याप्त हो चुकी है। हां यदि कोई माननीय सदस्य बोलने के लिये ज्यादा आतुर हों तो मैं निसंदेह उन को बुलाऊंगा।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि वर्तमान कानून के तहत इलैकशंस हो चुके हैं और उनके नतीजे के तौर पर जो पैटिशंस दाखिल होनी थी वे दाखिल हो चुकी हैं और कुछ पर तो फैसले भी हो चुके हैं और बाकी जो बची हैं उन के बारे में भी जल्दी फैसले हो जायेंगे। बीच में ही कोई दूसरा काम करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। मैं खास तौर पर उस धारा का अवश्य विरोध करता हूं जो चाहती है कि इस बीच में ही नैया की डायरेक्शन बदले।

मैं समझ नहीं पाया हूं कि हमने जो इज़ाज़त दे रखी है कि अगर कोई चाहे तो दस दिन पहले विदड्रा अपना नाम कर ले, आया वह सही है या गलत है। यह सोचने वाली बात है। मैं ब्रजराज सिंह जी से इस बात में सहमत हूं कि एक लास्ट डेट मुकर्रर हो और उसके बाद बजाय इसके कि लोग कैंडिडेट्स को बिठाने में अपनी ताकत लगायें, वोटर्स के पीछे जायें। कैंडीडेट्स को बिठाने की परेशानी में उनको नहीं फंसना चाहिये। आम तौर पर यह होता है कि चाहे यह कोरप्ट प्रेक्टिस हो या न हो, बहुत से लोग इसी बात की कोशिश करते हैं कि किसी को बिठा दिया जाये ताकि वे आसानी के साथ ईलैक्शन लड़ सकें। जो अपोज़िशन वाले होते हैं वे आपस में सौदेबाज़ी करते हैं कि यहां पर तुम बैठ जाओ, वहां पर हम बैठ जायें, यहां तुम लड़ों, वहां पर हम लड़ें इत्यादि। इस तरह से होता यह है कि....

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : आपकी पार्टी वाले भी ऐसा करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

चौ० रणवीर सिंह : हो सकता है कि हमारे साथी भी ऐसा करते हों, इससे मुझे इन्कार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब के लिये बेहतर है कि एक दफा विदड्रा करने की जो तारीख है वह बीत जाय तो फिर बाद में किसी के लिये भी विदड्रा करने का सवाल पैदा न हो ताकि जिन को एलेक्शन लड़ना है वह और जो एलेक्टोरेट हैं वह दोनों कोई फैसला कर पायें। वरना आप जानते हैं कि कितना बड़ा हमारा देश है और इस देश के अन्दर बहुत से आदमी, ७०, ७५, ८० फीसदी आदमियों से भी ज्यादा ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े लिखे आदमियों में से भी बहुत थोड़े ऐसे हैं जो अखबार पढ़ते हैं। लोगों के पास खबरें पहुंचती ही नहीं, उनको यह भी पता नहीं लगता कि कौन उम्मीदवार है कौन नहीं। उस तारीख के खत्म होने के बाद भी मैं ने कई दफा ऐसा देखा है कि जब वोटर अपना वोट देने आता है तो उसको पता नहीं होता कि कौन उम्मीदवार है। वह तो सिर्फ पार्टी का नाम सुन कर आता है। इसी लिये जब पहले चुनाव हुए तो एलेक्शन कमीशन ने और इस हाउस ने ज़रूरी समझा था कि निशान लगाया जाय क्योंकि यह देश बहुत पढ़े लिखे लोगों का नहीं है और आदिमयों का नाम याद रखना आसान नहीं है। तो देश की तमाम मुश्किलात को समझ कर ही यह कानून बना था, उस को बदलने के लिये अब यह बिल आया है जिन आदमियों के पास अखबार नहीं पहुंचते, जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, जिन के पास रेडियो से सारी बातें जानने के साधन नहीं हैं, उन के हितों के खिलाफ यह बिल जाता है, क्योंकि कोई आदमी आपस में मिल कर तय कर लें और एक आदमी खड़ा रह जाय, बाकी हट जायें, तो यह अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं कि विदड्रा करने के लिये जो आखिरी तारीख रक्खी गई है, वह रहनी चाहिये।

हम जानते हैं कि जब हम इस बिल का विरोध करते हैं तो उस से हमारी पूरी दिक्कतें हल नहीं होतीं। इस लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं कि बेशक वह इस बिल की मुखालिफ़त करें, इसे गिरा दें, लेकिन और तब्दीलियां इस ऐक्ट में लाने के लिये वह कोई बिल ले आयें ताकि यह जो परेशानियां हैं वोटरों को भी और चुनाव लड़ने वालों को भी, वे दूर हों।

†**श्री हजार नवीस :** श्रीमान् मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का विरोध करता हूं किन्तु जो कई कठिनाइयां उन्होंने धारा ५५-क के संबंध में बताई हैं मैं उन्हें दूर करने का यत्न करूंगा। निर्वाचन आयोग को सदस्यों से भी ज्यादा कठिनाइयां हैं। मतशलाकायें प्रकाशित कराने का काम ही बड़ा जटिल है क्योंकि वे निर्णय ही नहीं कर सकते कि किन किन लोगों के लिये मत पड़ेंगे। अतः धारा ५५-क के मामले पर निर्वाचन आयोग स्वतः विचार कर रहा है।

हम शीघ्र ही सभा के समक्ष एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं और उसके भीतर हम सब आयुक्त बातें रखेंगे और आशा करते हैं सभी सदस्य हमारे साथ सहयोग करेंगे।

बहुत से माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं मैं उन में से बहुत सों के साथ सहमत हूं। चौधरी रणवीर सिंह तथा श्री ब्रजराज सिंह ने जो बातें कहीं हैं मैं उन से सहमत हूं। और मुझे कुछ नहीं करना। चुनाव संबंधी कानून सरल एवं स्पष्ट होना आवश्यक ही है। विवादों का निपटारा भी शीघ्र ही होना चाहिये। इसी उद्देश्य से हम व्यापक विधेयक सभा के समक्ष लायेंगे। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य विधेयक वापस लेंगे।

†**श्री श्री नारायण दास :** श्रीमान् मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

†**श्री तंगामणि :** माननीय मंत्री के आश्वासन देने पर मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†मूल अंग्रेजी में

छावनी (संशोधन) विधेयक

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"छावनी अधिनियम १९२४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

पहले छावनियां केवल सेनाओं के ठहरने के लिये बनाई गयी थीं । अंग्रेजों के समय में इनका क्षेत्रफल भी थोड़ा था तथा संख्या भी कम थी । अब देश में ५९ छावनियां हैं और उनकी जनसंख्या ५ लाख है ।

जनसंख्या के आधार पर ही इन्हें तीन विभिन्न वर्गों में बांटा गया है । यह विधेयक इन छावनियों की जनता के नागरिक जीवन के सम्बन्ध में है अत: सरकार को इस पर उचित विचार करना चाहिये ।

आज हमारा देश स्वतंत्र है । हमें छावनियों में भी लोगों को नगरपालिका चलाने के अधिकार देने चाहियें । वर्तमान छावनी बोर्ड जिस प्रकार चल रहे हैं वह गलत हैं । इन में चुनाव से आये लोगों के लिये तो किसी भी प्रकार का स्थान है ही नहीं । सरकारी पदाधिकारी ही इन का नियंत्रण करते हैं । अंग्रेजों के समय में भी बाजार समितियां अलग थी किन्तु उनकी शक्तियां बड़ी विचित्र हैं । वे केवल सिफारिशें ही कर सकती हैं । उनके संकल्प का कोई भी महत्व नहीं है । मैं ने अपने विधेयक में यही व्यवस्था रखी है कि इन समितियों तथा बोर्डों में निर्वाचित लोग ज्यादा से ज्यादा आने चाहियें । अब हमारा प्रतिरक्षा विभाग निर्वाचित प्रतिरक्षा मंत्री के हाथों में है तब क्या ये साधारण बोर्ड निर्वाचित जनता के हाथों में नहीं दिये जा सकते ।

यह ठीक है कि नगरपालिकाओं को तोड़ा जा सकता है किन्तु छावनी बोर्डों से पृथक नगरपालिकाओं को तोड़कर वह सरकार एक विशेष पदाधिकारी लगाती है जो प्रबन्ध चलाता है । किन्तु छावनी बोर्डों में निर्वाचित सदस्यों को निकाल कर प्रबन्ध कमांडर के पास ही रहने दिया जाता है । यह बात सामान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध है ? हमें निर्वाचित लोगों पर विश्वास करना चाहिये ।

छावनी बोर्ड अधिनियम के अनुसार तमाम कर लगाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है । यह व्यवस्था भी लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों के पूर्णतया विरुद्ध है । इससे मामलों में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है । इस विधेयक से मैं ने इसे भी दूर करने का प्रयास किया है ।

प्राक्कलन समिति ने भी इस प्रश्न पर गहन विचार किया था उन्होंने छयालीसवें प्रतिवेदन में लिखा है "कि छावनी बोर्ड अधिनियम में शीघ्र ही संशोधन करना चाहिये तथा वहां के स्थानीय प्रशासन में लोकतंत्रात्मक तत्वों का निर्माण होना आवश्यक है । बोर्ड का सभापति निर्वाचित होना चाहिये ।"

यह सिफारिश लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की गई थी । मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी भी प्रकार से सेवाओं या सैनिक पदाधिकारियों को बदनाम करूं । हम तो सब हमारी सेवाओं पर बड़ा अभिमान करते हैं । हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे सैनिक पूर्णतया संतुष्ट रहें और उनके लिये पूरी पूरी सुविधायें मिलती रहें । किन्तु इसी के साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि छावनियों में रहने वाले असैनिक जन भी सेना के विरुद्ध नहीं । इस लिये उन्हें भी उचित अधिकार दिये जाने चाहियें ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री झूलन सिंह]

१९४९ में जो समिति इस प्रश्न की जांच करने के लिये बनाई गयी थी उसने छावनियों को तीन वर्गों में बाटा। अम्बाला छावनी में जहां कि असैनिक जनसंख्या ज्यादा थी वहां के असैनिक क्षेत्र के लिये एक अलग नगरपालिका बना दी गई। दूसरे वर्ग में छोटी छावनियां आती हैं और इसी तरह तीसरे वर्ग में उससे भी छोटी छावनियां आती हैं। इस समिति की सिफारिशों पर सरकार ने पूर्ण रूप से कार्यवाही नहीं की।

जो समितियां वर्तमान क्षेत्रों की हैं उनका प्रधान भी बोर्ड के प्रधान के अधीन होता है। वह कुछ नहीं कर सकता।

†**सभापति महोदय :** संभवतया माननीय सदस्य अभी कुछ समय लेंगे। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा, सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

† मूल अंग्रेजी में।

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२३४७ ७१
तारांकित प्रश्न संख्या		
९४७	भारत सरकार का पर्यटक कार्यालय, पेरिस .	२३४७ ४८
९४८	शुष्क भूमि पर वैज्ञानिक गवेषणा . .	२३४८–४९
९४९	दिल्ली में चिड़ियाघर .	२३४९–५०
९५०	गण्डक परियोजना . .	२३५१–५२
९५१	रेलवे बोर्ड की विकेन्द्रीकरण की नीति .	२३५२—५४
९५२	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नये नमूने का बनाया जाना	२३५४–५५
९५३	आयुर्वेदिक गवेषणा की केन्द्रीय परिषद् . .	२३५५—५७
९५४	दक्षिण पूर्व रेलवे में बिजली से रेल चलाने की योजना	२३५७—५९
९५५	द्वितीय नावांगण का निर्माण . .	२३५९—६१
९५६	कृषक गोष्ठि	२३६१
९५७	कृषि अर्थशास्त्रियों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन .	२३६१–६२
९५९	दिल्ली में भूमि की चकबन्दी .	२३६२–६३
९६१	फल तथा शाक-सब्जी विकास बोर्ड . .	२३६३—६५
९६२	विदेशी पर्यटकों के लिये विशेष कूपन योजना . .	२३६५—६७
९६३	पर्यटकों के लिये रहने का स्थान .	२३६७–६८
९६४	हिमाचल प्रदेश के जंगलों में अग्निकांड	२३६८—७०
९६५	सवारी गाड़ियों में लूट	२३७०–७१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
७	अलीगढ़ और हाथरस के बीच बरसाती पानी का जमाव	२३७१—७३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२३७३—२४४२
तारांकित प्रश्न संख्या		
९५८	ऐंटी-आक्सीडेंट . .	२३७३–७४
९६०	पश्चिम रेलवे में समाज-विरोधी तत्व .	२३७४
९६६	दो शायिकाओं वाली सोने की बर्थ . . .	२३७४
९६७	ट्रांसमिटर	२३७४–७५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमश)

तारांकित
प्रश्न संख्या

९६८ बड़ी परियोजनाओं के लिये जनशक्ति . . २३७५
९६९ तुंगभद्रा बांध परियोजना . २३७५
९७० पलार नदी जल विवाद . . . २३७६
९७१ मोकामा में रेलवे पुल . . २३७६
९७२ निः शुल्क तार भेजने की सुविधा . . . २३७६
९७३ रायसिंहनगर का सब-पोस्टमास्टर . . . २३७६–७७
९७४ गिर शेर . . २३७७
९७५ खाद्यान्न की खरीद . . २३७७
९७६ रात की गाड़ियां . . २३७७–७८
९७७ सुरेमनपुर-रेवती रेल मार्ग . . . २३७८
९७८ टिकोली-रावतपुर स्टेशन पर डकैती . . . २३७८–७९
९७९ स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन . . २३७९
९८० तुंगभद्रा उच्चस्तर नहर २३८०
९८१ हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने जहाज . . . २३८०
९८२ गेहूं के भरे वैगन . . . २३८०
९८३ उत्तरी बिहार में धान की फसलों को क्षति . . २३८०–८१
९८४ कालपी के निकट यमुना नदी पर सड़क का पुल . २३८१
९८५ कुरडुवारी-मिरज रेल-सम्पर्क . २३८१–८२
९८६ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स . . . २३८२
९८७ बिहार, उत्तरी बंगाल और आसाम के बीच रेल लाइन का बन्द किया जाना २३८२–८३
९८८ पर्यटकों के लिये विशेष टैक्सियां . . . २३८३
९८९ अखिल भारतीय सड़क विकास योजना . . २२८३–८४
९९० कोरबा पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश . . . २३८४
९९१ दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें . . . २३८४
९९२ सीरिया जाने वाले भारतीय . २३८५
९९३ भारत आने वाले पर्यटक २३८५
९९४ पंजाब के गांवों में बिजली लगाना . . २३८५
९९५ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा केन्द्र . . . २३८५–८६
९९६ दिल्ली की गन्दी बस्तियां . . . २३८६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

९९७	रेलवे स्टोर की खरीद	२३८७
९९८	आलू	२३८७
९९९	सूरतगढ़ मैकेनाइज्ड फार्म	२३८७–८८
१०००	उड़ीसा में बाढ़	२३८८
१००१	अन्धों को यात्रा की सुविधायें	२३८८–८९
१००२	नागार्जुन सागर परियोजना	२३८९
१००३	गन्ने की कीमत का चुकाया न जाना	२३८९–९०
१००४	रेलगाड़ियों की छतों पर यात्रा करने के कारण हुई दुर्घटनायें	२३९०–९१
१००५	लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	२३९१
१००६	होटल प्रतिमान तथा दर समिति	२३९२
१००७	दिल्ली में क्षय रोगी	२३९२
१००८	दिल्ली में विद्युत् संभरण	२३९२–९३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५२९	दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	२३९३
१५३०	बीज उत्पादन	२३९३
१५३१	भारतीय रेलों में द्वितीय श्रेणी के डिब्बे	२३९३–९४
१५३२	बम्बई में भण्डागारों का निर्माण	२३९४
१५३३	बम्बई राज्य में वन विकास	२३९४–९५
१५३४	स्वचालित सिगनल	२३९५–९६
१५३५	मद्रास जाने वाली वाल्टेयरगाड़ी का पटरी से उत्तर जाना	२३९६
१५३६	रेलों में भोजन की व्यवस्था करने वाले ठेकेदार	२३९६–९७
१५३७	विभागीय भोजन व्यवस्था	२३९७
१५३८	भूमिहीन श्रमिक	२३९७–९८
१५३९	मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, हेंडलिंग कन्ट्रेक्टर्स, को रेलवे द्वारा अतिरिक्त भुगतान	२३९८
१५४०	तपेदिक	२३९९
१५४१	आन्ध्र के लिये अधिक अन्न उपजाओ योजना	२३९९
१५४२	मध्य रेलवे पार्ली-विकाराबाद सेक्शन	२३९९–२४००

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५४३	सड़क विकास योजना	२४०१
१५४४	जाजपुर में मुख्य डाकघर की इमारत	२४०१
१५४५	भारतीय जहाज़ी कम्पनियों द्वारा जहाजों की खरीद	२४०१
१५४६	उर्वरक	२४०२
१५४७	कर वसूली	२४०२
१५४८	सड़क परिवहन विकास पर गोष्ठी	२४०२–०३
१५४९	लोहारू और दिल्ली के बीच रेल का सीधा जाने वाला डिब्बा	२४०३
१५५०	विमान दुर्घटनायें	२४०३–०४
१५५१	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	२४०४
१५५२	रेलवे सम्पति और माल की चोरी	२४०४–०५
१५५३	बच्चों में पोषाहार की कमी सम्बन्धी विकार	२४०५–०६
१५५४	बिना टिकट के यात्री	२४०६–०७
१५५५	दिल्ली में फलों का डिब्बों में बन्द किया जाना तथा उनका परिरक्षण	२४०७
१५५६	दिल्ली के माली	२४०७
१५५७	पत्तनों के विकास के लिये विश्व बैंक का ऋण	२४०७–०८
१५५८	वन क्षेत्र	२४०८
१५५९	भाखरा परियोजना की बाढ़ नियंत्रण प्रावस्था	२४०८
१५६०	पंजाब में मरुस्थल नियंत्रण	२४०८–०९
१५६१	नीबू की पैदावार	२४०९–१०
१५६२	फीरोजपुर ज़िले में डाक तथा तार घर	२४१०–११
१५६३	पुरी में सीमा-कर की वसूली	२४११
१५६४	काश्मीर जाने के लिये पर्यटकों को पर्मिट	२४१२
१५६५	ड्राइवरों तथा गार्डों को सोने की सुविधायें	२४१२
१५६६	देहरादून एक्सप्रेस के डिब्बे	२४१२–१३
१५६७	पश्चिमी बंगाल में चावल की कीमतें	२४१३
१५६८	मद्रास राज्य की सिंचाई परियोजनायें	२४१३–१४
१५६९	ड्राइवर	२४१४–१५
१५७०	विश्व स्वास्थ्य संगठन का सम्मेलन	२४१५
१५७१	पंजाब में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग की सड़कें	२४१५–१६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५७२ फाजिल्का-फीरोजपुर रेलवे लाइन २४१६
१५७३ मेडिकल शिक्षा सम्मेलन . २४१६—१९
१५७४ आम का सुधार २४१९
१५७५ आम का उत्पादन . . . २४१९
१५७६ हिन्दुमालकोट—श्री गंगानगर रेलव सम्पर्क . . २४१९
१५७७ फीरोजपुर जिले के डाक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर २४१९—२०
१५७८ प्रादेशिक रेलवे उपकरण मंत्रणा समिति २४२०
१५७९ बिजली की रेल गाड़ियों के इंजन . . २४२०—२१
१५८० बम्बई राज्य में सहकारिता आन्दोलन . २४२१
१५८१ रेलवे कर्मचारियों और सब्जी बेचने वालों में हाथापाई . २४२१
१५८२ राज्यों के मीनक्षेत्रों के प्रभारी मंत्रियों का सम्मलन . २४२२
१५८३ मल गार्ड २४२२
१५८४ दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन में पारला की मेदी लाइट रेलवे . २४२२—२३
१५८५ अहमदपुर स्टशन से यात्री यातायात २४२३
१५८६ चीनी का निर्यात . . . २४२४
१५८७ बिजली की खपत . २४२४—२५
१५८८ सूरतगढ़ मेकैनाइज्ड फार्म २४२५
१५८९ करोलबाग में गन्दगी . २४२५—२६
१५९० दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई २४२६
१५९१ इज्जतनगर में वर्कशाप २४२६
१५९२ लखनऊ-बरेली रेलवे सेक्शन २४२६—२७
१५९३ उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें . . २४२७—२८
१५९४ नल-कूप . . . . . २४२८—२९
१५९५ हिन्दी पढ़ाने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला मानदेय २४२९
१५९६ हिन्दी में भेजे गये पत्र . . . २४२९
१५९७ दुर्घटना सम्बन्धी नियम. . . २४२९—३०
१५९८ रेलवे सुरक्षा बल . २४३०
१५९९ व्यास क्षेत्र में बन-उद्योग २४३०
१६०० माल उतरने की प्रतीक्षा में खड़े पोत . २४३१
१६०१ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन . . . २४३१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६०२	पटना जंक्शन पर लाइसेंस प्राप्त पोर्टरों के रूप में अनधिकृत व्यक्ति	२४३१–३२
१६०३	चरखी-दादरी की सीमेंट फैक्ट्री के लिये माल डिब्बे . .	२४३२
१६०४	फोटोग्राफ़ी के उपकरणों को वर्षा से क्षति खाद्य तथा कृषि .	२४३२
१६०५	वर्षा के कारण क्षति	२४३३
१६०६	पंजाब में मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनायें . .	२४३३
१६०७	भाखड़ा नंगल परियोजना	२४३३
१६०८	मनोरंजनार्थ उड़ानें	२४३४
१६१०	नागपुर और परसिया लाइन को बड़ी लाइन में बदलना .	२४३४
१६११	क्लर्कों की गार्ड के तौर पर पदोन्नति . .	२४३४–३५
१६१२	रेलवे की डिस्पेंसरियां	२४३६
१६१३	कांगड़ा और होशियारपुर में डाक तथा तार कार्यालय .	२४३६
१६१४	उत्तर रेलवे में महिला कर्मचारी . . .	२४३६
१६१५	तार के खम्भे	२४३६
१६१६	हस्तन ठेकेदारों की नियुक्ति . . .	२४३६–३७
१६१७	तृतीय श्रेणी के कर्मचारी . . .	२४३७
१६१८	दुमका होते हुए रेल सम्पर्क . . .	२४३७
१६१९	भारत में सी-आई लेण्ड रूई	२४३७–३८
१६२०	सामयिक कर्मचारी	२४३८
१६२१	चावल के भाव	२४३८
१६२२	तारघर	२४३८–३९
१६२३	यात्रियों को सुविधायें . . .	२४३९
१६२४	अनाज के व्यापारियों के लिये लाइसेंस .	२४३९
१६२५	चीनी मिलें	२४३९–४०
१६२६	कीरतपुर साहिब में गुड्स-शेड . . .	२४४०
१६२७	छत्तर में रेलवे स्टेशन . .	२४४०
१६२८	कुर्सेला रेलवे पुल	२४४०–४१
१६२९	बम्बई-पूना रेस-स्पेशल गाड़ियों पर भोजन व्यवस्था . .	२४४१
१६३०	रेलवे के ऊपरी पुल	२४४१–४२
१६३१	बड़ी लाइन की दोहरी पटरियें	२४४२

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४४३–४४

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये—

(१) विभिन्न सत्रों में जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या ७	दूसरी लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५८
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ९	दूसरी लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५७
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या १४	दूसरी लोक-सभा का दूसरा सत्र, १९५७
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १५	दूसरी लोक-सभा का पहला सत्र, १९५७
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या २०	पहली लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६

(२) अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५८–५९ के बारे में सदस्यों से प्राप्त कुछ ज्ञापनों के उत्तर के विवरण की एक प्रति।

(३) धन-कर अधिनियम, १९५७ की धारा ४६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत धन-कर (राजाओं को उत्तराधिकार में प्राप्त आभूषणों पर छूट) नियम, १९५८, जो दिनांक २३ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१९ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में विवरण . . २४४४

श्री बी० गोपाल रेड्डी ने वर्ष १९५८–५९ के आयव्ययक (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २४४४–४६

श्री क० स० रामस्वामी ने मध्य रेलवे पर काजीपेट और बल्लारशाह के बीच दो पुलों के बह जाने और उसके फलस्वरूप रेलवे यातायात के रुक जाने की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया।

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी) ने उस के बारे में एक वक्तव्य दिया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २४४६–४७

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) ने दिल्ली में उचित मूल्य की सस्ती दुकानों के बारे में अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ४ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा २५ अगस्त, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

विधेयक विचाराधीन २४४७–६३

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत क़ब्ज़ाधारियों का निष्कासन) विधेयक, १९५८ पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित . . . २४६३—६६

(१) श्री पुरुषोत्तम दास ग्रार० पटेल का महेन्द्रप्रतापसिंह सम्पदा निरसन विधेयक १६५८।

(२) श्री राधा रमण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १६५८ (**धारा ५६ और १२३ का संशोधन**)।

(३) श्री सुबिमन घोष का संविधान (संशोधन) विधेयक, १६५८ (**अनुच्छेद १३४, १३६ और १४५ का संशोधन**)।

(४) श्री अब्दुल सलाम का वनस्पति में रंग मिलाना, विधेयक १६५८।

(५) श्री अब्दुल सलाम का मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १६५८ (**धारा ३ का संशोधन**)।

(६) श्री नौशीर भरूचा का भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक, १६५८ (**धारा १०३ का संशोधन**)।

(७) श्री नौशीर भरूचा का संसदीय विशेषाधिकार विधेयक, १६५८।

(८) श्री लै० ग्रची सिंह का क्षेत्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, १६५८ (**धारा ३, २२, ३० और ३६ का संशोधन**)।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १६५८ (धारा ३४२ तथा ५६२ का संशोधन) पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई। यह संशोधन कि विधेयक को ३१-१०-५८ तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये, स्वीकृत हुआ। . . २४६६—७३

श्री झूलन सिंह ने प्रस्ताव किया कि छावनी बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १६५७ (धारा १३ और ६० का संशोधन तथा धारा १४ का लोप) पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई। . . . २४८१—८२

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक वापिस ले लिया गया— २४७३—८०

श्री तंगामणि ने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक १६५७ (धारा ५५-क, ८२ और ११६-क का संशोधन) पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विधेयक सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया।

सोमवार, ८ अगस्त, १६५८ के लिये कार्यावलि—

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधयक, पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा।